सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report

2011-2012



तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2011 - 2012

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी
चैन्नै – 600006, तमिलनाडु
दूरभाषा : 91-44-28213785, 28216552
फैक्स : 044-28216552
ई–मेल : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट : www.caa.gov.in

प्रकाशक
अध्यक्ष
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संकलन तथा संपादन
आर. पाल राज
भास्करण मणिमारन
एस. मणि
जी. डी. चन्द्रपाल
डी. विन्सेंट

मुद्रक
नागराज एंड कंपनी

Published by

Chairman
Coastal Aquaculture Authority

Compilation & Editing

R. Paul Raj
Baskaran Manimaran
S. Mani
G. D. Chandrapal
D. Vincent

Printed by

Nagaraj & Co Private Limited

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
I.	प्राधिकरण का संगठन, परिचालन लक्ष्य तथा उद्देश्य	
1.	2011–12 की अवधि के दौरान प्राधिकरण का संगठन	1
2.	प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य	2
3.	प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य	3
4.	एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन	5
II.	लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन	
1.	वार्षिक लक्ष्य	6
2.	निष्पादन का संक्षिप्त समीक्षा	7
III. क.	क्रियाकलाप व उपलब्धियां	
1.	प्राधिकरण की बैठक	9
2.	झींगा फार्मों का पंजीकरण	12
3.	एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन	18
4.	जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रयोगशाला	32
5.	वेबसाइट को अद्यतन बनाया गया	32
6.	सीएए मुख्यालय के लिए भवन	32
7.	सीएए द्वारा हिन्दी सप्ताह मनाया जाना	33
8.	सीएए की बाहरी गतिविधियाँ	33
9.	भारत और विदोशों में सीएए सदस्यों/अधिकारियों द्वारा अन्य संगठनो द्वारा आयोजित बैठकों/ सेमिनारों/विचार गोष्ठियों में भागीदारी	39
III. ख.	वर्ष 2011–12 के दौरान किए जाने वाले कार्य	43
IV.	वित्त: वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश	44
V.	प्राधिकरण का स्टॉफ तथा वर्तमान संगठनात्मक संरचना	45
VI.	सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम	46
	वर्ष 2011–2012 के लिए वार्षिक लेखें और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट	
1.	तुलन पत्र	48
2.	आय एवं व्यय खाते	49
3.	प्राप्तियां और भुगतान खाते	50
4.	तुलन पत्र अनुसूची (1–11)	52
5.	आय एवं व्यय अनुसूची (12–23)	62
6.	लेखा नीति	69
7.	आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	73
8.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट	75

Sl. No.	Subject	Page No.
	Preface	83
I.	Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority	85
	1. Composition of the Authority during 2011-12	85
	2. Aims & Objectives of the Authority	86
	3. Powers and Functions of the Authority	86
	4. Regulation of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India	89
II.	Targets and Performance	90
	1. Annual Targets	90
	2. Brief review of Actual performance	91
III.	A. Activities & Achievements	93
	1. Meetings of the Authority	93
	2. Registration of Shrimp Farms	96
	3. SPF *Litopenaeus vannamei* Farming	102
	4. Water Quality Monitoring Laboratory	116
	5. Website updation	116
	6. Building for the Headquarters of CAA	116
	7. Hindi Week observed by CAA	117
	8. Outreach Activities of CAA	117
	9. Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organizations in India / abroad	123
III.	B. Activities likely to be taken up during 2012-13	127
IV.	Finance: Summary of Actual Financial results and Activities during the Financial Year 2011-12	128
V.	Staff and existing Organizational structure of the Authority	129
VI.	Right to Information Act	130
	Annexure: Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2011-12	
	1. Balance Sheet	132
	2. Income & Expenditure Accounts	133
	3. Receipt & Payment Accounts	134
	4. Schedules of Balance Sheet (1 to 11)	136
	5. Schedules of Income & Expenditure (12-23)	146
	6. Accounting Policies	153
	7. Contingent Liabilities & Notes on Accounts	157
	8. Separate Audit Report of the CAG	159

डॉ. आर. पाल राज
सदस्य सचिव
Dr. R. Paul Raj
Member Secretary
दूरभाष / Phone : +91 44 2823 4683
फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552, 2825 0956
ईमेल / e-mail : aquaauth@vsnl.net
वेबसाइट / Website : http://www.caa.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कृषि मत्रांलय
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Agriculture
(Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries)
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Dated : 19 नवम्बर 2012

प्राक्कथन

तटीय जलकृषि प्राधिकरण(सीएए) ने, जिसे दिसम्बर, 2005 में गठित किया गया था, सफलतापूर्वक एक और वर्ष पूरा कर लिया है। 2011–12 के दौरान, सीएए अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एस एल सी) की सक्रिय भागीदारी के साथ केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तटीय क्षेत्र में स्थित तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण सीएए ने जारी रखा।

प्राधिकरण ने तटीय क्षेत्र में जैव सुरक्षित हैचरियों एवं फार्मों में एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई बीज उत्पादन और पालन के संवर्धन को भी जारी रखा। प्राधिकरण द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण, एल. वेन्नामई के एसपीएफ ब्रूडस्टाक के आयात के लिए अनुमति प्रदान किए गए हैचरियों की संख्या में 2009–10 मे 24 से वृद्धि होते हुए 2011–12 में 74 हो गई है। 54 हैचरियों द्वारा सितम्बर, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक कुल 67,656 संख्या में एसपीएफ ब्रूडस्टाक आयात किए गए थे। किसी भी आयातित ब्रूडस्टाक में किसी प्रकार का ओआईई सूचीबद्ध पेथोजन नहीं पाए गए हैं जो इस बात का सूचक है कि भारतीय हैचरियों को लघुसूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उच्च गुणवत्ता ब्रूडस्टाक की आपूर्ति की गई है।

इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि दर्शाई है जिसमें औसत उत्पादकता 10 मी. टन प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष के साथ 2010–11 के दौरान 18,247 मी. टन उत्पादन की तुलना में 2011–12 के दौरान 80,717 मीट्रिक टन एल. वेन्नामई उत्पादन हुआ है। सीएए द्वारा किए गए प्रयासों के कारण मुख्यत: यह सफलता प्राप्त हो सकी है जिसमें भारतीय हैचरियों को अंतर्राष्ट्रीय आपूतिकर्ताओं से उच्च गुणवत्ता एसपीएफ ब्रूडस्टाक की आपूर्ति सुनिश्चितत करने के साथ–साथ ब्रूडस्टाक संगरोध के आयात के लिए अधिसूचित दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन, हैचरियों एवं फार्मों में जैव सुरक्षा उपाय और अच्छी जलकृषि प्रणाली पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

छोटे फार्म धारक किसानों की सुविधा के लिए, समूह पालन प्रणाली की शुरुआत की गई है जिससे वे कामन अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ईटीएस) और जैव सुरक्षा सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम हो सकें। एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए अनुमोदित कुल 5,922 हैक्टेयर फार्म क्षेत्र में से, 3,618 हैक्टेयर समूह फार्म हैं जो इस उद्यम में लघु स्तरीय क्षेत्र की रुचि को दर्शाता है।

हैचरियों एवं फार्मों का निरीक्षण और निगरानी भी आवधिक रूप से रखी गई है। सीएए द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन बिना एल. वेन्नामई बीज का उत्पादन कर रहे हैचरियों के विरुद्ध कार्रवाही करने के साथ–साथ प्रतिबंधित एंटिबायोटिक्स और अन्य फार्मोकालोजिकल पदार्थों का प्रयोग करने वाले हैचरियों एवं फार्मों के विरुद्ध भी कार्रवाही की गई है।

सीएए ने हैचरियों एवं फार्मों के पंजीकरण और सतत एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन पर राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवधि के दौरान मात्स्यिकी कालेज और अनुसंधान संस्थान के साथ सीएए द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है: ज्वांइट इंस्टीटयूट फार फूड सैफ्टी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन (जेआईएफएसएएन), यूएसएफडीए और मेरीलैंड यूनिवर्सिटी, यूएसए की सहभागिता से 'अच्छी जलकृषि प्रणाली (जीएक्यूपी) प्रशिक्षु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम' जिसमें 23 मात्स्यिकी और जलकृषि संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए 38 मात्स्यिकी अधिकारियों ने भाग लिया।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से निरन्तर सहयोग के साथ, प्राधिकरण देश में सतत तटीय जलकृषि के संवर्धन में और अधिक भूमिका अदा करने के लिए प्रयत्नशील होगा। प्राधिकरण संगठन के विभिन्न क्रियाकलापों में पूर्व अध्यक्ष डा. ए. के. राजन द्वारा प्रदान किए गए उपयोगी मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

आर. पालराज

(आर. पॉल राज)

सदस्य–सचिव

I. प्राधिकरण का संगठन, परिचालन लक्ष्य तथा उद्देश्य

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित तटीय जलकृषि प्राधिकरण दिसम्बर, 2005 में अपने प्रारंभ से ही देश के तटवर्ती क्षेत्रों (उच्च ज्वारभाटा सीमा से दो किलोमीटर के भीतर लवणीय तथा खारा जल जलकृषि) में तटीय जलकृषि से संबंधित समस्त गतिविधियों को विनियमित करने का कार्य कर रहा है ताकि तटीय वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

1. 2011-12 की अवधि के दौरान प्राधिकरण का संगठन

(i) **डा. न्यायमूर्ती ए. के. राजन** … अध्यक्ष
मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
(5.1.2012 तक)
(उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त / वर्तमान न्यायाधीश)

(ii) **डा. ए. जी. पोन्नय्या** … सदस्य
निदेशक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नै
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

(iii) **श्री पी. मदेश्वरन** … सदस्य
वैज्ञानिक 'एफ'
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार
(तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

(iv) **डॉ. डी. डी. बसु** … सदस्य
वरिष्ठ वैज्ञानिक
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण संरक्षण / प्रदूषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ)

(v) **श्री तरुण श्रीधर, आई.ए.एस.** … सदस्य
संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(vi) **सुश्री लीना नायर, आई.ए.एस.** … सदस्य
अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)

(vii) **श्री सत्यव्रत साहू, आई.ए.एस.** … सदस्य
आयुक्त एवं सचिव (मात्स्यिकी विभाग एवं पशु संसाधन विभाग)
उड़ीसा सरकार
(उड़ीसा राज्य के प्रतिनिधि)

(viii) **श्री पी. के. मोहन्ती, आई.ए.एस.** … सदस्य
अपर मुख्य सचिव (मात्स्यिकी)
श्री ज्योति लाल, आई.ए.एस./सुश्री इशिता रॉय, आई.ए.एस.,
डा. ए. जयतिलक, आई.ए.एस., सचिव (मात्स्यिकी),
केरल सरकार (केरल राज्य के प्रतिनिधि)

(ix) **श्री ए. एस. डागर, डीएएनआईसीएस.** … सदस्य
सचिव (मात्स्यिकी) कृषि, मात्स्यिकी, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं
विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सं.शा.क्षेत्र प्रशासन
(अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सं.शा.क्षेत्र के प्रतिनिधि)

(x) **श्री पीतांबर एम. तंडेल** … सदस्य
कारवार, कर्नाटक (कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधि)

(xi) **डा. आर. पाल राज** … सदस्य सचिव
(केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य)

2. प्राधिकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य

प्राधिकरण के उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तटवर्ती क्षेत्रों में सभी तटीय जलकृषि गतिविधियों को तथा इससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण को तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए विनियम बनाने, फार्मों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए उनका निरीक्षण करने, जलकृषि फार्मों के पंजीकरण, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाने अथवा नष्ट करने तथा तटीय जलकृषि में सभी तटीय जलकृषि आगतों जैसे बीज, बीज वृद्धि उपकरण तटीय जलकृषि में प्रयुक्त रसायन/दवाईयां इत्यादि के लिए मानकों को तय करने की शक्ति दी गई है।

3. प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के चौथे अध्याय तथा इसके तहत बनाए गए नियम एवं 2008 में अधिसूचित तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है। सीएए अन्य बातों के साथ–साथ तटीय जलकृषि क्षेत्र के सुव्यविस्थत तथा सतत विकास के लिए विनियम बनाता है ताकि इस गतिविधि में संलग्न विभिन्न अंशधारकों के सामाजिक–आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा समाज स्वीकृत तटीय जलकृषि की ओर उन्मुख हुआ जा सके।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व देश में सभी प्रकार के तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण सुनिश्चित करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, प्राधिकरण द्वारा उपाय आरंभ किए जा रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने फार्म का तटीय जलकृषि प्राधिकरण में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं जो आगे नवीनीकृत किए जा सकते हैं। भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों को ध्यान मे रखते हुए पंजीकरण प्रक्रिया को नए फार्मों के लिए तथा मरम्मत किए जाने वाले पुराने फार्मों के लिए जारी रखा जा सकता है।

तटीय विनियम जोन के भीतर हाई टाइड लाइन और खाड़ियों में, नदियों तथा पश्च जल से 200 मीटर के भीतर जलकृषि की अनुमति नहीं है। तथपि, यह शर्त तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के विधिकरण से पहले स्थापित मौजूदा फार्मों तथा सरकार द्वारा अथवा सरकार के किसी भी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित गैर वाणिज्यिक तथा प्रयोगात्मक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। यद्यपि ऐसे सभी फार्म तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत होने चाहिए। ऐसे पंजीकरण के बिना किसी व्यक्ति द्वारा तटीय जलकृषि करने पर उसे कारावास का दंड जिसे तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना अदा करना पड़ेगा जिसे एक लाख रुंपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंड भुगतने पड़ेगे। हालांकि मौजूद पारंपरिक जलकृषि फार्मों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे फार्मों को भी पंजीकृत किया जा रहा है चूंकि ऐसे फार्मों द्वारा अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जैसा कि दिनांक 28 अक्तूबर, 2009 के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के तहत संशोधित की गई ताजा, हिमित और प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) विनियमन, 1995 में परिकल्पित है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की सभी मामलों में सहायता, विशेषत: तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण में, राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा की जाती है। 2 हैक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र वाले फार्मों के मामले में, डलएलसी, संतुष्ट होने पर, पंजीकरण हेतु विचार करने के लिए सीएए को सीधे आवेदनों की सिफारिश करेंगे; और 2 हैक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र से बड़े फार्मों के मामले में, डलएलसी मानकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए फार्मों का निरीक्षण करेंगे और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेंगे, जो संतुष्ट होने पर, पंजीकरण के लिए सीएए को इनकी सिफारिश करेंगे।

सीएए के निम्नलिखित शक्ति एवं कार्य भी हैं :

- यह सुनिश्चित करना कि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले तटवर्ती समुदाय की आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृषि भूमि, लवण पटल जमीन, कच्छीय वन, नम जमीन, वन भूमि, गांव की आम प्रयोजन की भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि और राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृग वनों को जलकृषि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए;
- समूचे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना तथा पारिस्थितिकी अनुकूल विकास हासिल करने के लिए उचित नीति तैयार करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह देना;
- सामान्य अवसंरचना लाइन, सामान्य जल अंतर्ग्रहण, निकासी नहर एवं सार्वजनिक बहिस्राव उपचार प्रणाली के निर्माण के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को सलाह एवं समर्थन देना;
- बीज, आहार, वृद्धि संवर्धकों तथा जल निकायों एवं पाले गए जीवों एवं अन्य जलजीव के रखरखाव के लिए प्रयुक्त रसायनों/दवाओं के लिए मानक निर्धारित करना;
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अध्ययनों/योजनाओं को आरंभ करना या अन्वेषणों को प्रायोजित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन;
- तटीय जलकृषि से संबंधित आंकड़ों एवं अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक–आर्थिक सूचना एकत्रित एवं वितरित करना;
- तटीय जलकृषि के सतत विकास एवं तटीय जलकृषि के क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री तैयार करना;
- तटीय संसाधनों की सतत उपयोगिता तथा न्याय संगत एवं उचित हिस्सेदारी के संबंध में प्रचार करना तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना;
- तकनीकी मैनुअल तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियां, उप–समितियां, कार्य दल आदि गठित करना;
- तटीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम से कम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए फार्म के मालिकों को निदेश देना;
- सततता को सुनिश्चित करने के लिए; या पर्यावरणीय चिरस्थाईता को बनाए रखने के हित में एवं तटीय पर्यावरण के हित में आजीविका के संरक्षण के लिए मौसमी बंदी का आदेश देना;
- किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना देकर या पंजीकरण के प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों या उन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए पंजीकरण को रद्द करना;
- तटीय जलकृषि से संबंधित मसलों को निपटाना जिनमें ऐसे मसले भी शामिल है जिन्हें केन्द्र सरकार को संदर्भित किया जाना है।
- समय–समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें देना।

4. एसपीएफ लिटोपिनस वेन्नामई पालन का भारत में विनियमन

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत जारी 15.10.2008 की अधिसूचना द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एल. वेन्नामई के ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के परामर्श से तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ता चुने जाते हैं। उक्त अधिसूचना में शामिल उक्त दिशानिर्देश में संगरोध के लिए जैव सुरक्षा अपेक्षाएं, आयात परमिट, प्रवेश के लिए बंदरगाह, पूर्व–सरहद संगरोध अपेक्षाएं, संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणमुक्त प्रक्रिया इत्यादि का विवरण दिया गया है।

तटीय जलकृषि (संशोधन) नियम, 2009 से एल. वेन्नामई की शुरुआत करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में वेन्नामई नस्ल के अनुप्रयोग के लिए मानक, तकनीकी आवश्यकताएं, एसपीएफ एल. वेन्नामई के उत्पादन और बिक्री के लिए प्रक्रिया शामिल है और फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनियम विनिर्दिष्ट हैं ।

हैचरी संचालकों और झींगा कृषकों के सुचारू प्रचालन के लिए, भारत सरकार ने वयस्क ब्रूडस्टाक पालन के लिए एन.वेन्नामई के एसपीएफ बच्चों के आयात, अनुमति प्राप्त हैचरियों से नोपली की बिक्री, पर्याप्त सूखा काल के बाद एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में पालन को बदलने के लिए अनुमति प्रदान करते हुए मार्च, 2012 में अधिसूचना के तहत सीएए नियम, 2005 में और आगे संशोधन किया है। इस अधिसूचना से अप्राधिकृत बीज उत्पादन से निपटने की निरीक्षण प्रक्रिया और अप्राधिकृत स्टाक को नष्ट करने के जरिए एल. वेन्नामई पालन को भी सुदृढ़ किया गया।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण एल. वेन्नामई पालन आरंभ करने के लिए हैचरियों एवं फार्मों को अनुमति प्रदान करने में और इस उद्यम के सतत विकास के लिए संपूर्ण प्रचालन के निरीक्षण और मानिटरिंग में सावधानीपूर्वक अनुपालन कर रहा है।

II. लक्ष्य तथा कार्य निष्पादन

1. वार्षिक लक्ष्य

- क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण की प्रत्येक दो महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित करना।
- तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण तथा उनका नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका न तो लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है और न ही परिणाम बताया जा सकता है। जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3000 तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत किए जाने की संभावना है।
- वर्ष 2011–12 के लिए लगभग 2000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने के लिए एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन का विस्तार जिसमें एक वर्ष में लगभग 20,000 मी. टन प्रत्याशित अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा।
- तकनीकी समिति की बैठक में ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की समीक्षा और चयन। यह चयन ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए समीक्षा कार्यशालाओं की सिफारिशों के आधार पर किया जाए।
- ब्रूडस्टाक के आयात और एसपीएफ बीज के उत्पादन के लिए पर्याप्त जल सुरक्षा सुविधाओं के साथ उत्तरव्यापी हैचरियों के स्वामियों की सूची तैयार करने से पहले आवेदन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
- बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठकों की सिफारिशों के अनुसार तकनीकी समिति द्वारा एल. वेन्नामई के ब्रूडस्टाक की आवश्यकता हैचरी क्षमता और एल.वेन्नामई पालन के लिए पालन क्षेत्र का पता लगाया जाएगा।
- कृषकों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रक्रम में लाना, जो पी.मोनोडान, एसपीएफ, एल. वेन्नामई या किसी अन्य प्रजाति को अपने फार्म में अपेक्षित और उपयुक्त जैव सुरक्षा सुविधा और अपशिष्ट उपचार प्रणाली सृजित करते हुए पालन करना चाहते हैं और तत्पश्चात पंजीकरण तथा/या अनुमति प्रमाणपत्र जारी करना।
- बीज उत्पादन और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के आरंभ की जाएगी।
- इस प्रयोजन के लिए अन्य सुविधाओं के साथ–साथ जैव सुरक्षा अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल द्वारा हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण किया जाएगा।
- निरीक्षण दल द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की अगली बैठक में ही तत्काल विचार करना।

- हैचरियों और फार्मों की निगरानी सावधिक रूप से करना; और अनुमोदन के शर्तों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
- संगरोध संबंधी क्रियाकलाप की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति की बैठक सावधिक रूप से आयोजित की जाएगी।
- चेन्नई में तटीय जलकृषि प्राधिकरण के परिसर में स्थापित जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में हैचरी ईटीएस से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता नमूना प्राप्त करना और परीक्षण।
- पालकों को हैचरियों के पंजीकरण, एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन और प्रतिबंधित दवाओं के मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में जागरूक बनाने के लिए तटवर्ती राज्यों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- सतत कृषि प्रक्रियाओं को दर्शाते हुए तटीय जलकृषि से संबंधित कार्यशाला और प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- पणधारियों को वितरित करने के लिए जलकृषि की अच्छी प्रणाली पर ब्रॉशसर/हैंडआउट तैयार करना।

2. निष्पादन की संक्षिप्त समीक्षा

- अप्रैल, 2011 और मार्च, 2012 के बीच एसएलसी/डीएलसी से प्राप्त 1,282 पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों पर अनुमोदित करने के लिए विचार किया गया। प्राधिकरण ने 1,243 आवेदनों को अनुमोदित किया और शेष को संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया।
- सभी 1,243 पंजीकृत फार्मों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया।
- निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अनुमोदन से आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 50 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई और पहले ही अनुमदित 24 हैचरियों का अनुमति नवीकरण कर दिया है ।
- एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए फार्मों से प्राप्त आवेदनों की जांच और निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर 2,176 हैक्टेयर कुल क्षेत्र (1,504.88 हैक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र) युक्त 193 फार्मों को इस वर्ष एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन की अनुमति जारी की गई ।
- इस अवधि के दौरान अनुमोदित हैचरियों द्वारा लगभग 2,465.06 मिलियन पोस्ट लार्वा एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन किया गया जिसकी आपूर्ति पंजीकृत झींगा किसानों को कर दी गई ।
- तकनीकी मूल्यांकन समिति 15 फरवरी, 2012 को मिले और उन हैचरी संचालकों के साथ ब्रूडस्टाक के वार्षिक आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ब्रूडस्टाक आयात के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर आपसी संपर्क बनाया, जिन्हें एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए अनुमति प्राप्त थी।

- वर्ष 2011–12 के दौरान आयात के लिए सीएए द्वारा कुल 48,720 जोड़े ब्रूडस्टाक को अनुमोदित किया गया था।
- फार्मों के पंजीकरण, एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों के निरीक्षण और निगरानी और जीएक्यूपी पर मौलिक आवश्यकताओं पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 112 अधिकारियों ने भाग लिया।
- सीएए ने 17 से 21 जनवरी, 2012 के दौरान तमिल नाडु पशुचकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (टीएएनयूवीएएस) में मत्स्यपालन कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, थुथ्थुकुडी के साथ जाएंट इंस्टीट्यूट फार फूड सेफ् एवं एप्लाइड न्यूट्रीशन (जेआईएफएसएएन), यूएसएफडीए, युनिवर्सिटी आफ मेरीलैंड, यूएसए द्वारा आयोजित 'प्रशिक्षु प्रशिक्षण अच्छी जलकृषि प्रणाली' पाठ्यक्रम को प्रायोजित और समन्वित किया। 23 संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 38 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
- एल. वेन्नामई के गैर कानूनी रूप से बीज उत्पादन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर एक निरीक्षण दल ने कुल 13 हैचरियों का निरीक्षण किया (आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में तीन हैचरियों और तमिलनाडु के कांचीपुरम और विल्लूपुरम जिलों में दस हैचरियां)। इस दल ने चार हैचरियों में एल. वेन्नामई के ब्रडस्टाक और लार्वा पाने के बाद इन चार हैचरियों में तालाब में गैर कानूनी रूप से पालन किए गए ब्रूडस्टाक और लार्वा को नष्ट किया।

III.क. क्रियाकलाप व उपलब्धियां

1. प्राधिकरण की बैठक

चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2011–मार्च, 2012 के दौरान सीएए में अन्य बैठकों के अलावा 5 नियमित बैठकें की। बैठकों व उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी–1 में दर्शाया गया है। पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे हैचरियों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा, प्रतिबंधित एंटिबायोटिक्स का प्रयोग करने वाले फार्मों एवं हैचरियों के विरुद्ध दण्डात्मक उपाय, गैर अनुमोदित एल. वेन्नामई उत्पादन करने वाले फार्मों और हैचरियों के विरुद्ध कार्रवाई, 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों के निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय दल (डीएलटी) का गठन करना, फार्मों के गंदे जल रिसाव की निगरानी आदि पर विचार–विमर्श किया।





प्राधिकरण की बैठक
प्रगति पर



तालिका 1: तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठक (अप्रैल, 2011–मार्च, 2012)

बैठकें	तारीख एवं स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
बत्तीसवीं बैठक	28 अप्रैल, 2011 चेन्नई	• 298 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया। • तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार 24 हैचरियों द्वारा एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज उत्पादन के लिए ब्रूडस्टाक आयात की अनुमति की समीक्षा। • एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 85 झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान किया गया। • समुद्री और खाराजल फिनफिश हैचरी के पंजीकरण के लिए प्रारूप प्रपत्र को अनुमोदन, इसके अतिरिक्त, हैचरियों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण दल गठित करने का निर्णय भी लिया गया। • फिनफिश हैचरियों के पंजीकरण के लिए ₹1,000/– रुपए का शुल्क निर्धारित करने का निर्णय। • एल. वेन्नामई बीजों के उत्पादन के लिए तीन अनुमोदित न किए गए हैचरियों को बंद करने का निर्णय लिया गया। • गैर कानूनी हैचरी बीज उत्पादन क्रियाकलापों को बंद करने के लिए सीएए की कार्रवाईयों के बारे में व्यापक प्रचार करने के साथ–साथ सीएए वेबसाईट में डालने का निर्णय। • प्रतिबंधित एंटिबायोटिक्स का प्रयोग करते हुए पाए गए (एपेडा द्वारा रिपोर्ट की गई) दस हैचरियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्णय। • एल. वेन्नामई पालन के लिए तटवर्ती राज्यों के फार्मों (5 हैक्टेयर डब्ल्यू एस ए के नीचे) का निरीक्षण करने के लिए जिला स्तरीय दल (डीएलटी) गठित करने का निर्णय।
तैतीसवीं बैठक	24 जून, 2011 चेन्नई	• 214 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन। • एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 37 झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान किया गया। • प्रतिबंधित एंटिबायोटिक्स (MPEDA द्वारा रिपोर्ट किए गए) का प्रयोग करने वाले पांच फार्मों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय।

बैठकें	तारीख एवं स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
चौतीसवीं बैठक	19 अगस्त, 2011 चेन्नई	• 367 झींगो फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 12 हैचरियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 37 झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान किया गया। • एचटीएल से फार्मों के स्थान का पता लगाने के लिए तमिल नाडु के थुथ्थुकुडी जिले के ग्यारह फार्मों में निरीक्षण दल भेजने का निर्णय। • उन आठ हैचरियों को भविष्य में प्रतिबंधित एंटिबायोटिक्स का प्रयोग न करने की चेतावनी जारी करने का निर्णय जिन्होंने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त जिन हैचरियों ने कारण बताओं नोटिस का उत्तर नहीं दिया उन दो हैचरियों को बंद करने का भी निर्णय लिया गया। • आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों और हैचरियों में रोग निगरानी करने के लिए सीबा को प्राधिकृत करने का निर्णय।
पैंतीसवीं बैठक	10 अक्तूबर, 2011 पोर्ट ब्लेयर	• 89 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 2 हैचरियों को अनुमति प्रदान किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए 11 झींगा फार्मों को अनुमति प्रदान की गई। • एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात के लिए हैचरी को प्राधिकरण से अनुमोदन जारी होने के बाद, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह की समय सीमा अपनाए जाने का निर्णय और यदि इस अवधि में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो अनुमोदन को रद्द माना जाए। • उन दो किसानों को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय जिन्होंने एंटिबायोटिक्स के प्रयोग के लिए कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। प्रतिबंधित एंटिबायोटिक्स के प्रयोग के लिए कारण बताओ नोटिस पर उत्तर न देने वाले दो कृषकों को हैचरी बंद करने की नोटिस जारी करने का निर्णय।

बैठकें	तारीख एवं स्थान	बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
छत्तीसवीं बैठक	3 जनवरी, 2012 चेन्नई	• 274 झींगा फार्मों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया। • एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात और बीज उत्पादन के लिए 13 हैचरियों को अनुमति प्रदान की गई । • एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए 23 फार्मों को अनुमति प्रदान की गई । • एक प्रजाति से दूसरे में पालन को परिवर्तित करने के लिए नामत: एल. वेन्नामई से पी. मोनोडान और उलटा, दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय। • 17 से 21 जनवरी, 2012 के दौरान टीएएनयूवीएएस, चेन्नई में एफसी एंड आरआई, थुथ्यूकुडी और जेआईएफएसएएन, यूएसएफडीए, यूएसए के साथ आयोजित 'अच्छी जलकृषि प्रणालियों पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण' पाठ्यक्रम को प्रायोजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। • सीएजी के उत्तर में वर्ष 2010–11 के लिए प्राधिकरण के परीक्षित लेखा रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

2. झींगा फार्मों का पंजीकरण

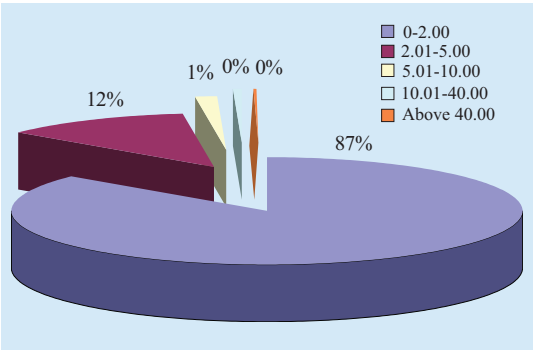
क. राज्य और जिला स्तरीय समितियों, जिन्हें इसी कार्य के लिए गठित किया गया है, उनकी सिफारिशों पर झींगा फार्मों का पंजीकरण कार्य सीएए द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।

ख. प्राधिकरण ने हर दो महीनों में एक बार नियमित रूप से हुई अपनी बैठक में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों पर विचार किया और मार्च, 2012 तक (सीएए के आरंभ होने से) झींगा पालन के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान कर 24,283 प्रमाण पत्र जारी किए।

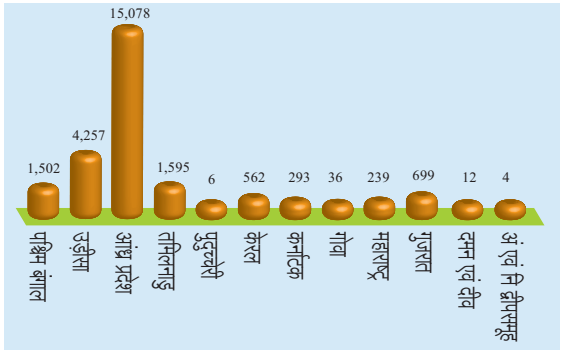
ग. सभी समुद्र तटीय राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण सारणी–2 में दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाला चार्ट भी चित्र 1 और चित्र 2 में दिया गया है। सीएए ने झींगा फार्मों के पंजीकरण पर डाटाबेस को पूरा कर लिया है जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। पंजीकृत फार्मों का विवरण भी उपयोगकर्ताओं के लिए प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है ।

तालिका 2: सीएए द्वारा 36वीं बैठक (दिसम्बर 2005 – मार्च 2012) तक जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	पश्चिम बंगाल	1,333	163	6	0	0	**1,502**
2	उड़ीसा	3,849	371	27	10	0	**4,257**
3	आंध्र प्रदेश	13,922	995	104	48	9	**15,078**
4	तमिलनाडु	850	597	128	19	1	**1,595**
5	पुदुच्चेरी	5	1	0	0	0	**6**
6	केरल	450	97	13	2	0	**562**
7	कर्नाटक	253	36	2	2	0	**293**
8	गोवा	19	14	1	2	0	**36**
9	महाराष्ट्र	80	112	23	18	6	**239**
10	गुजरात	139	549	8	1	2	**699**
11	दमन एवं दीव	0	12	0	0	0	**12**
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	0	0	**4**
	कुल	**20,903**	**2,948**	**312**	**102**	**18**	**24,283**



चित्र 1 दिसम्बर 2005 – मार्च 2012 तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण (क्षेत्रानुसार)



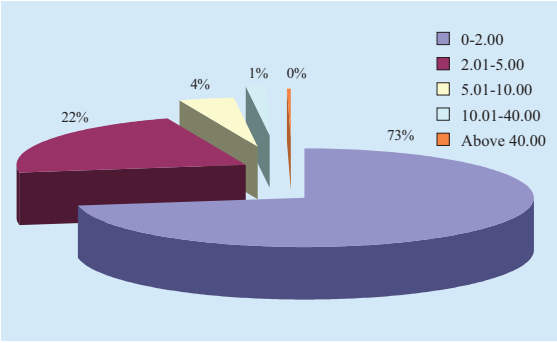
चित्र 2 दिसम्बर 2005 – मार्च 2012 तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण (राज्यानुसार)

घ. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने 1,243 आवेदनों पर विचार किया और अनुमोदन किया। प्राधिकरण की 27वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पंजीकरण प्रमाण पत्र किसानों को सीधे जारी किए गए थे और सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस लौटे प्रमाण पत्रों को राज्यों के एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेज दिया गया था।

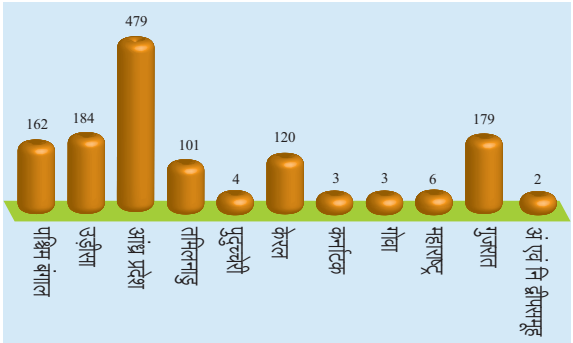
ङ. 12 समुद्र तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 के दौरान प्राधिकरण में पंजीकृत फार्मों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण तालिका–3 में दिया गया है। 12 समुद्र तटीय राज्यों के प्राधिकरण के साथ पंजीकृत क्षेत्रवार फार्मों को दर्शाने वाली सूची आकृति में दर्शाया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण क्षेत्रानुसार चित्र 3 और राज्यानुसार चित्र 4 में दिया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान सीएए के पास पंजीकृत झींगा फार्मों का राज्यवार ब्यौरा आरेख 5 से 15 में दिया गया है।

तालिका 3 : अप्रैल 2011 – मार्च 2012 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.00 से अधिक	कुल
1	पश्चिम बंगाल	136	20	6	0	0	**162**
2	उड़ीसा	174	9	1	0	0	**184**
3	आंध्र प्रदेश	415	38	15	11	0	**479**
4	तमिलनाडु	48	28	21	4	0	**101**
5	पुदुच्चेरी	4	0	0	0	0	**4**
6	केरल	110	10	0	0	0	**120**
7	कर्नाटक	3	0	0	0	0	**3**
8	गोवा	0	2	0	1	0	**3**
9	महाराष्ट्र	6	0	0	0	0	**6**
10	गुजरात	5	166	6	1	1	**179**
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	**0**
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	0	0	**2**
	कुल	**903**	**273**	**49**	**17**	**1**	**1,243**



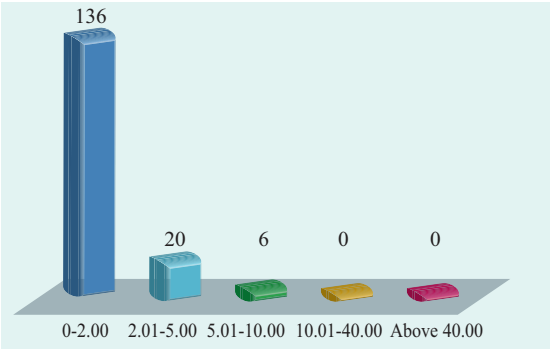
चित्र 3 वर्ष 2011–12 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण (क्षेत्रानुसार)



चित्र 4 वर्ष 2011–12 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों का पंजीकरण (राज्यानुसार)

वर्ष 2011–12 के दौरान सीएए के पास पंजीकृत झींगा फार्मों का राज्यवार ब्यौरा (आरेख 5 से 15)

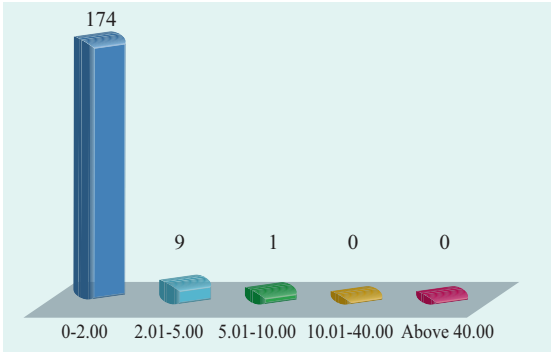
पश्चिम बंगाल



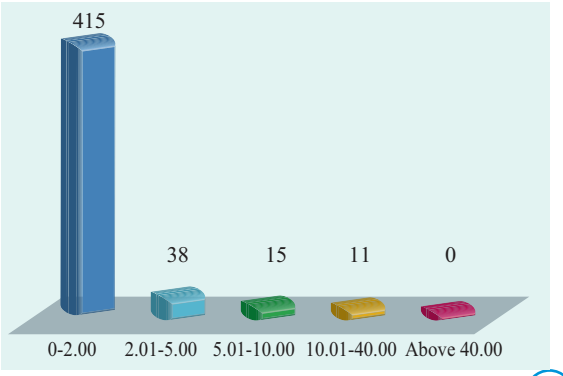
कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	136
2.01 - 5.00	20
5.01 - 10.00	6
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

उड़ीसा

कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	174
2.01 - 5.00	9
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

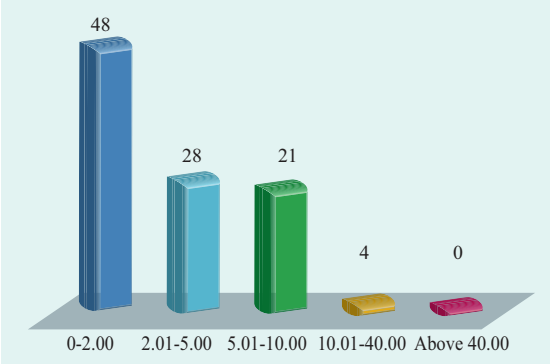


आंध्र प्रदेश



कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	415
2.01 - 5.00	38
5.01 - 10.00	15
10.01 - 40.00	11
40.00 से अधिक	0

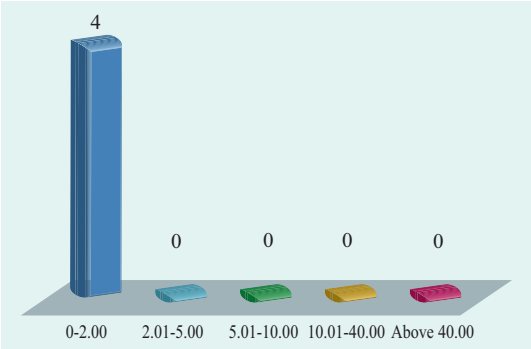
तमिलनाडु



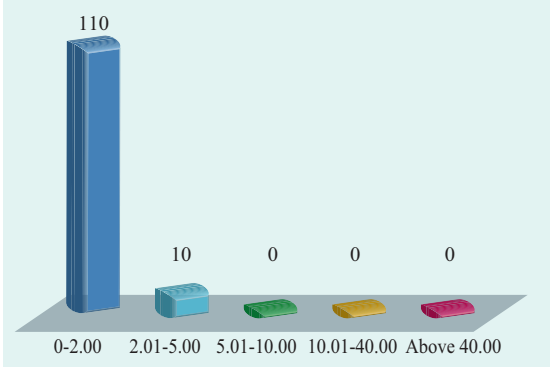
कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	48
2.01 - 5.00	28
5.01 - 10.00	21
10.01 - 40.00	4
40.00 से अधिक	0

पुदुच्चेरी

कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	4
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0



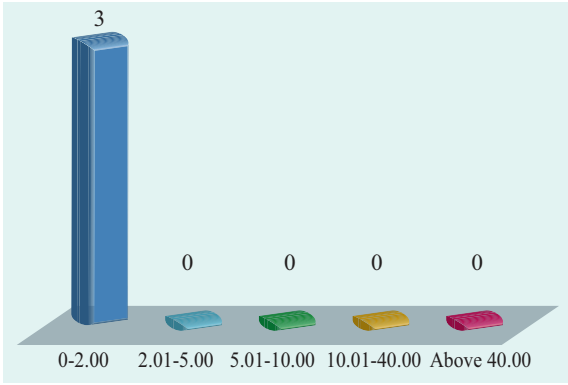
केरल



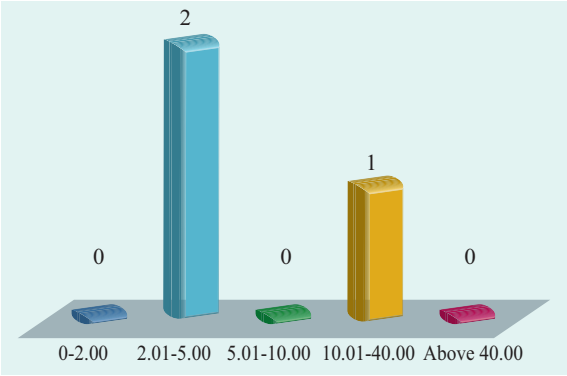
कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	110
2.01 - 5.00	10
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

कर्नाटक

कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	3
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0



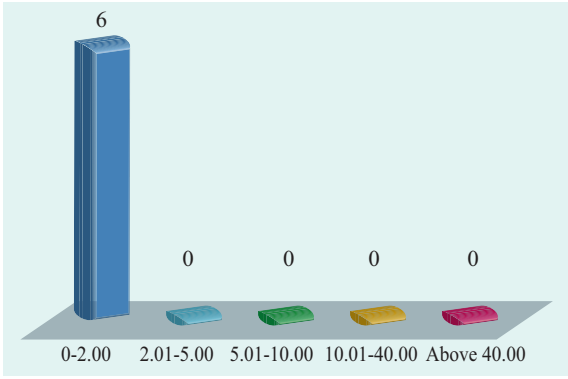
गोवा



कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	0
2.01 - 5.00	2
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	1
40.00 से अधिक	0

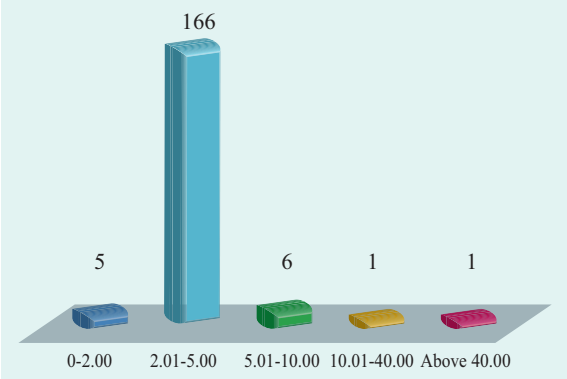
महाराष्ट्र

कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	6
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

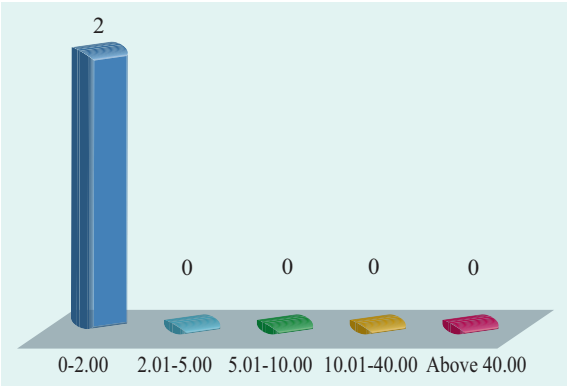


गुजरात

कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	5
2.01 - 5.00	166
5.01 - 10.00	6
10.01 - 40.00	1
40.00 से अधिक	1



अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	फार्मों की संख्या
0 - 2.00	2
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
40.00 से अधिक	0

3. एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन

एल. वेन्नामई की शुरूआत करने के लिए हैचरियों और फार्मों के विनियमन हेतु, कृषि मंत्रालय द्वारा स.का.नि. संख्या 302(ई) दिनांक 30.4.2009 के तहत अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण को एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक के आयात और बिक्री के लिए पोस्ट लार्भी (पीएल) के उत्पादन के लिए हैचरियों को अनुमति प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। तदनुसार, सीएए ने एनएफडीबी, सीबा और एम्पेडा के परामर्श से विश्वव्यापी रूप से विज्ञापन के जरिए एसपीएफ एल. वेन्नामई के नौ ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है, जिनसे वर्ष के दौरान हैचरी मालिक ब्रूडस्टाक का आयात कर सकते हैं।

(i) एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टाक आपूर्तिकर्ताओं का चयन

- सीएए ने सीआईबीए, एनएफडीबी और एम्पेडा के परामर्श से संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ गहन विचार–विमर्श करके अनुवांशिक और रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाने और चयन का कार्य पूरा कर लिया। एसपीएफ एल.

वेन्नामई ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए दो अन्य आपूर्तिकर्ताओं को चयन सूची में रखा गया और चयन किया गया। 2011–12 के लिए निम्नलिखित 9 आपूर्तिकर्ताओं को चयन सूची में रखा गया है:–

1. मै. ओसैनिक इंस्टीच्यूट, हवाई
2. मै. कोना बे मैरिन रिसोर्सेज, हवाई
3. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम, फ्लोरिडा
4. मै. साइक्वा, थाईलैंड
5. मै. वेन्नामई 101 कं. लि. (के साथ संयुक्त उद्यम), थाईलैंड
6. मै. चेरियन पोकफंड फूड्स पब्लिक कं. लि., थाईलैंड
7. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि. सिंगापुर
8. मै. श्रिम्प इंप्रूवमेंट सिस्टम प्रा. लि. हवाई
9. मै. हाई हैल्थ अक्वाकल्चर इंक, हवाई

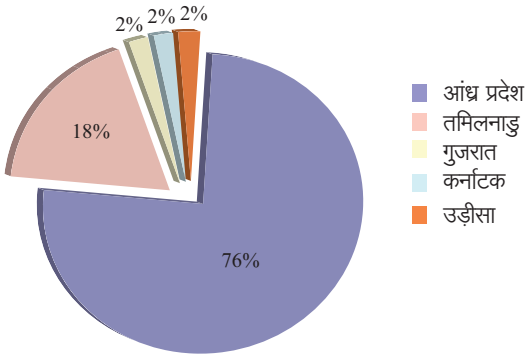
(ii) ब्रूडस्टॉक के आयात पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठकें

- फरवरी, 2012 को हैचरी ऑपरेटर, जिन्हें एसपीएफ एल. वेन्नामई की आयात करने की अनुमति दी गई है, के साथ तकनीकी मूल्यांकन समिति ने दो बैठकों की एवं ब्रूडस्टॉक के आयात से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

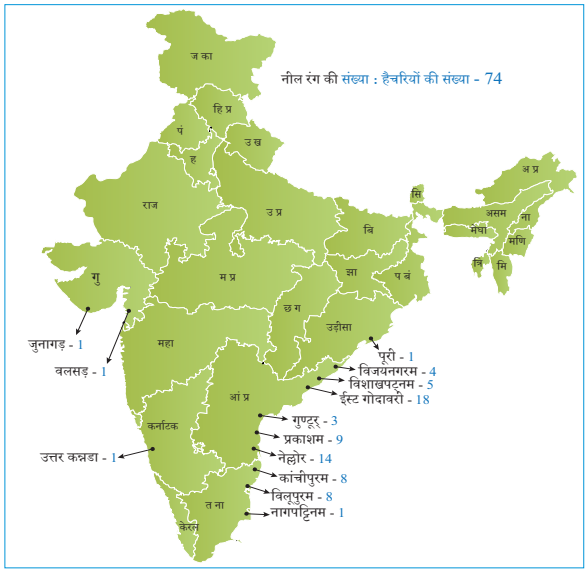
(iii) वर्ष 2011–12 में एसपीएफ एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक का आयात और बीज उत्पादन

- हैचरियों को अनुमति प्रदान करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार, अनुमत्य मात्रा में ब्रूडस्टॉक का आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज उत्पादन करने के लिए वर्ष 2011–12 के लिए 24 हैचरियों को अनुमति का नवीकरण पत्र जारी किए गए हैं । नवीकृत परमिट 31.3.2012 तक मान्य है।
- एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए हैचरी मालिकों से नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करते हुए प्रमुख समाचार पत्रों और सीएए वेबसाइट में दिनांक 11.1.2011 को एक विज्ञापन जारी किया गया था।
- हैचरी संचालकों से कुल 92 आवेदन प्राप्त हुए थे; आवेदनों की संवीक्षा करने के बाद, सीएए द्वारा गठित एक निरीक्षण समिति ने, हैचरियों की जैव सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन करने और उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर, 50 हैचरियों (आंध्र प्रदेश में 38, तमिलनाडु में 9, कर्नाटक में 1, उड़ीसा में 1 और गुजरात में 1) को 2011–12 के दौरान ब्रूडस्टाक के आयात और एसपीएफ एल. वेन्नामई के बीज उत्पादन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जो 31.3.2012 तक मान्य है। यह वर्ष के दौरान नवीनीकृत किए गए 24 परमिट के अतिरिक्त है। एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्यानुसार

वितरण चित्र 16 में और अनुमति प्रदान किए गए हैचरियों का विवरण चित्र–17 में दिया गया है।



चित्र 16 एल. वेन्नामई हैचरियों का राज्यानुसार वितरण



चित्र 17 अनुमति प्राप्त एल. वेन्नामई हैचरियों का वितरण





हैचरियों का निरीक्षण

- इस अवधि के दौरान अनुमति प्रदान किए गए ब्रूडस्टाक की कुल संख्या 48,720 जोड़े थे। परन्तु संगरोध सुविधा में सीमित स्थान मौजूद होने के कारण हैचरियों द्वारा मात्र 18,980 जोड़े आयात किए गए और 2,465.06 मिलियन बीज (पोस्ट लार्भा) का उत्पादन किया गया। हैचरियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से नौप्लनी से पोस्ट लार्भी में बचने का दर अनुमानित रूप से 34.28 प्रतिशत पाया गया है।

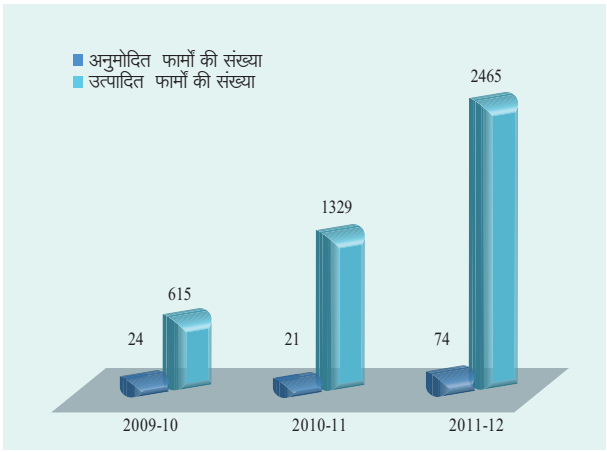


एल. वेन्नामई हैचरी



एल. वेन्नामई बीज उत्पादन

- कार्यक्रम के आरंभ होने से (जुलाई, 2009 से मार्च, 2012) तीन वर्षों की अवधि में, निरीक्षण दल ने 169 हैचरियों में जैव सुरक्षा सुविधाओं का निरीक्षण किया, जिसमें से 5,608 मिलियन एसपीएफ बीजों की उत्पादन संभावना के साथ 74 को सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित फार्मों ने जुलाई, 2009 से मार्च, 2012 तक 4,409.34 मिलियन एसपीएफ एल. वेन्नामई बीजों का उत्पादन करके पंजीकृत फार्मों को आपूर्ति की (चित्र 18)।



चित्र 18 एसपीएफ एल. वेन्नामई बीजों का उत्पादन

(iv) एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए झींगा फार्मों को अनुमति

सीएए ने एसपीएफ एल. वेन्नामई के पालन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए फार्मों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण दल गठित किया। निरीक्षण के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए सत्यापित की गई जैव सुरक्षा आवश्यकताएं इस प्रकार हैं :

i. फार्मों की घेराबंदी;
ii. क्रेब फेन्सिंग
iii. जलाशयों के माध्यम से जल उपभोग;
iv. पक्षी डरावा/पक्षी सुरक्षा जाल लगाना;
v. सक्षम उपचार तंत्र (ईटीएस)



फार्म निरीक्षण



फार्मों की घेराबंदी



फार्म लाइनिंग



क्रेब फेन्सिंग





पक्षि जाल



जलाशय



ईटीएस

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने 2,176.84 हैक्टेयर कुल क्षेत्र (1,504.88 हैक्टेयर डब्ल्यू एस ए) वाले 193 एल. वन्नामई फार्मों पर विचार करते हुए उन्हें अनुमोदन प्रदान किया है, इनका राज्य–वार ब्यौरा सारणी 4 में दिया गया है और उनका प्रतिशत वितरण चित्र 19 में दिया गया है ।

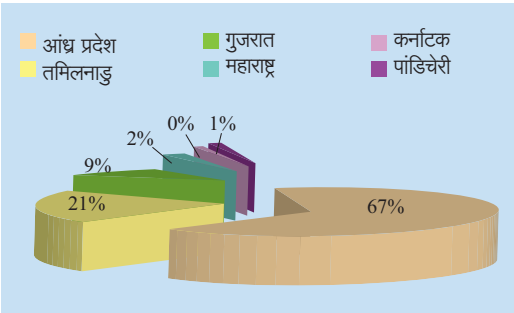
सारणी 4: अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान अनुमति प्रदान किए गए एसपीएफ एल. वेन्नामई का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों की संख्या	टीएफए(है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
1	आंध्र प्रदेश	129	1619.80	1118.89
2	तमिल नाडु	41	276.89	213.78
3	गुजरात	18	172.50	128.56
4	महाराष्ट्र	3	89.64	31.00
5	कर्नाटक	1	0.94	0.80
6	पांडिचेरी	1	17.07	11.85
	कुल	**193**	**2,176.84**	**1,504.88**

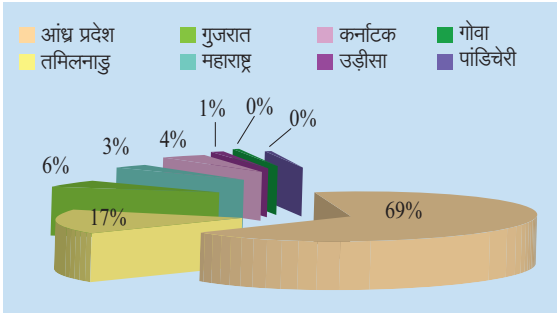
निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर और सदस्य सचिव, सीएए द्वारा और आगे विचार करने पर प्रस्ताव को विचार करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था। मार्च, 2012 तक सीएए के अनुमोदन के अनुसार, 468 झींगा फार्मों को अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया जिसका विवरण तालिका 5 में दिया गया है और उनका प्रतिशत वितरण चित्र 20 में दिया गया है ।।

सारणी 5 : दिसम्बर 2005–मार्च 2012 तक अनुमति प्रदान किए गए एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मों की संख्या	टीएफए(है.)	डब्ल्यूएसए (है.)
1	आंध्र प्रदेश	321	4,062.13	2,767.58
2	तमिल नाडु	79	691.24	472.60
3	गुजरात	28	443.50	303.55
4	महाराष्ट्र	16	514.11	291.12
5	कर्नाटक	17	47.98	38.18
6	उड़ीसा	5	140.08	83.78
7	गोवा	1	5.60	2.80
8	पांडिचेरी	1	17.07	11.85
	कुल	**468**	**5,921.71**	**3,971.46**

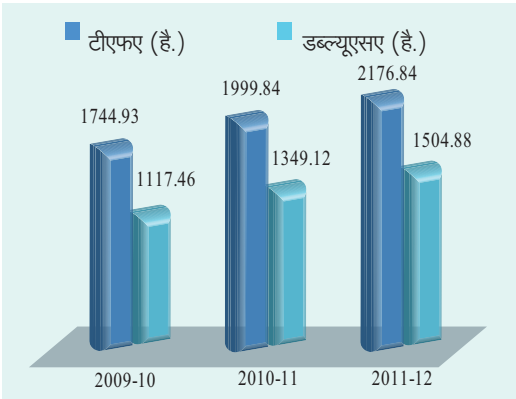


चित्र 19 वर्ष 2011–2012 के दौरान सीएए द्वारा अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण

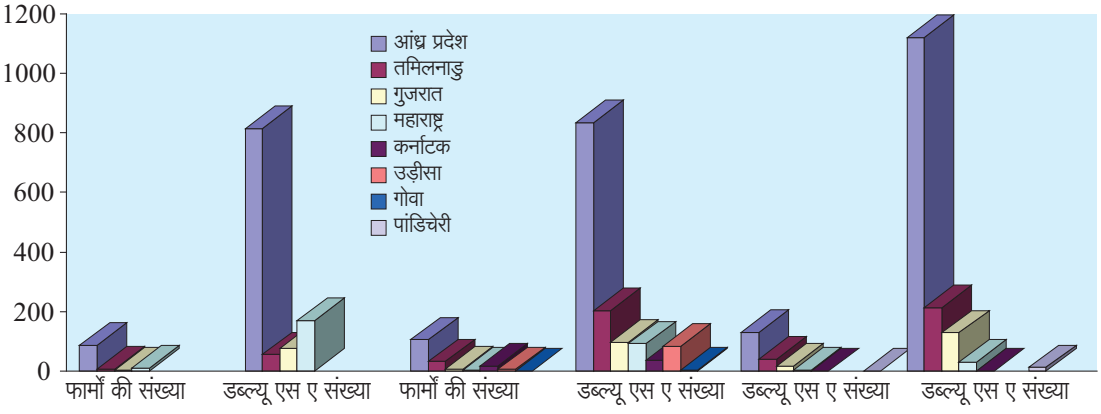


चित्र 20 दिसम्बर 2005 से मार्च 2012 तक सीएए द्वारा अनुमोदित एल. वेन्नामई फार्मों का प्रतिशत वितरण

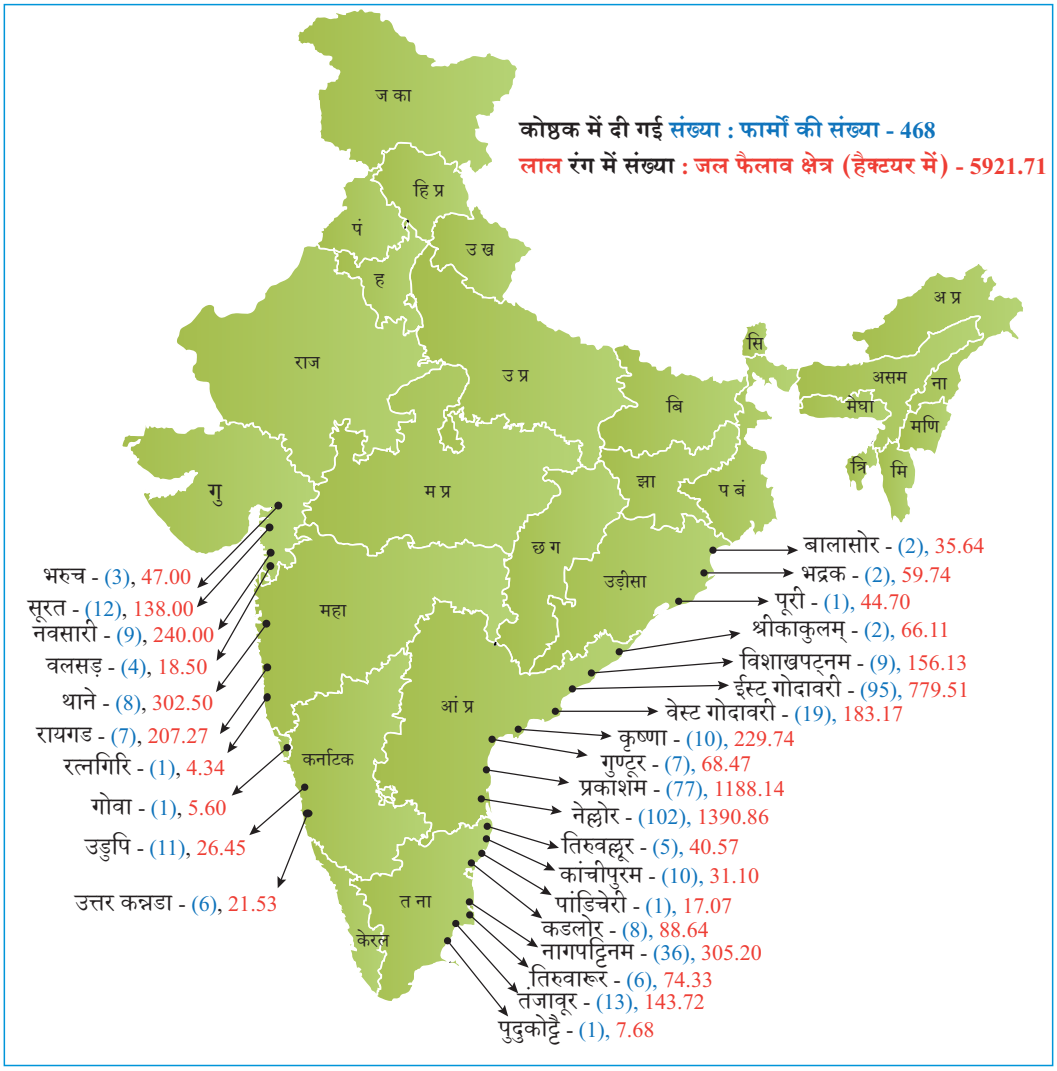
मार्च, 2012 तक तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा 5922 हैक्टेयर कुल क्षेत्र में फैले हुए (3971.46 हैक्टेयर डब्ल्यू एस ए) 468 फार्मों को अनुमति प्रदान की गई (चित्र 21), जिनका जिलावार विवरण चित्र 22 में दिया गया है। अनुमत एसपीएफ एल. वेन्नामई झींगा फार्मों का ब्यौरा समय–समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाता है।



चित्र 21 अनुमत्य एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्म क्षेत्र



चित्र 22 अप्रैल 2009 से मार्च 2012 के दौरान एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों का राज्यानुसार वृद्धि



चित्र 23 एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों का जिलावार विवरण

v. एल. वेन्नामई पालन का राज्यवार कार्यनिष्पादन

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश राज्य ने कुल 4,062.03 हैक्टेयर पालन क्षेत्र और 2,767.58 हैक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र सहित एल. वेन्नामई पंजीकरण की सर्वाधिक संख्या (321) दर्ज की है। तिमाही रिपोर्ट के जरिए कृषकों द्वारा दिए गए आंकड़े के आधार पर एल. वेन्नामई पालन का कार्य निष्पादन संश्लेषण अगले पृष्ठ में दिया गया है:

संख्या	कार्यनिष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	बचने का दर (%)	69 – 92	78.4
2	औसत शरीर का भार (ग्राम)	16 – 41	26.4
3	उपज (मी.टन/है.)	2.7 – 17.39	---
4	एफसीआर	1 – 2	1.44

तमिल नाडु

तमिल नाडु में एल. वेन्नामई पालन 472.6 हैक्टेयर जल प्रभावित क्षेत्र में (691.24 है. कुल फार्म क्षेत्र) सीएए के पास पंजीकृत 79 फार्मों में किए जाते हैं। एल. वेन्नामई पंजीकरण में यह राज्य दूसरे स्थान पर है। इस राज्य में एल. वेन्नामई पालन का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

संख्या	कार्यनिष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	बचने का दर (%)	42-94	81.9
2	औसत शरीर का भार (ग्राम)	17-34	26.5
3	उपज (मी.टन/है.)	3.4-17	---
4	एफसीआर	1.18-2.25	1.49

गुजरात

गुजरात में एल. वेन्नामई पालन के लिए 443.5 है. कुल पालन क्षेत्र (303.55 है. जल प्रभावित क्षेत्र) के साथ पंजीकृत फार्मों की संख्या 28 है। हालांकि अनुमत्य क्षेत्र के आधार पर यह राज्य तीसरे स्थान पर है, पर अन्य राज्यों की परिणामों की तुलना में इस राज्य में एल. वेन्नामई पालन का कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट है। कृषकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट के आधार पर किया गया विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है:

संख्या	कार्यनिष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	बचने का दर (%)	69-97	86.2
2	औसत शरीर का भार (ग्राम)	20-39	30.7
3	उपज (मी.टन/है.)	4.3-15.3	---
4	एफसीआर	1.3-1.7	1.48

महाराष्ट्र

पालन के अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर, महाराष्ट्र 514.00 है. कुल पालन क्षेत्र (291.12 है. जल प्रभावित क्षेत्र) के साथ चौथे स्थान पर है। इस राज्य में पंजीकृत फार्मों की संख्या 16 है। इस राज्य में एल. वेन्नामई पालन का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

संख्या	कार्यनिष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	बचने का दर (%)	40-93	69.5
2	औसत शरीर का भार (ग्राम)	10-25	18.6
3	उपज (मी.टन/है.)	2.7-12.3	—
4	एफसीआर	1.26-2.2	1.63

कर्नाटक

इस राज्य में 47.98 है. कुल पालन क्षेत्र (38.18 है. जल प्रभावित क्षेत्र) के साथ पंजीकृत फार्मों की संख्या 17 है। इस राज्य में सभी पंजीकृत किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 4.05 है. से कम जल प्रभावित क्षेत्र है। इस राज्य में एल. वेन्नामई पालन का कार्यनिष्पादन नीचे प्रस्तुत है:

संख्या	कार्यनिष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	बचने का दर (%)	52-95	81.4
2	औसत शरीर का भार (ग्राम)	20-38	27.8
3	उपज (मी.टन/है.)	2.2-14.15	—
4	एफसीआर	1.12-1.37	1.35

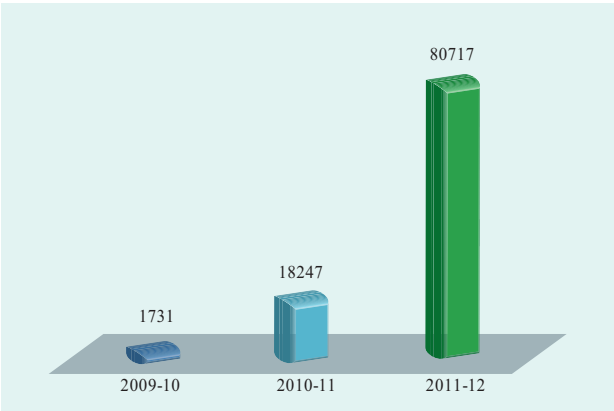
उड़ीसा

उड़ीसा राज्य में 140.08 है. कुल पालन क्षेत्र (83.78 है. जल प्रभावित क्षेत्र) के साथ एल. वेन्नामई पालन के लिए पंजीकृत फार्मों की संख्या 5 है। एल. वेन्नामई पालन के लिए पंजीकृत सभी फार्म बड़े फार्म हैं जिनके पास 8.00 है. से अधिक जल प्रभावित क्षेत्र है। इस राज्य में एल. वेन्नामई पालन का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

संख्या	कार्यनिष्पादन सूचक	क्षेत्र	औसत
1	बचने का दर (%)	51-98	67.0
2	औसत शरीर का भार (ग्राम)	16-25	18.5
3	उपज (मी.टन/है.)	2.67-7.4	—
4	एफसीआर	1.03-3.2	1.85

(vi) एसपीएफ एल. वेन्नामई का उत्पादन

वर्ष 2011–12 के दौरान, सीएए ने कुल 193 फार्मों को 3971.46 हेक्टेयर डब्ल्युएसए क्षेत्र में 31.03.2012 तक एसपीएफ एल. वेन्नामई के कल्चर की अनुमति प्रदान की । 2011–12 के दौरान इन फार्मों में 80,711 मी.टन एल. वेन्नामई की पैदावार हुई है (चित्र 24)। इनके जीवित रहने की दर 67 से 86.2 प्रतिशत के बीच है और कल्चर की अवधि 33 दिन से लेकर 207 दिन तक होती है। शरीर का औसत भार 18.5–30.2 ग्राम तक होता है और खाद्य परिवर्तन अनुपात 1.35 से 1.85 के बीच रहा। प्रति हैक्टेयर उपज 2.2 से 17.39 मी. टन के बीच रही।



चित्र 24 2009–10 से 2011–12 के दौरान एल. वेन्नामई के उत्पादन में वृद्धि



एरेशन



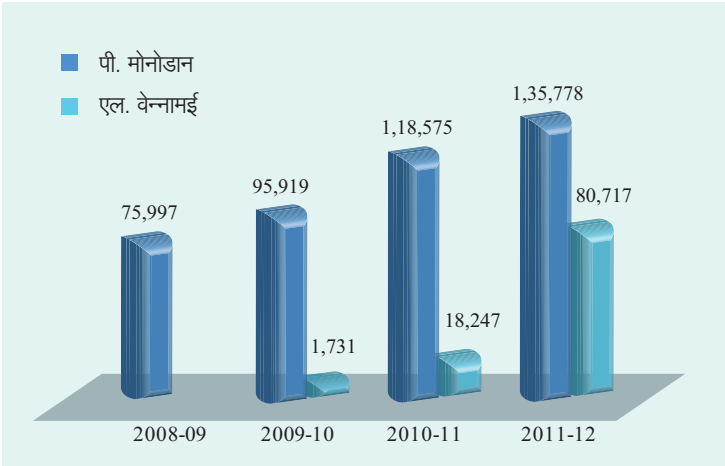
निगरानी चैक ट्रे





मुख्य द्वार एवं निकासी में फिल्टर बैग बंधे हुए

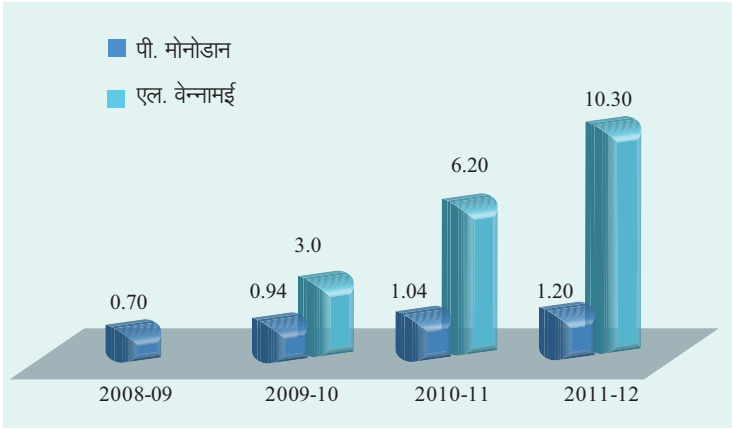
पी. मोनोडान और एल. वेन्नामई के उत्पादन में तुलना करने पर यह देखा गया था कि :



चित्र 25 एल. वेन्नामई एवं पी. मोनोडान के उत्पादन में वृद्धि

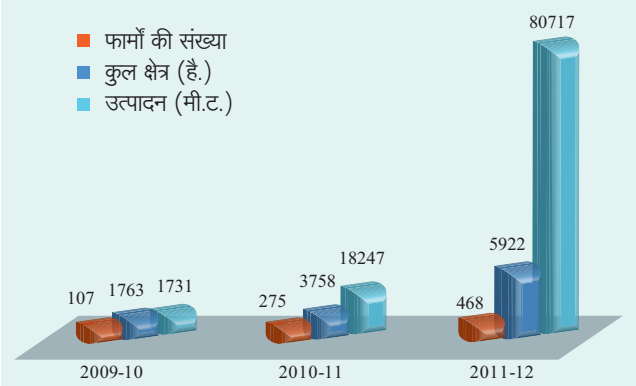
जबकि पी. मोनोडान की अनुमानित उत्पादन में 2008–09 के दौरान 0.76 लाख टन से चार वर्षों की अवधि में 2011–12 के दौरान 1.36 लाख टन की वृद्धि हुई है, एल. वेन्नामई के उत्पादन में 2009–10 में 1,731 मी. टन से 2011–12 के दौरान 80,717 मी. टन की वृद्धि हुई है जो तीन वर्षों की अवधि में असाधारण वृद्धि दर्शाती है (चित्र 25)।

- 2011–12 में लगभग 2.16 लाख टन (अनन्तिम) कुल झींगा उत्पादन में एल. वेन्नामई का अंशदान 37.28 प्रतिशत है।
- एल. वेन्नामई फार्मों की उत्पादकता में 2009–10 के दौरान 3.0 मी. टन प्रति है. प्रतिवर्ष से 2011–12 के दौरान 10.30 मी. टन प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष की असाधारण वृद्धि हुई है, जबकि पी. मोनोडान की उत्पादकता में मात्र 0.70 से 1.19 मी. टन प्रति है. प्रतिवर्ष की आंशिक वृद्धि हुई है (चित्र 26)। एल. वेन्नामई फार्मों की उत्पादकता में वृद्धि से झींगा फार्मों की कुल उत्पादकता को प्रभावित करते हुए 2008–09 के दौरान 0.7 मी. टन प्रति है. प्रतिवर्ष से 2011–12 के दौरान 5.7 मी. टन प्रति है. प्रतिवर्ष की व्यापक वृद्धि हुई है।



चित्र 26 एल. वेन्नामई फार्म व पी.मोनोडान में उत्पादकता वृद्धि

- जैव सुरक्षित पालन सुविधाओं को सुनिश्चित करने से 1.04 मी. टन प्रति है. प्रतिवर्ष पी. मोनोडान की तुलना में एल. वेन्नामई फार्मों की औसतन उत्पादन 7.5 मी. टन प्रति है. प्रतिवर्ष हो गई है। कुल उत्पादन में 2009–10 में 1,731 मी. टन से 2010–11 में 18,247 मी. टन और 2011–12 के दौरान 80,717 मी. टन की वृद्धि हुई है (चित्र 27)।

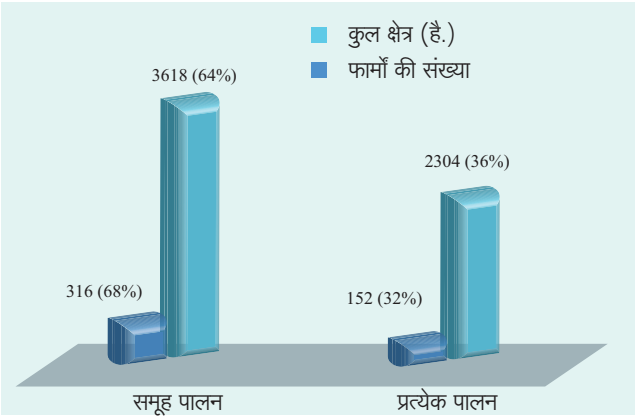


चित्र 27 भारत में एल. वेन्नामई फार्मों की वृद्धि

- खाद्य परिवर्तन अनुपात पी. मोनोडान (160–175 दिनों की पालन अवधि में) में 1.6:1 की तुलना में एल. वेन्नामई में 1.4:1 था (120–130 दिनों की पालन अवधि में)।

समूह पालन प्रणाली का प्रयोग करते हुए एल. वेन्नामई पालन

समूह पालन प्रणाली के पंजीकरण ने एल. वेन्नामई पालन की शुरूआत करने के लिए छोटे किसानों का मार्ग खोल दिया है। चूंकि एल. वेन्नामई पालन के लिए ईटीएस अनिवार्य है, छोटे किसानों ने संयुक्त रूप से एल. वेन्नामई फार्म के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। उन्होंने समूह तैयार करके एकल ईटीएस और जैव सुरक्षा उपायों का प्रयोग करते हुए एल. वेन्नामई पालन आरंभ किया। अब तक 2,492.55 है. जल प्रभावित क्षेत्र सहित सीएए द्वारा पंजीकृत 316 की संख्या में समूह फार्म (68 प्रतिशत) मौजूद है (चित्र 28).



चित्र 28 एल. वेन्नामई फार्मों में समूह पालन

(vii) एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों की निगरानी

- अनुमति प्रदान किए गए हैचरियों में एसपीएफ एल. वेन्नामई बीज उत्पादन की निगरानी सीएए द्वारा प्राधिकृत निगरानी दल द्वारा की गई थी जिसके अंतर्गत रिकार्ड रख–रखाव, हैचरी का कार्यनिष्पादन और जैव सुरक्षा पहलुओं पर नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है।



एसपीएफ एल. वेन्नामई हैचरियों की मॉनिटरिंग



रिकार्ड का सत्यापन

- निगरानी दल द्वारा अनुमति प्रदान किए गए हैचरियों के कुल 52 दौरे (आंध्र प्रदेश में 38 और तमिलनाडु में 14) किए गए थे।
- उत्पादन सुविधाओं की जांच की गई और रिकार्ड का सत्यापन किया गया। हैचरियों को कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 1 मई, 2009 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रिकार्ड के रख–रखाव की सलाह दी गई।
- हैचरियों से निकलने वाले गंदे जल की गुणवत्ता कीं जांच के लिए ईटीएस के अंतिम डिस्चार्ज प्वाइंट से गंदे जल के नमूने एकत्र किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंदे जल का मानक सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। उन हैचरियों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं जहां से सीएए द्वारा अनुमत्य मानकों से अधिक गंदे जल की निकासी हो रही थी।



हैचरियों में ईटीएस



एक गैर कानूनी हैचरी का निरीक्षण

- झींगा हैचरियों की नियमित निगरानी करने के साथ–साथ किसी विशिष्ट शिकायत पर एल. वेन्नामई के गैर कानूनी रूप से उत्पादन का पता लगाने के लिए निरीक्षण दल आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में 3 हैचरियों और तमिलनाडु के कांचीपुरम और विल्लूपुरम जिले के 10 हैचरियों का निरीक्षण किया। इनमें

से, दल ने एल. वेन्नामई ब्रूडस्टॉक और लर्भाल स्तर के एल. वेन्नामई (तमिलनाडु में 3 और आंध्र प्रदेश में 1) पाए हैं। इस दल ने उन चार हैचरियों में लगभग 2,400 संख्या में गैर कानूनी तालाब में पालन किए गए ब्रूडस्टॉक और 10.5 मिलियन लार्वा स्तर को नष्ट किया और आगे की कार्रवाई प्रगति पर है।

4. जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रयोगशाला

हैचरियों और फार्मों से बेकार जल की नियमित रूप से मानिटरिंग करने के लिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सीएए अधिनियम एवं नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत हैं, सीएए के तकनीकी अनुभाग में एक जल गुणवत्ता मानिटरिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला को सीएचएनएसओ विशेषक, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नाईट्रोजन केज्वलिटी डिस्टिलेशन यूनिट, मल्टिपैरामीटर वाटर क्वालिटी संडस, जल गुणवत्ता निगरानी के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के अलावा मिल्लिपोर टाइट्रेशन सिस्टम जैसे प्रमुख उपकरणों को स्थापित करते हुए पूर्ण रूप से सुसज्जित किया गया है।





सीएए प्रयोगशाला

5. वेबसाइट को अद्यतन बनाया गया

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की वेबसाइबट का पता www.caa.gov.in है और यह साइट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र चेन्नई द्वारा अपलोड की जाती है । इसमें वैश्विक स्तर पर आंकड़े देखे जा सकते हैं और विदेशी विक्रेताओं की जानकारी के लिए झींगा का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होता है । इसके अलावा, झींगा पालक तथा हैचरी आपरेटर पंजीकरण के आवेदन फार्म तथा एसपीएफ एल.वन्नामई फार्मिंग तथा ब्रूडस्टॉक के आयात, संगरोध, बीज उत्पादन के दिशा–निर्देशों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट से सम्पर्क करते हैं। वेबसाइट पर विस्तृत सूचना प्रस्तुत की गई है जिसे नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

6. सीएए मुख्यालय के लिए भवन

इस समय, प्राधिकरण हेड़ोज रोड, चेन्नई-600 006 स्थित शास्त्री भवन के एक छोटे से हिस्से में कार्य कर रहा है और इसे जितना स्थान आवंटित किया गया है वह वर्तमान मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस

कारण, प्राधिकरण का तकनीकी अनुभाग वेपेरी के किराए पर लिए गए भवन में कार्य कर रहा है। जगह की कमी के कारण विशेष बैठकें और कार्यशालाएं बाहर कहीं आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण ने चेन्नई स्थित इसके मुख्यालय के स्टॉफ के लिए रिहायशी आवास के अलावा कार्य संबंधी सुविधाओं जिनमें प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण कक्षाएं, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष/समिति कक्ष आदि शामिल हैं, के लिए भव्य योजनाएं बनाई हैं। इसलिए, चेन्नई में प्राधिकरण के एक राष्ट्रीय मुख्यालय काम्पलैक्स का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजन हेतु सरकारी जमीन के आवंटन के मामले पर राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की जा रही है।

7. सीएए द्वारा हिन्दी सप्ताह मनाया जाना

सीएए ने 21 से 27 सितम्बर, 2011 तक हिन्दी सप्ताह मनाया। श्री आशीश कुमार खरे, हिन्दी अनुवादक, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, चेन्नई की सेवाओं का लाभ उठाते हुए प्राधिकरण के स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण/दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए 20 सितम्बर, 2011 को एक विशेष कक्षा का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान इन पाठ्यक्रमों नामत: (i) श्रुतिलेख और (ii) पत्र लेखन पर दो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई और इनमें सफलता पाने वाले अधिकारियों/स्टॉफ को पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल 14 स्टाफ सदस्यों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।





सीएए में हिन्दी सप्ताह का आयोजन

8. सीएए की बाहरी गतिविधियाँ

(i) मेला/प्रदर्शनों में भागीदारी

- सीएए ने 21–25 नवम्बर, 2011 के दौरान एशियाई मत्स्यपालन सोसाइटी के मत्स्य स्वास्थ्य खंड और मात्स्यिकी कालेज, मंगलौर द्वारा आयोजित 'एशियाई जलकृषि में रोगों से संबंधित 8वां सिम्पोसियम' मे भाग लेते हुए अपना स्टाल लगाया था।

- सीएए ने केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान द्वारा संस्थान के रजत जयंती के अवसर पर 23–24 फरवरी, 2012 को आयोजित 'भारतीय जलकृषि में नए परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन' में भी भाग लिया। इन दोनों अवसरों पर सीएए उद्देश्यों, कार्यों और क्रियाकलापों को दर्शाने के साथ–साथ कृषकों और हैचरी संचालकों के हितों के लिए स्टाल पर जलकृषि में एंटीबायोटिक, रसायन और दवाओं के प्रयोग के प्रति जागरूकता और एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन के लिए दिशानिर्देश और जैव सुरक्षा आवश्यकताओं के अलावा झींगा पालकों द्वारा अपनाए जाने वाले झींगा पालन संबंधी दायित्व, कार्यकलाप और बेहतर प्रबंधन प्रैक्टिएस को दर्शाने वाले पोस्टर लगाए गए थे।





प्रदर्शनियों में सीएए के स्टॉल

(ii) राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 25.5.2011 को उड़ीसा के बालासोर जिले में राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 15 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण मुख्यत: 'एल. वेन्नामई फार्मों के निरीक्षण और निगरानी' पर केन्द्रित था। ब्रूडस्टॉक के निर्यात, बीज उत्पादन एवं एसपीएफ एल. वेन्नामई की खेती के लिए दिशानिर्देशों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई तथा विस्तार से चर्चा की गई ।



बालासोर में प्रशिक्षण प्रगति पर



फील्ड में अधिकारी



प्रशिक्षण में भाग लेनेवाले अधिकारी

- राज्य मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान(एसआईएफटी) काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में 7 से 9 सितम्बर, 2011 को राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए 'एसपीएफ एल. वेन्नामई पालन' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।



काकिनाड़ा में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारी

- सिबा, चेन्नई, तमिलनाडु में राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए सिबा और एनएफडीबी की सहयोगिता से 'झींगा फार्मों के पंजीकरण आरैर जलकृषि की अच्छी प्रणालियों से जुड़े राज्य सरकार के अधिकारियों की निपुणता उन्नयन' में चार संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसका राज्यवार ब्यौरा सारणी में दिया गया है।

तालिका 6 : राज्यों के मात्स्यिकी अधिकारियों के लिए आयोजित किये गए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	तटीय राज्य	प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि	भागीदारों की संख्या
1	कर्नाटक	13–15 अक्तूबर, 2011	7
2	केरल	3–5 नवम्बर, 2011	28
3	उड़ीसा	15–17 नवम्बर, 2011	27
4	पश्चिम बंगाल	28–30 नवम्बर, 2011	3
		कुल भागीदार	**65**



चेन्नई में फील्ड पर प्रशिक्षार्थी



चेन्नई में प्रशिक्षण प्रगति पर

- एसपीएफ एल. वेन्नामई फार्मों के निरीक्षण और निगरानी के लिए राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों तमिलनाडु और गुजरात में क्रमश: 15.12.2011 और 23.12.2011 को दो उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। प्रतिभागियों को सीएए पंजीकृत फार्म में भी ले जाया गया जहां निरीक्षण और निगरानी के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया और प्रदर्शित किया गया।



परंगीपेट्टी में प्रशिक्षण के दौरान प्रस्तुति/चर्चा



परंगीपेट्टी में फील्ड पर प्रशिक्षार्थी

- जलकृषि की अच्छी प्रणालियों और पंजीकरण पर कृषकों को शिक्षित करने के लिए सेंटर आफ एडवांसड स्टडीस इन मरीन बायोलाजी एट परंगीपेट्टी, साउथ आर्कट जिला, तमिलनाडु की सहभागिता में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।



गुजरात में प्रशिक्षण के दौरान प्रस्तुति



गुजरात में फील्ड पर प्रशिक्षार्थी



गुजरात में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षार्थी सीएए के निदेशक के साथ

(iii) जलकृषि की अच्छी प्रणालियों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

सीएए ने मात्स्यिकी कालेज एवं अनुसंधान संस्थान थुथ्थुकुडी के साथ फूड सेफ्टी एवं एप्लाइड न्यूट्रिशन के लिए संयुक्त संस्थान (जेआईएफएसएएन), यूएसएफडीए, मेरीलेंड विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा आयोजित 'जलकृषि की अच्छी प्रणालियों पर प्रशिक्षु प्रशिक्षण' पाठ्यक्रम को 17 से 21 जनवरी, 2012 के दौरान तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय (टीएएनयूवीएएस) में प्रायोजित एवं समन्वित किया था। इस पाठ्यक्रम को यूएसए

से 6 विशेषज्ञों के दल द्वारा निपटाया गया (जेआईएफएसएएन/यूएसएफडीए से चार नामत: डा. ब्रेट कून्स, डा. स्टेन्ले स्टर्फलिंग, मि. ब्रूस रास एवं डा. जान स्पाउल, मेरीलैंड विश्वविद्यालय से एक विशेषज्ञ नामत: डा. थामस रिपन एवं वर्जीनिया पालीटेक्निक इंस्टीट्यूट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी से एक विशेषज्ञ नामत: डा. माईकन शेआर्ज) और सदस्य सचिव, सीएए द्वारा मेजवान देश का प्रस्तुतिकरण। कार्यक्रम में व्याख्यान, प्रस्तुतिकरण, समस्या विश्लेषण, फार्म और आहार उत्पादन सुविधा, दौरे और मूल्यांकन शामिल था। पाठ्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों और दर्शकों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त सर्वोच्च कार्यक्रम को विकसित करने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण माड्यूल भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षण का उद्घाटन डा. आर. प्रभाकरण, उप कुलपति, तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (टीएएनयूवीएएस) चेन्नई द्वारा किया गया था और विदाई भाषण डा. लाचन्द्रन, रजिस्ट्रार, टीएएनयूवीएएस द्वारा दिया गया। पाठ्यक्रम में 23 संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विदाई समारोह के अतिथि संकाय सदस्य द्वारा 38 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम की सराहना की और जेआईएफएसएएन ने आगे की सहभागिता के लिए रुचि व्यक्त की।



न्यायमूर्ति डॉ. ए.के. राजन, पूर्व अध्यक्ष, सीएए, अध्यक्षीय भाषण देते हुए



डा. आर. प्रभाकरण, उप कुलपति, टीएएनयूवीएएस,
उद्घाटन भाषण देते हुए



सत्र प्रगति पर



प्रतिभागियों को प्रमाणपत्रों का वितरण





उद्घाटन समारोह के अतिथियों एवं संकाय के साथ प्रतिभागी



उद्घाटन समारोह में प्रतिभागी संकाय एवं अतिथियों के साथ

9. (i) सीएए सदस्यों/अधिकारियों द्वारा अन्य संगठनो द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/विचार गोष्ठियों में भागीदारी

- सदस्य सचिव ने 4.4.2011 को नई दिल्ली में हुई जलीय पशु रोग पर द्वितीय विशेषज्ञ श्रेणी की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने योजना आयोग द्वारा गठित मत्स्यपालन एवं जलकृषि के विकास एवं प्रबंधन पर बाहरवीं योजना कार्यदल की 15.4.2011 को हैदराबाद में हुई पहली बैठक में भाग लिया।

- सदस्य सचिव ने नई दिल्ली में 19.4.2011 को हुई एनएफडीबी की 18वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 20.5.2011 को नई दिल्ली में एफवीओ मिशन की अंतिम बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 23.5.2011 को नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आयोजित जैव विविधता पर यू एन दशक के उद्घाटन में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने योजना आयोग द्वारा गठित 12वीं योजना के लिए मत्स्यपालन एवं जलकृषि के विकास और प्रबंधन पर कार्यदल की 24.5.2011 को कोची में हुई बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने जलीय संगरोध सुविधा के विस्तार और प्रचालन पर 14.7.2011 को नई दिल्ली में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा संयोजित की गई विशेष बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने सीआईएफआरआई, बेरकपुर में हुई मत्स्यपालन और जलकृषि के विकास और प्रबंधन पर कार्यदल की 12वीं योजना की 22.7.2011 को हुई दूसरी बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने मात्स्यिकी प्रभाग, नई दिल्ली में 2.8.2011 को हुई मल्टिप्लीकेशन सेन्टर स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए गठित समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने नई दिल्ली में 3.8.2011 को हुई एनएफडीबी की 19वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 18.8.2011 को चेन्नई में हुई 12वीं योजना के लिए मत्स्यपालन एवं जलकृषि का विकास और प्रबंधन पर कार्यदल की बैठक में भाग लिया।
- सीएए, चेन्नई में 18.8.2011 को हुई, अभिरुची व्यक्त करने के प्रयोजन के उत्तर में एसपीएफ एल. वेन्नामई और एसपीएफ पी.मोनोडान के लिए, सदस्य सचिव ने मात्स्यिकी प्रभाग, नई दिल्ली में हुई मल्टिप्लीकेशन सेन्टर स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए गठित समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने प्रबंधों पर विचार विमर्श करने के लिए 23.9.2011 को नई दिल्ली में राज्य मत्स्यपालन मंत्रियों के सम्मेलन के लिए आरंभिक बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए 28.9.2011 को हैदराबाद में हुई अंतर्देशीय लवणीय जल में एल. वेन्नामई पालन पर बैठक में भाग लिया।
- सीएए, चेन्नई में 12.10.2011 को हुई, अभिरुची व्यक्त करने के प्रयोजन के उत्तर में एसपीएफ एल. वेन्नामई और एसपीएफ पी.मोनोडान के लिए, सदस्य सचिव ने मल्टिप्लीकेशन सेन्टर स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा गठित समिति की चौथी बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 14.10.2011 को नई दिल्ली में हुई जलीय पशु रोग पर विशेषज्ञ दल की बैठक (दूसरी बैठक) में भाग लिया।

- तमिलनाडु सरकार की 12वीं प्लान योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए सिंचाई को शामिल करते हुए जलकृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर संचालन समिति द्वारा गठित 'अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जलकृषि' पर उप समिति के अध्यक्ष के रूप में सदस्य सचिव ने सीएए, चेन्नई में उप समिति की दो बैठकों का संयोजन किया, जिसमें राज्य सरकार के मत्स्यपालन विभाग से वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया था और उप समिति ने 15 नवम्बर, 2011 को राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी।
- विजियनगरम और श्रीकाकूलम में विशेष अन्वेषण के अंश के रूप में एसपीएफ पी.मोनोडान के रिपोर्ट किए गए बीज उत्पादन के लिए मैसर्स न्यूजेन बायोश्रिम्प टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के दो हैचरियों के निरीक्षण के लिए सदस्य सचिव ने 15.12.2011 को एक दल का नेतृत्व किया।
- सदस्य सचिव ने सत्र: 'पोषण एवं स्वास्थ्य' की अध्यक्षता की और चेन्नई में 19–23 दिसम्बर, 2011 को हुई एशियन मत्स्यपालन सोसाइटी द्वारा आयोजित 9वीं भारतीय मत्स्यपालन फोरम के सत्र में आधार व्याख्यान दिया।
- सदस्य सचिव ने विशेष अतिथि के रूप में 23/24.2.2012 को हुई सीआईबीए के रजत जयंती समारोह में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 27.2.2012 को नई दिल्ली में हुई एनएफडीबी के 20वें कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 28/29.2.2012 को चेन्नई में हुई सीआईबीए की अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव ने 19/20.2.2012 को भुवनेश्वर में हुई सीआईएफए की अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
- निदेशक(तकनीकी), सीएए ने लघु स्तर के कृषकों के सशक्तिकरण के लिए 'बेहतर प्रबंधन प्रणालियों (बीएमपी) और समूह प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला: सीआईबीए, चेन्नई में 16–18 मई, 2011 के दौरान सीआईबीए/एएसईएम/ एमपीईडीए/एनएसीए द्वारा आयोजित कार्यशाला ईयू–एफपी7 परियोजना 'एएसईएम जलकृषि प्लेटफार्म' में भाग लिया।
- निदेशक(तकनीकी), सीएए ने 4.7.2011 को हुई जलीय जलवायु पर सीआईबीए–एनएसीए अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए पणधारियों के पेनल के गठन के लिए प्रारूप तकनीकी एवं नीति को अंतिम रूप देने के लिए हुई विचार विमर्शों में भाग लिया।
- निदेशक(तकनीकी), सीएए ने 8 नवम्बर, 2011 को आईसीएआर के एनएएससी काम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में पशु और मत्स्यन विज्ञान प्रभाग से एनएआरएस वैज्ञानिकों के साथ केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा संयोजित आपसी विचार विमर्श बैठक में भाग लिया।
- 14–25 मई, 2011 को हुई यूरोपीय आयोग से खाद्य और पशुचिकित्सा लेखा परीक्षा कार्यालय ने यूरोपीय संघ में निर्यात के उद्देश्य से मात्स्यिकी और जलकृषि उत्पादों के उत्पादन को शामिल करने में

नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए भारत का दौरा किया। सीएए द्वारा अपेक्षित आदान प्रदान किए गए और सीएए से अधिकारियों ने आरंभिक एवं समापन बैठक में भाग लिया और गुजरात और केरल में झींगा फार्मों के फील्ड दौरे करने वाले दल के साथ थे।



एफवीओ ऑडिट कोची–13–05–211



पशुचिकित्सा मेडिकल शॉप में एफवीओ ऑडिट 15–11–2011





एफवीओ टीम द्वारा 16.11.2011 को सूरत में फार्म का दौरा

- सीएए के सदस्य सचिव, निदेशक, सहायक निदेशक, सलाहकार, परामर्शदाता और दो वरिष्ठ तकनीकी सहायकों ने 23 से 24 फरवरी, 2012 को केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए) द्वारा आयोजित 'भारतीय जलकृषि में नए परिदृश्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन' में भाग लिया।
- निदेशक(तक.), सहायक निदेशक(तक.), सलाहकार, परामर्शदाता और दो वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने 9–10 मार्च, 2012 को चेन्नई में जलकृषि व्यवसायियों के लिए सोसाइटी द्वारा आयोजित 'एक्वा इंडिया 2012 भारतीय जलकृषि बदलता युग' में भाग लिया।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

- निदेशक(तक.), सीएए ने 12–16 सितम्बर, 2011 के दौरान बैंकाक, थाईलैंड में हुई लघु स्तरीय जलकृषि के प्रमाणीकरण पर एफएओ टीसीपी परियोजना पर आवधिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए नियुक्त किए गए थे और 'भारत में जलकृषि प्रमाणीकरण' पर स्थिति दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

III. ख. वर्ष 2012–13 के दौरान किए जाने वाले कार्य

(i) **पंजीकरण:** तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण एवं नवीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है । आशा की जाती है कि अप्रैल, 2011 और मार्च, 2012 की अवधि के दौरान देश के और अधिक जलकृषि फार्मों और हैचरियों को पंजीकृत किया जाएगा ।

(ii) **एल. वेन्नामई कल्चर के लिए अनुमोदन:** एल. वेन्नामई कल्चर के तहत लगभग 2000 हैक्टार अतिरिक्त पोखर क्षेत्र लाया जाएगा ।

(iii) **निरीक्षण एवं मानीटरिंग:** प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं विशेष रूप से फार्मों से निकलने वाले अपजल की गुणवत्ता की आवधिक मानीटरिंग की जाएगी । इसके अलावा, शिकायत प्राप्त होने पर नियमित जांच, विशेष परीक्षण भी किए जाएंगे ।

(iv) **जलकृषि आदानों के लिए मानक:** झींगा आहार के लिए मानकों को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

(v) **जागरूकता कार्यक्रम:** पर्यावरण सुरक्षा, तटीय जलकृषि कार्यकलापों के सतत विकास और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में जागरूंकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

(vi) **विज्ञापन एवं प्रकाशन:** स्टेकधारकों को सतर्क करने और एहतियाती उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएंगे ।

(vii) **मैनुअल/ब्रोशर तैयार करना:** मंत्रालय द्वारा जारी किए गए समस्त विनियमों, दिशा–निर्देशों और अधिसूचनाओं को शामिल करते हुए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियमों, दिशा–निर्देशों से संबंधित सार–संग्रह सम्पादित किया जाएगा । किसानों के हित में अच्छी प्रबंध प्रणालियों संबंधी एक मैनुअल प्रकाशित किया जाएगा।

(viii) **कार्यशालाएं एवं बैठकें :** तटीय जलकृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए स्टेकधारकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां प्रौद्योगिकीय सुधारों तथा अन्य पहलुओं के संबंध में विभिन्न समूहों का अनुभव भी प्राप्त होगा ।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण तटीय जलकृषि के संबंध में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, समुद्री आहार मेलों और एक्वा प्रदर्शनियों में जब भी संभव होगा, प्रतिनिधित्व करेगा ।

(ix) **क्षमता निर्माण:** तकनीकी और प्रशासनिक स्टॉफ द्वारा विनियामक उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए और अपने–अपने कार्य क्षेत्र में जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरे आयोजित किए जाएंगे ।

IV. वित्त

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा कार्यकलापों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2011–12 से संबंधित लेखों की प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), तमिलनाडु एवं पांडिचेरी, चेन्नई द्वारा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखा परीक्षा की गई।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 और 17 के अनुसार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत सीएए द्वारा दिए गए बजट अनुमान के आधार पर सहायता अनुदान चार किश्तों में प्रदान किया गया था । प्रशासनिक मंत्रालय ने अपने पत्र सं0 27035/5/2010–मा. (iv) दिनांक 6 अप्रैल, 2011 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए 300 लाख रूंपए के बजट अनुमान की मंजूरी दी है। इस कार्यालय ने 30.8.2011 को 386 लाख रूपए का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है और मंत्रालय ने दिनांक 12.1.2012 के अपने पत्र संख्या 41011/8/2011–मा.(बी एंड ए) के तहत इसे स्वीकृति दे दी है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान तथा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:–

मुख्य शीर्ष 2405 उप शीर्ष– 090031 सहायता अनुदान

(लाख रूपए में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट अनुमान	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशोधित	प्राप्त धनराशि	खर्च की गई धनराशि	खर्च न की गई बकाया धनराशि
300	286	250	249.87	0.13

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप–शीर्ष	ब.अ. 2012-13
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	090031 सहायता अनुदान	325

V. प्राधिकरण का स्टॉफ तथा वर्तमान संगठनात्मक संरचना

इस समय, सीएए को 21 पदों की मंजूरी दी गई है और वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान स्टॉफ की स्थिति निम्नलिखित है :

क्र. सं.	समूह	पद	स्वीकृत पद संख्या	प्रारम्भ में स्टाफ की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित स्टाफ की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान नए स्टाफ की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में स्टाफ
1	क	निदेशक	1	1	-	-	1
		सहायक निदेशक	1	1	1	1	1
		वरिष्ठ प्रशा. अधिकार	1	1	-	-	1
2	ख	अधीक्षक	1	1	-	-	1
		निजी सचिव	2	2	-	-	2
		लेखापाल	1	-	-	1	1
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	-	-	2
		आशुलिपिक ग्रेड' ग'	2	-	-	-	-
3	ग	वरिष्ठ लिपिक	2	1	-	-	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	1	-	-	1
		आशुलिपिक ग्रेड घ	1	1	-	-	1
		कार ड्राइवर	1	1	-	-	1
4	घ	एम टी एस	4	4	-	-	4
		कुल	**21**	**16**	**1**	**2**	**17**

इसके अलावा, तीन लिपिकीय स्टाफ, दो प्रयोगशाला तकनीकीविद और दो सहायक स्टाफ की जनशक्ति एजेंसी के माध्यम से ठेके के आधार पर नियुक्ति की गई है । वरिष्ठ लिपिक और आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके वर्ष 2012–13 तक पूरा होने की आशा है।

सेवानिवृत्ति/प्रत्यावर्तन :

- 5 जनवरी, 2012 को डा. न्यायाधीश ए. के. राजन, प्राधिकरण के अध्यक्ष का सेवाकाल पूर्ण हो गया।
- डा. मानस कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (तकनीकी), जो प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर उनके मूल कार्यालय में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

VI. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

वर्ष 2010–11 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत कुल ग्यारह आवेदन प्राप्त किए गए । अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी ।

अनुबंध

वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखें और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 का तुलन पत्र

(राशि - ₹ में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
मूल/पूंजी निधि और देनदारियां			
मूल/पूंजी निधि	1	1,40,01,809	1,11,19,378
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	2	0	0
निर्धारित/स्थाई निधियां	3	65,70,922	49,90,275
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	0	0
असुरक्षित ऋण एवं देनदारियां	5	0	0
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां	6	0	0
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	7	4,91,134	2,71,530
कुल		**2,10,63,865**	**1,63,81,183**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	1,26,63,631	1,01,86,573
निवेश – निर्धारित/स्थाई निधियों से	9	17,28,379	16,11,362
निवेश – अन्य	10	0	0
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	66,71,855	45,83,24
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है अथवा समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		**2,10,63,865**	**1,63,81,183**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह/–
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2011 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि- ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान/सब्सिडियां	13	2,50,00,000	2,45,00,000
शुल्क/अभिदान	14	3,550	7,530
निवेश से आय (निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश पर आय – निधियों को अंतरित)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0	0
अर्जित ब्याज	17	3,32,016	2,23,181
अन्य आय	18	10,000	1,582
निर्मित्त वस्तुओं के स्टॉक और चालू कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19		
कुल (क)		**2,53,45,566**	**2,47,32,293**
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	20	98,25,946	94,39,742
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	96,38,265	86,93,845
अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय	22	30,174	0
ब्याज	23	0	0
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत मे निवल जोड़ अनुसूची 8 के तदनुरूप)		29,68,750	12,60,81
कुल (ख)		**2,24,63,135**	**1,93,94,402**
व्यय से अधिक आय के कारण शेष राशि/(क–ख)		28,82,431	53,37,891
विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य प्रारक्षित निधि को/से अंतरण			
अधिशेष राशि/(घाटा) जिसे मूल/पूंजी निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह/–
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि

भारत सरकार,
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी,

31.03.2012 को समाप्त अवधि/

(राशि-₹)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. अथ शेष		
क) रोकड़ जमा	0	3,000
ख) बैंक जमा		
i) चालू खाता	0	19,05,772
ii) जमा खाता		
iii) बचत खाता	40,91,011	
2. प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से	2,50,00,000	2,45,00,000
ख) राज्य सरकार से		
ग) अन्य स्रोतों से (पूंजी एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को पृथक रूप से दर्शाया जाए)		
3. निवेश से आय		
क) निर्धारित/स्थाई निधियां(शुल्क)	1,17,017	1,11,362
ख) निजी निधियां (अन्य निवेश)		
4. प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	3,32,016	2,21,111
ख) ऋण, अग्रिम आदि	0	2,070
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		
जांच शुल्क	0	0
टेंडर शुल्क	3,500	7,500
अन्य आय	10,000	1,582
आरटीआई शुल्क	50	30
6. उधार ली गई धनराशि		
7. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)		
जमा राशि	3,60,104	1,30,530
कंप्यूटर अग्रिमवसूली	0	30,000
हस्तगत स्टैंप	28,625	28,248
साख पत्र	0	11,21,000
निर्धारित/स्थायी निधियाँ (फार्म शुल्क)	27,10,755	21,83,141
जोड़	**3,26,53,078**	**3,02,45,346**

ह/–
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्राधिकरण

कृषि मंत्रालय
26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि-₹)

भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. व्यय		
क) स्थापना खर्च	98,04,346.00	94,39,742
ख) प्रशासन खर्च	96,09,169.00	86,93,845
2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि के विरुद्ध किए गए भुगतान (परियोजना अथवा कोष का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के साथ दिखाया जाना चाहिए)		
3. किए गए निवेश और जमा		
क) निर्धारित/स्थाई निधि में से (आईओबी में एफडीआर)	1,17,017.00	1,11,362
ख) अपनी निधियों में से		
4. स्थाई परिसंपत्तियों और चालू पूंजी कार्य पर खर्च		
क) स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	51,37,677.00	18,93,933
ख) चालू पूंजी कार्य पर खर्च	0	50,46,007
5. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) अन्य निधि दाताओं को		
6. वित्त प्रभार (ब्याज)		
7. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) साख पत्र (इंडियन ओवरसीज बैंक)	3,81,491.00	4,12,916
ख) कंप्यूटर अग्रिम	1,40,500.00	0
ग) त्योहार अग्रिम	29,250.00	21,600
घ) राज्यों के लिये कटौती एवं भुगतान	0	97,154
ङ) निर्धारित/स्थायी निधियों के अंतर्गत व्यय	12,47,125.00	4,08,680
च) चिकित्सा अग्रिम	0	29,096
छ) खर्च नहीं किये अनुदान की वापसी	30,174.00	0
ज) पोस्ट मास्टर	50,000.00	0
झ) हस्तगत स्टैंप	80,295.50	0
8. अंत शेष		
क) रोकड़ जमा		0
ख) बैंक जमा		
i) चालू खाते में		19,05,772
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में	60,26,033.50	40,91,011
जोड़	**3,26,53,078.00**	**3,02,45,346**

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2011 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 1 – मूल/पूंजी निधि

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1.4.2011 की स्थिति के अनुसार आस्तियों की लागत				
घटाएं: 31.3.2011 तक मूल्यह्रास				
हस्तगत स्टाम्प				
वर्ष 1.4.2011 की शुरुआत में शेष		1,11,19,378		57,81,487
जोड़ें: मूल/पूंजी निधि में अंशदान				
		1,11,19,378		57,81,487
कमी/(घटाया) : शुद्ध आय का शेष/आय एवं व्यय लेखा स्थानांतरित (खर्च)				
जोडे : शुद्ध आय का शेष/आय एवं व्यय लेखा स्थानांतरित (खर्च) से प्राप्त अतिरिक्त आय		28,82,431		53,37,891
वर्ष के अंत में शेष राशि		**140,01,809**		**111,19,378**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पूंजी प्रारक्षित निधिः				
पिछले लेखा के अनुसार				
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास				
2. सामान्य प्रारक्षित निधि:				
पिछले लेखा के अनुसार				
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास				
कुल		**0**		**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई

31.3.2012 को तुलन पत्र के भाग के रूप मे अनुसूचियां

अनुसूची 3 – निर्धारित/स्थाई निधियां (राशि - ₹)

	निधिवार ब्यौरा			कुल		
	फार्म पंजीकरण शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वेन्नामई फार्म)	प्रसंस्करण शुल्क (एल. वेन्नामई हैचरी)	निधि जैड जैड	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) निधि का प्रारंभिक शेष	33,69,301	13,40,974	2,80,000		49,90,275	31,04,452
ख) निधियों में वृद्धि:						
i) दान/अनुदान						
ii) निधियों में निवेश से आय	1,17,017				1,17,017	1,11,362
iii) शुल्क	4,72,250	15,21,255	7,17,250		27,10,755	21,83,141
कुल (क + ख)	**39,58,568**	**28,62,229**	**9,97,250**		**78,18,047**	**53,98,955**
ग) निधियों के लक्ष्यों के लिए उपयोग/व्यय						
i) पूंजी व्यय						
– अचल आस्तियां						
– अन्य						
कुल						
ii) राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि						
– फार्मों के निरीक्षण इत्यादि पर यात्रा व्यय	8,49,742				8,49,742	1,37,268
– जेआईएफएसएएन प्रशिक्षण व्यय	2,89,383				2,89,383	2,71,412
– सेमिनार/सम्मेलन आदि पर व्यय	1,08,000				1,08,000	
कुल						
कुल (ग)	**12.47,125**	**0**			**4,08,660**	**4,08,680**
वर्ष के अंत में निवल राशि (क+ख+ग)	**27,11,443**	**28,62,229**	**9,97,250**		**65,70,922**	**49,90,275**

टिप्पणी :

1) प्रकटीकरण अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर सुसंगत शीर्षों के तहत किया जाएगा

2) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और उन्हें किसी अन्य निधि के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण एवं उधार (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) 3. वित्तीय संस्थाएं क) सावधि ऋण ख) ब्याज अर्जित एवं देय 4. बैंक: क) सावधि ऋण – ब्याज अर्जित एवं देय ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) – ब्याज अर्जित एवं देय 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां 6. ऋण पत्र एवं बाण्ड 7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	**0**	**0**

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण एवं उधार

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) 3. वित्त संस्थान 4. बैंक: क) सावधि ऋण ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) 5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां 6. ऋणपत्र एवं बाण्ड 7. सावधिक जमा राशियां 8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	**0**	**0**

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देनदारियां

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. पूंजी उपकरण एवं अन्य आस्तियों को बंधक रखकर सुरक्षित ऋण 2. अन्य		
कुल	**0**	**0**

टिप्पणी : वर्ष के अंदर देय राशि

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 7 – वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान (राशि - ₹)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1. मंजूरियां				
2. विविध लेनदार				
क) वस्तुओं के लिए				
ख) अन्य				
3. निष्पादन प्रतिभूति जमा		62,000		1,41,000
क) मैसर्स अक्षय सेल्स, चेन्नई			25,000	
ख) मैसर्स फॉस इंडिया (प्रा.) लि., मुम्बई	57,000		57,000	
ग) मैसर्स रेंड्स इंस्ट्रुमेंट्स कंपनी, चेन्नई			5,000	
घ) मैसर्स सिंसेयर ट्रेडर्स, चेन्नई	5,000		5,000	
ङ) मैसर्स समर्थ लेबटेक प्रा. लि., हैदराबाद			44,000	
च) मैसर्स सिस्ट्रॉनिक्स, चेन्नई			5,000	
4. बयाना जमा:		4,29,134		1,30,530
क) मेरिट इन्टरप्राइस	20,280		20,280	
ख) आर्बिट टेक्नॉलाजिइस	44,250		44,250	
ग) मैसर्स सारोटोरियसम प्रा. लि.	4,500		4,500	
घ) एस.वी. इन्स्ट्रमेंट अ. प्रा. लि.	0		61,500	
ङ) एजिलेंट टेक्नॉलॉजी	1,75,000			
च) ब्लू स्टार लि. चेन्नई	22,500			
छ) बी.वी.एन. इंस्ट्रूमेंट्स प्रा. लि.	1,00,000			

(जारी)

अनुसूची 7 – वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान (जारी) (राशि - ₹)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ज) डे एन डे सर्विसेज (प्रा.) लि.	25,000			
झ) प्रोटीन मैनेजमेंट कंसलटेंसी	10,604			
ट) द होस्ट	27,000			
5. अर्जित परन्तु निम्नलिखित पर देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण/उधार				
ख) आर्बिट टेक्नॉलाजिइस				
6. सांवधिक देनदारियां:				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)	0	0	0	0
7. अन्य वर्तमान देनदारियां	0	0	0	0
कुल (क)		**4,91,134**		**2,71,530**
ख. प्रावधान		0		0
1. कराधान के लिए				
2. उपदान				
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. अर्जित छुट्टी के लिए नकद राशि				
5. मूल्यह्रास के लिए				
कुल (ख)		**0**		**0**
कुल (क+ ख)		**4,91,134**		**2,71,530**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई-600006

31.3.2012 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 8 – अचल आस्तियाँ

(राशि - ₹)

मद	मूल्य ह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्य निर्धारण	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्य निर्धारण	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि होने पर	वर्ष के दौरान कटौती होने पर	वर्ष के अंत तक कुल जोड़	चालू वर्ष के अंत में	गत वर्ष के अंत में
			30-09-09 तक	30-09-09 के बाद								
भूमि	—	0	0	0		0	0	0		0	0	0
संयंत्र एवं मशीनरी	15%	18,18,195	87,67,687	1,77, 629		1,07,63,511	3,10,554	15,54,621		18,65,175	88,98,336	15,07,641
कार्यालय उपकरण	15%	19,33,837	0	1,22,854		20,56,691	9,86,271	1,51,349		11,37,620	9,19,071	9,47,566
कार	15%	3,30,860	0	0		3,30,860	2,84,860	6,900		2,91,760	39,100	46,000
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%	29,25,640	21,867	2,01,918		31,49,425	9,32,762	2,11,570		11,44,332	20,05,093	19,92,878
कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	60%	17,54,644	6,62,228	36,435		24,53,307	13,33,665	6,60,855		19,94,520	4,58,787	4,20,979
पुस्तकालय पुस्तकें	60%	8,89,067	3,25,982	1,75,215		13,90,264	6,63,565	3,83,455		10,47,020	3,43,244	2,25,502
क. चालू वर्ष का कुल		**96,52,243**	**97,77,764**	**7,14,051**		**2,01,44,058**	**45,11,677**	**29,68,750**		**74,80,427**	**1,26,63,631**	**51,40,566**
गत वर्ष												
ख. कार्य-प्रगति की पूंजी												
कुल (क + ख)											**1,26,63,631**	**51,40,566**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 9 – निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बाण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. सावधिक जमा राशि से प्राप्तियां (आई ओ बी)	17,28,379	16,11,362
कुल	**17,28,379**	**16,11,362**

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बाण्ड		
5. सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	**0**	**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (राशि - ₹)

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. वर्तमान परिसम्पत्तियां				
1. माल सूची:				
क) स्टोर एवं अतिरिक्त पुर्जे				
ख) औजार				
ग) व्यापारगत स्टॉक				
- निर्मित वस्तुएं				
- चालू कार्य				
- कच्चा माल				
2. विविध देनदार:				
क) छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण				
ख) अन्य				
3. रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट और पेशगी सहित)				
4. बैंक में जमा राशि:				
क) अनुसूचित बैंकों में:				
- चालू खातों में (इंडियन ओवरसीज बैंक)				
- साख पत्र (इसमें मार्जिन राशि भी शामिल है)				
- बचत खातों में		60,26,033.50		40,91,011
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खातों में				
- जमा खातों में				
- बचत खातों में				
5. डाकघर – बचत खाते				
6. हस्तगत स्टाम्प				
क) स्टाम्प (अंकन मशीन)		72,809.50	25,545	25,545
ख) स्टाम्प (डाक)		7,486.00	3,080	3,080
जोड (क)		**61,06,329.00**		**41,19,636**

(जारी)

अनुसूची 11 – वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी) (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ		
ख) कंपनी के कार्यकलापों/लक्ष्यों में संलग्न अन्य कंपनियां		
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
2. नकद अथवा वस्तु रूप में अथवा प्राप्य मूल्य के बराबर वसूल की जाने वाले अन्य धनराशि		
क) श्री टी. एस. राव को कंप्यूटर अग्रिम	0	0
ख) पूर्व भुगतान (अनुलग्न–1)	5,36,276	4,12,916
ग) कर्मचारी वर्ग को त्योहार अग्रिम	29,250	21,600
घ) चिकित्सा अग्रिम (श्रीमति एस. प्रिया आशुलिपिक 'ग')	0	29,096
3. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/स्थाई निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश पर अन्य		
ग) ऋण एवं अग्रिम		
घ) अन्य (वसूल न की गई आय सहित – ₹.....)		
4. प्राप्य दावे		
जोड (ख)	**5,65,526**	**4,63,612**
जोड (क + ख)	**66,71,855**	**45,83,248**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री ख) कच्ची सामग्री की बिक्री ग) स्क्रेपों की बिक्री 2. सेवाओं से आय क) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं ग) एजेंसी की कमीशन ओर दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति) ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**0**	**0**

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(वसूल न किए गए अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार	2,50,00,000	2,45,00,000
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थाएं/कल्याणकारी बोर्ड		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**2,50,00,000**	**2,45,00,000**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क अभिदान		
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. परीक्षा शुल्क	0	0
6. टेंडर शुल्क	3,500	7,500
7. आरटीआई शुल्क	50	30
जोड़	**3,550**	**7,530**

टिप्पणी : प्रत्येक मद से संबंधित लेखाकरण नीतियां दर्शायी नहीं जाएंगी।

अनुसूची 15 – निवेश से आय

(निर्धारित/स्थाई निधियों से निवेश पर आय – अन्य निधियों में अंतरण)

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूमियों पर				
ख) अन्य बाण्ड/ऋण पत्र				
2. लाभांश:				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. इंडियन ओवरसीज बैंक (एफडीआर)	1,17,017	0		
जोड़	**1,17,017**	**0**		
निर्धारित/स्थाई निधियों में अंतरण	**1,17,017**	**0**		

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रॉयल्टी से आय 2. प्रकाशनों से आय 3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**0**	**0**

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि जमा राशि पर क) अनुसूचित बैंकों में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) संस्थाओं में घ) अन्य		
2. बचत खाते पर क) अनुसूचित बैंक में ख) गैर अनुसूचित बैंकों में ग) डाकघर बचत खाता घ) अन्य	3,32,016	2,21,111
3. ऋण पर क) कर्मचारी/स्टाफ ग) अन्य	0	2,070
4. देनदारों पर ब्याज और अन्य प्राप्य		
जोड़	**3,32,016**	**2,23,181**

टिप्पणी : स्रोत पर कर की कटौती को दर्शाया जाए

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 18– अन्य आय (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. असल आस्तियाँ बिक्री पर आय		
क) स्वामित्व में ली गई परिसम्पत्तियां		
ख) अनुदानों के रूप में अर्जित अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसम्पत्तिया		
2. वसूल किया गया निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय (रद्दी कागज़ बिक्री)		1,582
5. ईएमडी फोरफिट से आय	10,000	1,582
जोड़	**10,000**	**1,582**

अनुसूची 19 – निर्मित वस्तुओं के भण्डार और चालू कार्यों में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. अंत भण्डार		
- निर्मित वस्तुएं		
- चालू कार्य		
2. घटाइए – अथ शेष		
- निर्मित वस्तुएं		
- चालू कार्य		
निवेल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	**0**	**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. वेतन एवं मजदूरी	98,25,946	94,39,742
2. भत्ते एवं बोनस		
3. भविष्य निधि मे अंशदान		
4. अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
5. स्टाफ कल्याण व्यय		
6. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं टर्मिनल लाभों पर व्यय		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**98,25,946**	**94,39,742**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय (राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. विज्ञापन एपं प्रचार	5,02,078.00	5,69,711
2. प्रकाशन	2,93,540.00	2,09,746
3. घरेलू यात्रा व्यय	22,26,142.00	18,98,824
4. चिकित्सा व्यय	1,22,696.00	87,382
5. सप्लाई एवं मेटिरियल	1,275.00	2,30,841
6. कार्यालय व्यय		
- मरम्मत एवं रख–रखाव (वाहन)	63,385.00	67,220
- बिजली एवं विद्युत (पावर)	1,37,670.00	1,36,915
- किराया, दर और कर	15,60,884.00	13,20,748
- फोटोस्टेट खर्चे	0	2,543
- डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	1,83,287.00	2,77,374
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	3,51,375.50	3,99,947
- जल प्रभार	24,329.00	21,610
- पुस्तकालय संबंधी खर्चे	10,054.00	3,902
- वर्दी (यूनिफार्म)	0	1,268
- टेलीफोन खर्च	1,83,403.00	2,03,230
- व्यावसायिक प्रभार	5,37,560.00	4,96,710
- वाहन भाड़ा प्रभार	14,59,081.00	9,97,946
- बैठकों में खर्च	53,942.00	1,57,045
- टेलीफेान एवं मोबाइल प्रतिपूर्ति खर्च	41,785.00	55,759
- विविधि व्यय	2,20,595.00	2,25,028
- सेमीनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण खर्च	1,76,000.00	5,05,422
- अन्य संविदात्मक सेवा	12,77,879.00	6,39,004
- वेबसाईट रख–रखाव प्रभार	31,987.00	63,422
- वार्षिक रख–रखाव खर्च (ए.सी., कम्प्यूटर, कार्यालय उपकरण इत्यादि)	1,48,358.00	1,18,664
- वार्षिक पी.आर.ए.रख–रखाव प्रभार (एनएसडीएल)	3,819.00	2,219
- बैंक प्रभार	27,140.50	1,365
जोड़	**96,38,265.00**	**86,93,845**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

31.3.2012 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा अनुसूची

अनुसूची 22 – अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय

(राशि - ₹)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान 2. संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडियां	30,174	0
जोड़	**30,174**	**0**

टिप्पणी : कम्पनियों और उनके क्रियाकलापो के नाम अनुदान/सब्सिडियों की राशि सहित व्यक्त किए जाएं।

अनुसूची 23 – ब्याज

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि ऋणों पर 2. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) 3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़	**0**	**0**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

अनुसूची–24

लेखा नीति

1. लेखा समझौता

सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), आईसीएआई द्वारा जारी अनिवार्य रूंप से लागू लेखा मानक (एएस) और सीजीए द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वयत्त निकायों के लिए संबंधित प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत समझौते के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए गए है। प्राधिकरण द्वारा अन्यथा उल्लेख न किए जाने के अलावा व्यय और आय के सभी मदों के लिए उपचय लेखा प्रक्रिया अपनाइ जाती है।

2. नियत परिसंपत्तियां

(क) विधिवत निरीक्षण के बाद भार लेने के बाद ही नियत परिसंपत्तियों का लेखा–जोखा तैयार किया जाता है।

(ख) नियत परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास को कम करके बताया जाता है जिसमें खरीद मूल्य, मालभाड़ा, सीमा शुल्क और कर या परिसंपत्ति को इसके प्रयोजन के लिए कार्यकरण स्थल तक लाने के लिए किसी प्रकार का खर्च शामिल है। चुने गए नियत परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित वित्त पोषण लागत को भी शामिल किया जाता है उस समयावधि के लिए जब तक ऐसे परिसंपत्ति उनके प्रयोग करने के स्थान तक पहुंच नहीं जाती है।

(ग) पूर्व जलकृषि प्राधिकरण के नियत परिसंपत्तियों को भी मूल्यह्रास लागत को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है जो मूल्य निर्धारित परिसंपत्ति के लिए सीएए द्वारा खरीदने से अधिग्रहण करने की अवधि के लिए होती है। मूल्य निर्धारित नही की गई परिसंपत्तियों की स्थिति में, सीएए के लेखों के खाते में प्रयोग करने के लिए 1/– रुपए के कल्पित मूल्य पर विचार किया जाता है।

(घ) गैर–आर्थिक अनुदानों द्वारा प्राप्त नियत परिसंपत्तियों को प्राधिकरण के खाते में निर्धारित परिसंपत्ति के रूंप में रखा जाएगा। अनुदान–सहायता द्वारा तैयार परिसंपत्तियों की लागत पूंजीगत कोष के

खाते में डाला जाएगा। इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को भी आय कर अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित दर पर परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवनकाल के लिए लागू होगा और इसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाएगी।

3. मूल्यह्रास

(क) आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास बट्टे खाते मूल्य प्रक्रिया से प्रदान किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान निर्धारित परिसंपत्तियों को जोड़ने/घटाने के संबंध में, वित्तीय वर्ष के प्रथम भाग में खरीदे गए परिसंपत्तियों पर आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर संपूर्ण मूल्यह्रास लागू होगा और वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में खरीदे गए परिसंपत्तियों पर 50% तक का मूल्यह्रास होगा।

(ग) 5000/–रुंपए या इससे कम लागत के निर्धारित परिसंपत्तियों की प्रत्येक वस्तु का खरीद वर्ष में मूल्यह्रास होगा।

4. पट्टा/किराया

पट्टे के नियम एवं शर्तों के अनुसार पट्टा/किराया भाड़े को व्यय के रूप में माना जाएगा।

5. खराब परिसंपत्तियां

किसी परिसंपत्ति को खराब तब माना जाएगा जब उसको चलाने की लागत उसकी अपनी मूल्य से अधिक हो। खराब हानि को उस वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण में डाला जाये जिसमें परिसंपत्ति को खराब माना गया है। खराब हानि मान्य या वापस पाने योग्य राशि है।

6. सरकारी अनुदान/राजसहायता

पूंजीगत व्यय यानि सहायता–अनुदान द्वारा तैयार मूल्यह्रास हुई परिसंपत्ति की लागत को पूंजीगत कोष खाते में जमा किया जाएगा। सहायता–अनुदान से हुए राजस्व व्यय को आय और व्यय खाते से निकाला जाएगा। व्यय से अधिक अनुदान को वर्ष के अंत में पूंजीगत कोष खाते में जमा करा दिया जाएगा।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

(क) नई पेंशन योजना में वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा जमा/जमा करने योग्य अंशदान को आय और व्यय विवरण में दर्शाया जाएगा।

(ख) उपदान से संबंधित देयताओं को, जिसे प्रति वर्ष, वर्ष के अंत तक बीमांकक मूल्य पर निकाला जाता है और इसे अलग से प्रदान तथा वित्तपोषित किया जाएगा।

(ग) कर्मचारियों को छुट्टी की नकदीकरण की देयता को वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्य के आधार पर प्रोद्भवन पर वार्षिक रूंप से पता लगाया जाता है, जिस वर्ष इसे दिया गया है।

8. कर

प्राधिकरण अपने धन, आय, प्राप्तियों से लाभ से संबंधित धन कर, आय कर, सेवा कर, सीएसटी या किसी अन्य कर के लिए संघ/राज्य को भुगतान करने के लिए पात्र नही है। अत: चालू और आस्थगित आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

परिमाण में व्यापक मात्रा के अनुमान के प्रावधान को रखा गया है जहां पर विगत किसी मसले के परिणाम स्वरूंप कोई मौजूदा दायित्व है और यह भी संभावित है कि संसाधन का प्रवार हो। आकस्मिक देयताओं को दर्शाया नहीं गया है परंतु लेखों में अंश के रूंप में नोट में दर्शाया जाता है।

10. आय और व्यय

वर्ष के सभी आय और व्यय को, सिवाय उनके जिन्हें इस पैरा में विनिर्दिष्ट किया गया है, लेखों के विनिर्दिष्ट सीधे शीर्षों के अंतर्गत बीमांकक आधार पर जमा किए जाते है:–

(क) विगत वर्ष का आय या व्यय, जो प्रावधान बनाने मे हुई गलती/एक या इससे अधिक बार देयता सृजित करने से हुई है, पूर्ण अवधि समायोजन खाते के अंतर्गत डाला जाएगा।

(ख) यदि वास्तविक व्यय या आय तैयार देयता/व्यय के आधार पर प्रावधान से अधिक हो तो, इसे रोकड़ के आधार पर डाला जाता है।

(ग) वार्षिक लेखा और असाधारण मदों को अंतिम रूंप देने की तारीख के बाद लिए गए निर्णय से, यदि कोई जिसका भूतलक्षी प्रभाव हो प्राधिकरण को हुई आय/व्यय, को रोकड़ आधार पर डाला जाएगा।

(घ) तुलन पत्र और/या आय और व्यय लेखा में लेखा प्रक्रिया और प्रकट करने के तरीके का पता लगाने के लिए, वस्तुत: सिद्धांत पर विचार किया जाता है और अत: प्रत्येक मामले में 1000 रुंपए तक के पूर्व भुगतान/पूर्व अवधि वस्तुओं को रोकड़ आधार पर स्वाभाविक शीर्ष के लिए माना जाएगा।

11. राजस्व

(क) प्राधिकरण को डीएलसी/सीएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्रित शुल्क डीएलसी/सीएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा लिटोपेनस वेन्नमई फार्मों और हैचरियों से प्रक्रम शुल्क एकत्रित किया जाता है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार, इस शुल्क को प्राप्ति के वर्ष में प्राधिकरण के लिए आवंटित/अक्षय निधि में डाला जाएगा और विशिष्ट या निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा।

(ख) शेष राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए रोकड़ आधार पर ब्याज आय को रखा जाएगा।

(ग) निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश से अर्जित ब्याज को निर्धारित/स्थायी निधियों में जोड़ा जाएगा तथा उसका भी उपयोग विशिष्ट प्रयोजन हेतु किया जाएगा।

12. अलग प्रकटन

निम्नलिखित के लिए आय और व्यय खाते में अलग प्रकटन किए जाते हैः

(क) एक या इससे अधिक अवधि में वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई गलतियों के परिणामस्वरूप चालू अवधि में हुई गलती या व्यय के परिणामस्वरूप चालू अवधि में आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल करने वाले पूर्व अवधि मदें।

(ख) असाधारण मदें, जो अस्तित्व के साधारण गतिविधियों से स्पष्टतः अलग है और जो परिस्थितियों या लेन–देन से होने वाले आय या व्यय के वस्तुतः मदों से है।

(ग) विविध आय शीर्ष के अंतर्गत कोई भी वस्तु जो 50,000/– रुपए से अधिक है तथा आय और व्यय लेखों में उपयुक्त लेखा शीर्ष में दर्शाए जाते है।

ह/–
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/–
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26 हेडौज रोड, चेन्नई–600006

अनुसूची – 25

आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां

आकस्मिक देयता

31 मार्च, 2012 को आकस्मिक देयता का कोई मामला नहीं है।

नियत परिसंपत्तियां

पूर्व के जलकृषि प्राधिकरण की नियत परिसंपत्ति को मूल्य ज्ञात परिसंपत्तियों के लिए सीएए द्वारा खरीददारी की तारीख से अधिकार में लेने की तारीख की अवधि के लिए लागत रहित मूल्य ह्रास को भी ध्यान में रखा गया था। मूल्य अज्ञात परिसंपत्तियों के मामले में सीएए के लेखों की पुस्तिकाओं में पंजीकृत करने के लिए कल्पित मूल 1/– रुपए माना जाता है। आयकर नियमों में निर्धारित दर पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को वित्त वर्ष 2011–12 के आयकर और व्यय लेखा के लिए संगठित और प्रभारित किए गए है।

चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने डाकघर से फ्रैकिंग मशीन लिया है और इसे एकमुश्त राशि के लिए टिकटों से भर दिया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने डाकघर से सरकारी डाक टिकट खरीदा है, इसके लिए अदा की गई राशि को स्टांप इन हैंड के रूंप में दर्शाया गया है। टिकट की दैनिक खपत के लिए रखे जा रहे रजिस्टर के आधार पर टिकटों पर खर्च किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर स्टांप इन हैंड के समरूंप क्रेडिट द्वारा संबंधित व्यय शीर्ष में डेबिट कर दिया जाता है। 31 मार्च, 2012 को 80,295.50/– रुपए की राशि का स्टांप इन हैंड था।

दैनिक प्रकृति के व्यय के वहन के लिए 3,000/– रुपए की अग्रदाय राशि डीडीओ को संस्वीकृत कर दी गई है।

चालू देयताएं

इसकी वारंटी अवधि के पूरा होने तक 62,000/– रुपए का प्रतिभूति जमा कार्यनिष्पादन गारंटी के रूंप में प्राप्त हुआ।

कराधान

प्राधिकरण अपने संपत्ति, आय, लाभ के संबंध में संपत्ति कर, आयकर अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कर का देनदार नहीं है। अत: चालू और अस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

सरकारी अनुदान/ एकत्र शुल्क

पूंजीगत व्यय यानि सहायता अनुदान में से बनाई गई अवक्षय योग्य परिसंपत्ति की लागत को पूंजीगत कोष खाते में क्रेडिट किया जाता है। सहायता अनुदान में से किए गए राजस्व व्यय को आय और व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा। व्यय के ऊपर अनुदान की अधिकता को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के अंत में पूंजीगत लागत खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

प्राधिकरण को सीएए और डीएलसी/एसएलसी के बीच 70:30 के अनुपात में हिस्सेदारी से डीएलसी/ एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण एलवी फार्मों और हैचरियों के लिए प्रसंस्करण फीस प्राप्त कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार शुल्क को प्राप्ति वर्ष में प्राधिकरण के विशेष रूप से इयरमार्क्ड/इन्डाउमेंट फंड के रूप में खाते में रखा जाता है और इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट और इअरमार्क्ड प्रयोजनों में उपयोग के लिए रखा जाता है।

विगत वर्ष के आंकड़े

स्वायत्त निकायों के लिए कैग द्वारा किए गए लेखागत प्रक्रिया, इसमें संलग्न विभिन्न अनुसूची के साथ तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा में विगत वर्ष के आंकड़ें दर्शाने के लिए विनिर्दिष्ट करता है।

ह/–
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/–
सदस्य सचिव

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हम लोगों ने लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (सेवा के कर्तव्य, शक्ति और शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण के 31 मार्च 2012 के लिए संलग्न तुलन–पत्र (बैलेंस सीट) और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा की परीक्षा की। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय लेखों पर अपनी राय देना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखा व्यवहार की अनुरूपता, वर्गीकरण और डिसक्लोजर मानकों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियम और शर्तें और कार्यक्षमता–सह–कार्यनिष्पादन संबंधी पहलुओं आदि, यदि कोई हो, से संबंधित वित्तीय लेनदेन के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्ट/कैग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से बताई जाती है।

3. हम लोगों ने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा किया है। इन मानकों के तहत् हम लोग इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा विनियोजित और निष्पादित करते हैं कि वित्तीय विवरण मेटेरियल मिसस्टेटमेंट से मुक्त है अथवा नहीं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि और डिसक्लोजर को सपोर्ट करने वाले साक्ष्य के आधार पर परीक्षा किया जाता है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किये गये लेखा सिद्धांतों का आंकलन और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आंकलन और वित्तीय विवरण के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उचित आधार प्रदान करेगी।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   i. हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

   ii. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर प्रारूप में रखा गया है।

   iii. हमारी राय में लेखे की उचित पुस्तकों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड के संबंध में हमारी जांच से यह पता लगता है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई ने प्राधिकरण के नियम और विनियम के अनुसार इन पुस्तकों का रखरखाव किया है।

iv. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) सामान्य

प्रोद्भवन प्रणाली के तहत् लेखों का रखरखाव नहीं

लेखे के प्रोद्भवन प्रणाली के तहत् लेखें तैयार नहीं किए गये, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एक रूप प्रारूप में आवश्यक है।

(1) वर्ष 2011–12 के लिए डी.एल.सी./एस.एल.सी. से प्राप्ति योग्य पंजीकरण शुल्क की तीस प्रतिशत हिस्सेदारी प्राधिकरण के लेखे में नहीं दिखाई गयी।

(2) लेखों में उपदान, अधिवर्षिता पेंशन, संचित छुट्टी भुनाना, आदि जैसे प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) सहायता–अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त 2.5 करोड़ रु. (आयोजना) और आंतरिक प्राप्ति: 0.28 करोड़ और 0.03 करोड़ रुपए के अन्य आय में से, और विगत वर्ष के 0.50 करोड़ रुपए (कुल 3.31 करोड़ रुपए) की खर्च न होने से शेष बची राशि में से प्राधिकरण 31 मार्च 2012 तक 2.62 करोड. रु. उपयोग में ला सकी, जबकि 0.69 करोड़ रुपये की राशि बच गयी।

v. विगत पैराग्राफ में हमारी टिप्पणी के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन–पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा से संबंधित लेखा पुस्तकों से हम सहमत हैं ।

vi. हमारी राय में हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गयी जानकारी के आधार पर उक्त वित्तीय विवरण एकाउंटिंग नीतियों और नोट्स ऑफ एकाउंट्स के अनुरूप हैं और उक्त में वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में वर्णित मामलों के अधीन है और ये भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूपता की दृष्टि से सत्य और स्वच्छ हैं।

(क) यह तुलन–पत्र तटीय जल कृषि प्राधिकरण, चेन्नई से 31 मार्च 2012 से संबंधित है; और

(ख) यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे के अधिशेष से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

लेखा महानिदेशक (केन्द्रीय)
चेन्नई

स्थान : चेन्नई
तिथि : 04.10.2012

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

प्राधिकरण के पास कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है जिसके कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का को आंकलन या समीक्षा नहीं है। लेखा परीक्षा में एकाउंटिंग रिकॉर्डों के पूर्णत: और उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव है। प्राधिकरण ने जिला स्तरीय समितियों द्वारा रखे गए पंजीकरण शुल्क के 70 प्रतिशत को लेखबद्ध नहीं किया है।

3. स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन :

2011–12 तक स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक का वास्तविक सत्यापन किया जा चुका है।

4. वैधानिक बकायों के भुगतान में नियमितता :

प्राधिकरण उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ आयकर और सेवाकर जमा कराने में नियमित है।



लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी उत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणी	उत्तर
सामान्य उपार्जन प्रणाली के तहत लेखों का रखरखाव किया जाना लेखों को लेखाकरण की उपार्जन प्रणाली के तहत तैयार नहीं किया गया है जैसाकि वित्त मंत्रालय द्वारा विहित एकसमान लेखा प्रपत्र में अपेक्षित है। जिसके परिणामस्वरूप, डीएलसी/एसएलसी से प्राप्त होने वाले पंजीकरण शुल्क के 30 प्रतिशत हिस्से को प्राधिकरण के खातों में शामिल नहीं किया गया है।	तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने अपनी 17 वीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं: 17.04.01 यह निश्चय किया गया था कि डीएलसी द्वारा एकत्रित पंजीकृत शुल्क को डीएलसी/एसएलसी और सीएए द्वारा 70:30 के अनुपात से लिया जाए। प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण को शुल्क 30% प्राप्त होता है और वर्ष के दौरान सीएए के लेखा खातों में इसे शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीएए द्वारा आवेदनों को स्वीकार करते समय डीएलसी से संपूर्ण 30 प्रतिशत शुल्क को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है। डीएलसी/एसएलसी को भेजे गए पत्र की प्रति संदर्भ के लिए संलग्न किया गया है। अत:, इस अभ्यावेदन को कृपया रद्द कर दिया जाए ।
लेखों में उपदान, अधिवर्षिता पेंशन, संचित छुट्टी भुनाना आदि जैसे प्रावधान नहीं किए गए थे।	लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष के दौरान, केवल एकमात्र कर्मचारी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल थे। सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान किए गए जा रहे हैं । लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष के दौरान, एक कर्मचारी को शामिल किया गया और छ: कर्मचारियों को, उनकी परीवीक्षा अवधि पूरा करने पर स्थायी किया गया। वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं एवं उनके पेंशन अंशदान को प्रत्येक माह एनएसडीएल को भुगतान किया जाता है। उपदान प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी को 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा पूरा करनी होती है। अत: आने वाले वर्षों में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अत:, इस अभ्यावेदन को कृपया रद्द कर दिया जाए ।

लेखा परीक्षा टिप्पणी	उत्तर
अनुदान सहायता वर्ष के दौरान प्राप्त की गई 2.5 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता (गैर योजना) 2.28 करोड़ रुपए की आन्तरिक प्राप्तियां, 0.23 करोड़ रुपए अन्य आय और पिछले वर्ष की खर्च न की गई 0.50 करोड़ रुपए की शेष राशि में से प्राधिकरण 2.62 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग नहीं कर सका जिससे 31 मार्च, 2012 को 0.69 करोड़ रुपए की राशि शेष बच गई ।	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 के अंतर्गत इस कार्यालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 'अनुदान–सहायता' प्राप्त होती है और अपने कार्यकरण के कार्यनिष्पादन के लिए इसका प्रयोग करता है। 31 मार्च, 2012 तक, इस प्राधिकरण ने प्राप्त 2.50 करोड़ रुपए (गैर योजना) का उपयोग किया। तथापि, सीएए द्वारा जारी किए गए 22,283/– रुपए के चैक वेंडरों को प्रस्तत नहीं किए जाने के कारण, इस उपयोग न की गई राशि को 26.6.2012 को मंत्रालय को लौटा दिया गया। जबकि, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 17(1) के अंतर्गत एल.वन्नामई हैचरियों और फार्मों के पंजीकरण के लिए डीएलसी से प्राप्त 30 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क इस कार्यालय को प्राप्त होता है और इसे आबंटित धनराशि के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पांच वर्षों के लिए उपयोग करता है, जैसा कि तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण और निगरानी, नमूना एकत्रीकरण और परीक्षण, बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, विस्तार पुस्तिकाएं/पैम्पलेट का अनुवाद कार्य इत्यादि के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण की 17वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान, 0.28 करोड़ रुपए की शुल्क राशि एकत्रित किए गए थे और पिछले वर्ष से अग्रानीत शेष राशि 0.50 करोड़ रुपए था। कुल उपलब्ध राशि 0.78 करोड़ रुपए थी और व्यय के लिए नियत 0.12 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। मार्च, 2012 तक अंतिम शेष राशि 0.66 करोड़ रुपए है। चूंकि राशि विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नियत है, लेखा मानकों के अनुसार फीस प्राप्तियों को तुलन पत्र में नियत/अक्षय निधि लेखे में दर्शाए गए हैं। अत:, इन अभ्यावेदनों को कृपया रद्द कर दिया जाए।

2011–12 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी उत्तर अनुबंध–1

टिप्पणी	उत्तर
आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता: प्राधिकरण की कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं है जिस कारण आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों का कोई मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण नहीं होता। लेखा परीक्षा में लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।	आंतरिक लेखा परीक्षा/नियंत्रण प्रणाली से संबंधित टिप्पणियों को प्राधिकरण द्वारा नोट कर लिया गया है। 4 दिसम्बर, 2012 को हुई प्राधिकरण की 39वीं बैठक में लेखा परीक्षा दल द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए और भविष्य में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने का निर्णय लिया गया था।
आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव है। प्राधिकरण जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राप्त 70 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क को लेखबद्ध नहीं कर रहा है।	

सत्यमेव जयते

Annual Report 2011 - 2012

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India
Ministry of Agriculture
2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe
Chennai - 600 006, Tamil Nadu
Tel. : 91-44-28213785, 28216552 Fax : 044-28216552
E-mail : aquaauth@vsnl.net website: www.caa.gov.in

डॉ. आर. पाल राज
सदस्य सचिव
Dr. R. Paul Raj
Member Secretary
दूरभाष / Phone : +91 44 2823 4683
फेक्स / Fax : +91 44 2821 6552, 2825 0956
ईमेल / e-mail : aquaauth@vsnl.net
वेबसाइट / Website : http://www.caa.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)
तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Agriculture
(Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries)
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Dated : 19th November 2012

PREFACE

The Coastal Aquaculture Authority (CAA), established in December 2005, has completed another successful year. During 2011-12, CAA continued to register the coastal aquaculture farms located within the coastal area notified by the Central Government with the active involvement of the District Level Committees (DLCs) and State Level Committees (SLCs) set up under the provisions of the CAA Act, 2005.

The Authority also continued to promote seed production and farming of SPF *Litopenaeus vannamei* in biosecured hatcheries and farms within the coastal area. Due to the continued efforts taken by the Authority, the number of hatcheries granted approval for import of SPF broodstock of *L. vannamei* increased from 24 during 2009-10 to 74 during 2011-12. A total of 67,656 numbers of SPF broodstock were imported from September 2009 to 31st March 2012 by 54 hatcheries. No OIE listed pathogen has been detected in any of the imported broodstock suggesting the high quality of the broodstock supplied by the shortlisted suppliers to the Indian hatcheries.

The growth witnessed in this sector is spectacular with the *L. vannamei* production reaching 80,717 MT during 2011-12 as against the production of 18,247 MT during 2010-11 with average productivity exceeding 10 MT/ha/year. This success has been achieved mainly due to the steps taken by the CAA, in ensuring high quality SPF broodstock from international suppliers to Indian hatcheries as well as by implementation of notified guidelines for import of the broodstock quarantining, biosecurity measures in hatcheries and farms, and also by conducting training and awareness programmes on good aquaculture practices.

In order to facilitate farmers having small farm holdings, cluster farming system was introduced which enabled them to set up common Effluent Treatment Systems (ETS) and biosecurity facilities. Out of the total farm area of 5,922 ha approved for SPF *L. vannamei* farming, 3,618 ha belong to the cluster farms which indicates the interest shown by the small scale sector in the venture.

Inspection and monitoring of the hatcheries and farms have also been carried out periodically. CAA took action against hatcheries producing seed of *L. vannamei* without approval of CAA as well as action against hatcheries and farms using banned antibiotics and other pharmacological substances.

CAA organized sensitization workshops, awareness programmes and training programmes to state level and district level fisheries officers on registration of hatcheries and farms and on sustainable SPF *L. vannamei* farming. One of the significant programmes organized by CAA along with the Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi during this period is the "Train-the-Trainers-Good Aquaculture Practice (GAqP) Course" in collaboration with the Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), USFDA and University of Maryland, USA in which 38 Fisheries Officers representing 23 fisheries and aquaculture organisations participated.

With the unstinting support from the Ministry of Agriculture, Government of India, the Authority will strive to achieve greater role in promoting sustainable coastal aquaculture in the country. The Authority wish to acknowledge the valuable guidance provided by the former Chairman Justice Dr. A. K. Rajan in the various activities of the organization.



(R. Paul Raj)
Member Secretary

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority established under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 is carrying out the functions of regulating all the activities connected with coastal aquaculture in saline and brackish water systems within two kilometers from the High Tide Line since its inception in December, 2005. The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal environment and to ensure that the concept of responsible coastal aquaculture is followed.

1. Composition of the Authority during 2011–2012

(i) **Dr Justice A K Rajan** … Chairperson
Retired Judge of the Madras High Court
(till 5.1.2012)
(Retired / Sitting judge of the High Court)

(ii) **Dr A G Ponniah** … Member
Director, Central Institute of
Brackishwater Aquaculture, Chennai
(Expert in the field of Coastal Aquaculture)

(iii) **Shri P Madeswaran** … Member
Scientist 'F'
Ministry of Earth Sciences, Govt. of India
(Expert in the field of Coastal Ecology)

(iv) **Dr D D Basu** … Member
Senior Scientist
Central Pollution Control Board
(Expert in the field of Environment Protection / Pollution)

(v) **Shri Tarun Shridhar, IAS** … Member
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
(Representative of the Ministry of Agriculture, Govt. of India)

(vi) **Ms Leena Nair, IAS** … Member
Chairman, The Marine Products
Export Development Authority
(Representative of the Ministry of Commerce, Govt. of India)

(vii) **Shri Satyabrata Sahu, IAS** … Member
Commissioner & Secretary, Dept. of Fisheries &
Animal Resources Department
Govt. of Odisha
(Representative of Odisha State)

(viii) **Shri P K Mohanty, IAS** … Member
Additional Chief Secretary (Fisheries)
Shri Jyothi Lal, IAS / Ms Ishita Roy, IAS
Dr A Jayathilak, IAS
Secretary (Fisheries)
Govt. of Kerala
(Representative of Kerala State)

(ix) **Shri A S Dagar, DANICS**
Secretary (Fisheries), Department of Agriculture, … Member
Fisheries, Animal Husbandry & Veterinary Services
UT Administration of Andaman & Nicobar Islands
(Representative of UT of Andaman & Nicobar Islands)

(x) **Shri Pitambar M Tandel** … Member
Karwar, Karnataka
(Representative of Karnataka State)

(xi) **Dr R Paul Raj** … Member Secretary
(Member appointed by the Central Government)

2. Aims & Objectives of the Authority

The objective of the Authority is to regulate 'coastal aquaculture' activities in the areas notified by the Central Government as 'coastal areas' and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, *viz.,* seed, feed, growth supplements, chemicals, etc., used in coastal aquaculture.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March, 2008. The CAA, shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals, is to ensure registration of all kinds of coastal aquaculture farms in the country. This is an ongoing process. A number of measures have been initiated by the Authority for registering

all eligible coastal aquaculture farms through awareness creation as well as by monitoring their operation. It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is made for a period of five years, which can be renewed for a further period of five years. The registration process would be continued in respect of new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the sea, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms', that is farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or to any research institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on, coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

Although the then 'existing' traditional aquaculture farms need no registration, such farms are also registered since registration of such farms is required for the purpose of exporting their products, as envisaged in the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995 as amended vide Notification of Ministry of Commerce and Industry No. D.O. 2714 (E) dated 28th October, 2009.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLC) and the District Level Committees (DLC) on all matters, especially in the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify conformation of norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to CAA for registration.

The CAA also has the power and the functions as stated below:

- ensure that the agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and the land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;

- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- advise and extend support to the State/UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life;
- carryout or sponsor investigations and studies / schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and fair and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups, etc., for preparation of technical manuals etc.;
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to by the Central Government.
- make suitable recommendations to the Government for amending the guidelines from time to time.

4. Regulation of SPF Litopenaeus vannamei culture in India

Government of India, vide Notification dated 15th October, 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898 (as amended by Livestock Importation Act, 2001), has authorized CAA to grant permission for importing broodstock of SPF *Litopenaeus vannamei* shrimp. The broodstock suppliers were shortlisted by CAA in consultation with the National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements, disinfection methods etc., are detailed in the said Guidelines contained in the above Notification.

By the Coastal Aquaculture (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei* shrimp. These Guidelines contain the criteria for application to breed SPF *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and, specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a Notification in March, 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries, and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This Notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L.vannamei* through destruction of the unauthorized stock.

Coastal Aquaculture Authority is meticulously following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the entire operation for the sustainable development of this venture.

II. Targets and Performance

1. Annual Targets

- Convening of meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.
- Registration of coastal aquaculture farms / renewal are a continuous process, which cannot be specifically quantified or targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms are expected to be registered during the next one year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District Level Committees and State Level Committees.
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000 ha for the year 2011-12 with an anticipated additional production of about 20,000 MT of the shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Issuing Public Notice to invite applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the permitted farmers.
- The broodstock requirement for *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and the extent of farming area for *L. vannamei* culture.
- Processing all the applications received from farmers, who intend to culture *P. monodon,* SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of adequate facilities, and issuing Certificate of Registration and / or permission therefor.
- Processing of the applications received for seed production and farming operations of SPF *L. vannamei* would be carried out in a time bound manner.
- Inspection of hatcheries and farms will be done by the Inspection Team to ascertain the biosecurity requirements as well as other requirements for this purpose.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval will be done promptly at the subsequent Authority meeting.
- Monitoring of hatcheries and farms will be done periodically; and appropriate action would be taken for violation of the conditions of approval.

- Convening of meetings of the Technical Committee to review the functioning of the Aquatic Quarantine will be done periodically.
- Sampling and testing of waste water discharged from hatchery ETS at the water quality laboratory set up in the premises of Coastal Aquaculture Authority at Chennai.
- Organising awareness programmes, in Maritime States, to sensitize the farmers on registration of *P. monodon*, SPF *L. vannamei*, finfish and crab farms and issues on banned drugs and other substances, as and when necessary.
- Participation / organization of workshops and exhibitions relating to coastal aquaculture depicting sustainable farming practices.
- Preparation of brochures / handouts on Good Aquaculture Practices (GAqP) etc., for distribution to stakeholders.

2. Brief review of Actual Performance

- Five meetings of the Authority were held between April 2011 and March 2012. In all, 1,282 applications for registration of coastal aquaculture farms received from SLC / DLC were considered for approval. The Authority approved 1,243 applications, the balance were returned for rectification.
- Registration certificates were issued to all the 1,243 approved farms.
- On the basis of the Inspection Team's report, 50 new hatcheries were permitted for SPF *L. vannamei* seed production after inspection; and permission already granted to 24 hatcheries were renewed for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from suppliers short-listed by CAA.
- After scrutinizing the applications received from the farmers, for culture of SPF *L. vannamei* and based on the Inspection Team's report, 193 farms with total area of 2,176 ha (water spread area of 1,504.88 ha) were issued permission for culturing SPF *L. vannamei* during the year.
- Approximately, 2,465.06 million post larvae (PL) of SPF *L. vannamei* were produced by the approved hatcheries and supplied to registered shrimp farmers during this period.
- Technical Evaluation Committee met on 15th February, 2012 and interacted with hatchery operators, who were permitted to import SPF *L. vannamei* broodstock, relating to various issues concerning import of broodstock especially on the annual requirement of broodstock.

- A total of 48,720 pairs of broodstock were approved by the CAA for import during the year 2011-12.
- Training programmes were organized for the State Government officials of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Gujarat, Kerala and West Bengal on the basic requirements for registration of farms, inspection and monitoring in SPF *L. vannamei* farms and on GAqPs. One hundred and twelve officers participated in the training programme.
- CAA had sponsored and coordinated the "Train-the-Trainers-Good Aquaculture Practices" course along with the Fisheries College & Research Institute, Thoothukudi, organized by Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN) and USFDA, University of Maryland, USA at the Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS), Chennai during 17th to 21st January, 2012. A total of 38 candidates representing 23 organizations participated in the training programme.
- A total of 13 hatcheries (3 in Nellore District of Andhra Pradesh and 10 in Kancheepuram and Villupuram Districts of Tamil Nadu) were inspected by the Inspection Team on receipt of complaints regarding illegal seed production of *L. vannamei*. The team observed broodstock and larval stages of *L. vannamei* in four of the hatcheries and destroyed the illegal pond reared broodstock and larval stages found in those four hatcheries.

III.A. Activities and Achievements

1. Meetings of the Authority

During the year, *i.e.*, from April 2011 to March 2012, the CAA convened five regular meetings, in addition to other meetings for specific purposes. The details of the meetings and important decisions taken are summarized in Table 1. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as punitive measures against farms and hatcheries that used banned antibiotics, action against unapproved hatcheries and farms producing *L. vannamei*, review of the registration process of hatcheries, monitoring of hatchery / farm waste water discharge, constitution of District Level Teams (DLTs) for inspection of SPF *L.vannamei* farms up to 5 ha area etc.





Authority meetings in progress



Table 1 Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April 2011 – March 2012)

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Thirty Second Meeting	28th April, 2011 Chennai	• Approved the registration of 298 shrimp farms. • Permission to import broodstock and for seed production of SPF *L. vannamei* by 24 hatcheries renewed as per recommendations of the Technical Committee. • Permission granted to 85 shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*. • Approved the draft proforma for registration of marine and brackishwater finfish hatchery. Also, resolved to constitute an Inspection Team to inspect the hatcheries. • Resolved to fix the fee for registration of finfish hatcheries at ₹ 1,000/-. • Resolved to issue the closure order of three unapproved hatcheries for producing *L. vannamei* seeds. • Resolved to put up in the CAA website as well as to give wide publicity about CAA's action to stop illegal hatchery seed production activities. • Resolved to issue show cause notices to the ten hatcheries, found to have used banned antibiotics (reported by MPEDA). • Resolved to set up District Level Teams (DLTs) in the coastal States to inspect farms (below 5 ha. WSA), for *L. vannamei* culture.
Thirty Third Meeting	24th June, 2011 Chennai	• Approved the registration of 214 shrimp farms. • Permission granted to 37 shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to issue show cause notices to five farms for using banned antibiotics (reported by MPEDA).

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Thirty Fourth Meeting	19th August, 2011 Chennai	• Approved the registrations of 367 shrimp farms. • Granted permission to 12 hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock and seed production. • Granted permission to 37 shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to send a team to inspect the eleven farms in Thoothukudi District of Tamil Nadu to ascertain location of farms from HTL. • Resolved to issue warnings to the eight hatcheries replied to show cause notice not to use banned antibiotics in future. Also, resolved to issue closure order to the two hatcheries, who have not replied for show cause notices. • Resolved to authorize CIBA for carrying out disease monitoring in the SPF *L. vannamei* farms and hatcheries in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat.
Thirty Fifth Meeting	10th October, 2011 Port Blair	• Approved the registration of 89 shrimp farms. • Granted permission to 2 hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock and seed production. • Permission granted to 11 shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to adopt a time limit of 2 weeks for submitting the bank guarantee, after the approval by the Authority issued to the hatchery for import of *L. vannamei* broodstock and if there is no response within that period, the approval shall stand cancelled. • Resolved to issue warning letters to the two farmers whose replies to the show cause notices for using antibiotics were found not satisfactory. Resolved to issue order of closure to the two farmers who did not reply to the show cause notices for using banned antibiotics.

Meetings	Date & Venue	Important decisions taken in the meeting
Thirty Sixth Meeting	3rd January, 2012 Chennai	• Approved the registration of 274 shrimp farms. • Granted permission to 13 hatcheries to import SPF *L. vannamei* broodstock and seed production. • Permission granted to 23 farms to culture SPF *L. vannamei*. • Resolved to make suitable amendments to the guidelines to provide for shifting of culture of one species to another, *viz*., *L. vannamei* to *P. monodon* and *vice versa*. • Approved the proposal to sponsor the "Train-the-Trainers-Good Aquaculture Practices" course to be organized along with the FC & RI, Thoothukudi and JIFSAN, USFDA, USA at TANUVAS, Chennai during 17th to 21st January, 2012. • Audit report of the Authority for the year 2010-11 with reply to CAG was approved.

2. Registration of Shrimp Farms

a. One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the recommendations of the State and District Level Committees constituted for this purpose.

b. The Authority considered the applications recommended by the DLCs and SLCs for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 24,283 registration certificates to shrimp farmers till March 2012 (since inception of the CAA).

c. A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 maritime States and Union Territories is given in Table 2. The area-wise and state-wise farms registered with the Authority is depicted in Figures 1 and 2. The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website, which is being updated periodically.

Table 2 : Details of Registration Certificates issued by CAA up to 36th Meeting (December 2005 to March 2012)

Sl. No.	Name of States / UTs	Total Area (ha)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.00	Total
1	West Bengal	1,333	163	6	0	0	**1,502**
2	Odisha	3,849	371	27	10	0	**4,257**
3	Andhra Pradesh	13,922	995	104	48	9	**15,078**
4	Tamil Nadu	850	597	128	19	1	**1,595**
5	Puducherry	5	1	0	0	0	**6**
6	Kerala	450	97	13	2	0	**562**
7	Karnataka	253	36	2	2	0	**293**
8	Goa	19	14	1	2	0	**36**
9	Maharashtra	80	112	23	18	6	**239**
10	Gujarat	139	549	8	1	2	**699**
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	**12**
12	A & N Islands	3	1	0	0	0	**4**
	Total	**20,903**	**2,948**	**312**	**102**	**18**	**24,283**

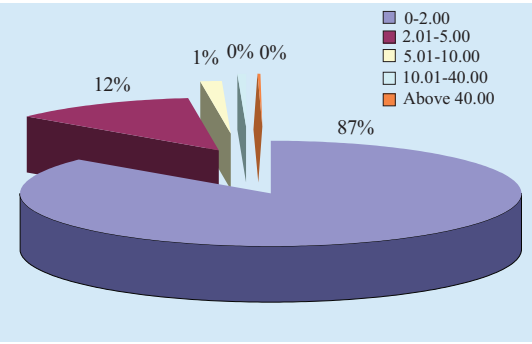


Figure 1 Registration of farms (area-wise) in all coastal States from December 2005 to March 2012

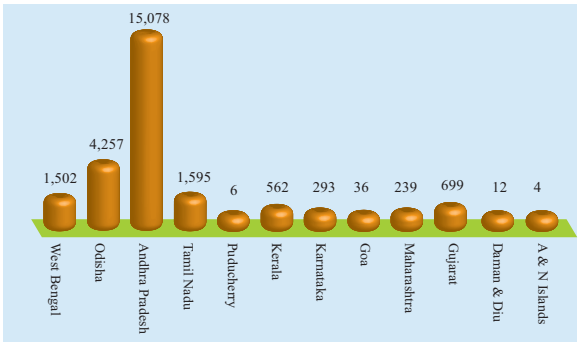


Figure 2 Registration of farms (state-wise) in all coastal States from December 2005 to March 2012

d. During the year under report, the Authority has considered and approved 1,243 applications. The registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers and the certificates returned undelivered were sent to the Member Converners of the SLCs of the States to deliver to the farmers as resolved in the 27th meeting of the Authority.

e. A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April 2011 to March 2012 in the 12 maritime States and UTs is given in the Table 3. Area-wise and farm-wise registrations during the year are depicted in Figures 3 and 4. The charts showing the area-wise farms registered with the Authority in 10 maritime States and one Union Territory are depicted in Figures 5 to15).

Table 3 Details of Registration Certificate issued by CAA during April 2011 – March 2012

Sl. No.	Name of States / UTs	Total Area (ha)					
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.00	Total
1	West Bengal	136	20	6	0	0	**162**
2	Odisha	174	9	1	0	0	**184**
3	Andhra Pradesh	415	38	15	11	0	**479**
4	Tamil Nadu	48	28	21	4	0	**101**
5	Puducherry	4	0	0	0	0	**4**
6	Kerala	110	10	0	0	0	**120**
7	Karnataka	3	0	0	0	0	**3**
8	Goa	0	2	0	1	0	**3**
9	Maharashtra	6	0	0	0	0	**6**
10	Gujarat	5	166	6	1	1	**179**
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	**0**
12	A & N Islands	2	0	0	0	0	**2**
	Total	**903**	**273**	**49**	**17**	**1**	**1,243**

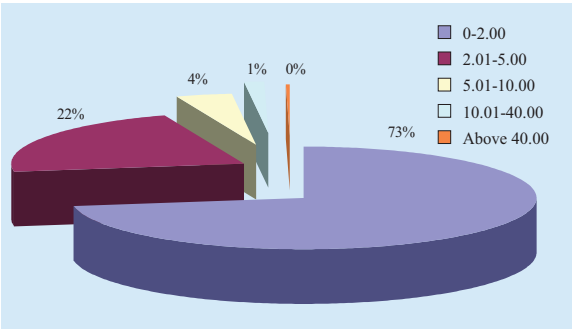


Figure 3 Registration of farms (area-wise) in all coastal States during the year 2011-12

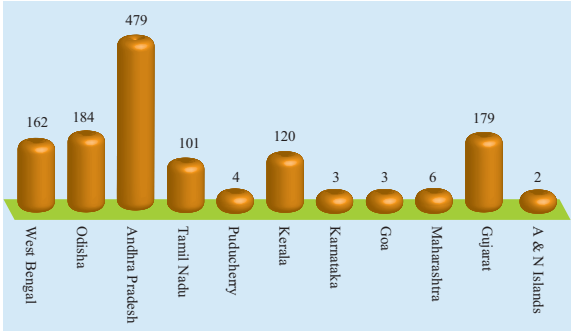
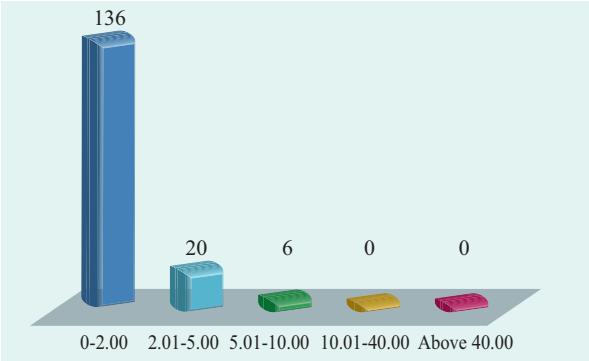


Figure 4 Registration of farms (state-wise) in all coastal States during the year 2011-12

State-wise break up of Shrimp farms registered with CAA during the year 2011-12 (Figures 5-15)

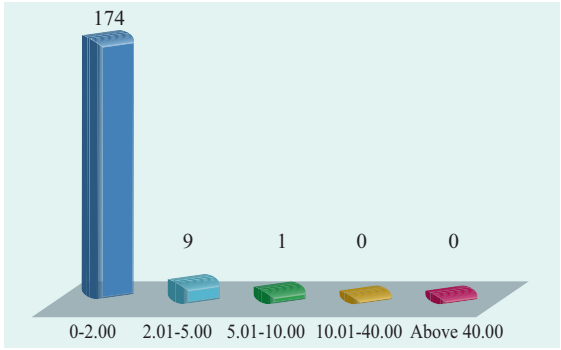
West Bengal



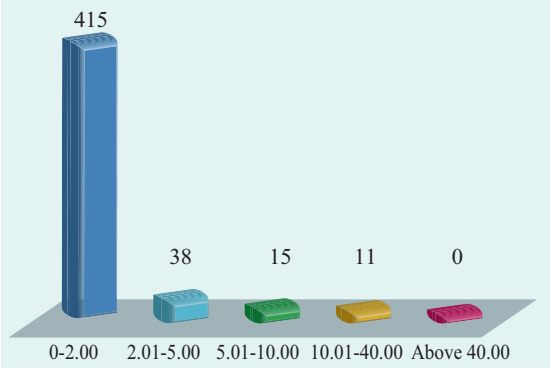
Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	136
2.01 - 5.00	20
5.01 - 10.00	6
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

Odisha

Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	174
2.01 - 5.00	9
5.01 - 10.00	1
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

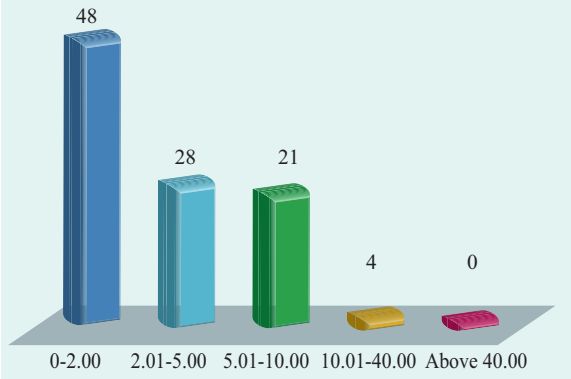


Andhra Pradesh



Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	415
2.01 - 5.00	38
5.01 - 10.00	15
10.01 - 40.00	11
above 40.00	0

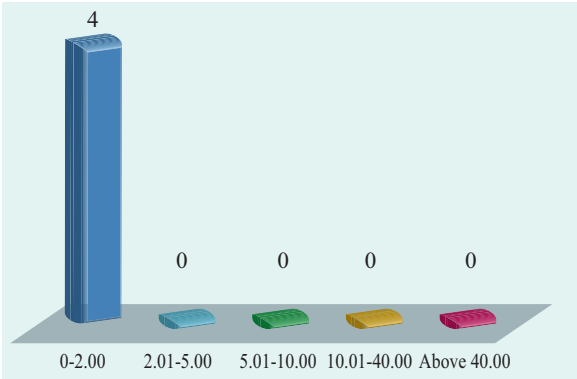
Tamil Nadu



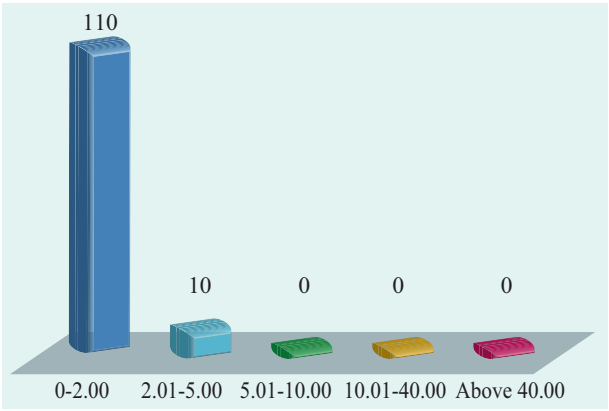
Toal Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	48
2.01 - 5.00	28
5.01 - 10.00	21
10.01 - 40.00	4
above 40.00	0

Puducherry

Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	4
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0



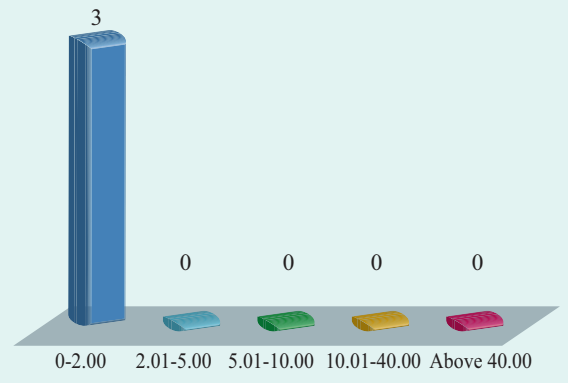
Kerala



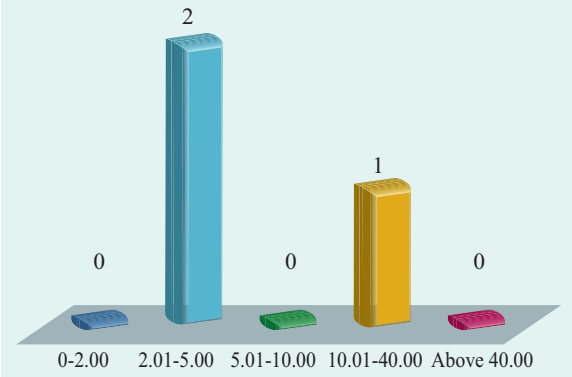
Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	110
2.01 - 5.00	10
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

Karnataka

Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	3
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0



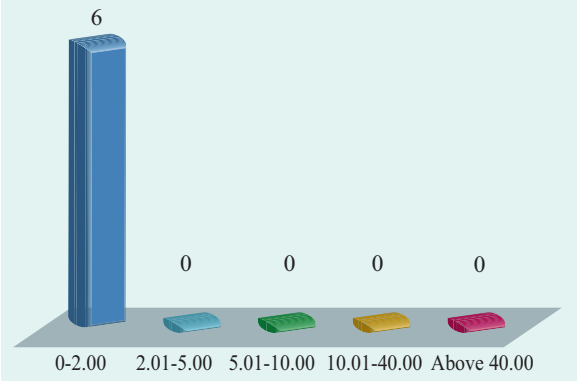
Goa



Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	0
2.01 - 5.00	2
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	1
above 40.00	0

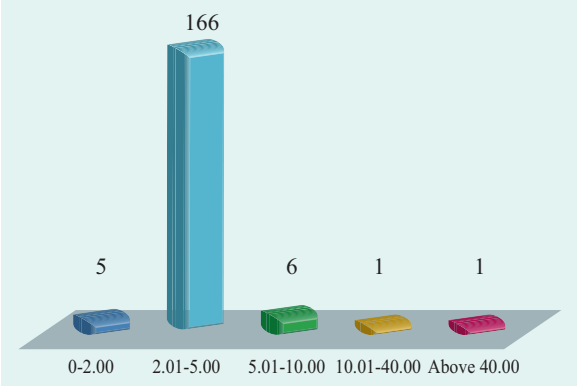
Maharashtra

Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	6
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

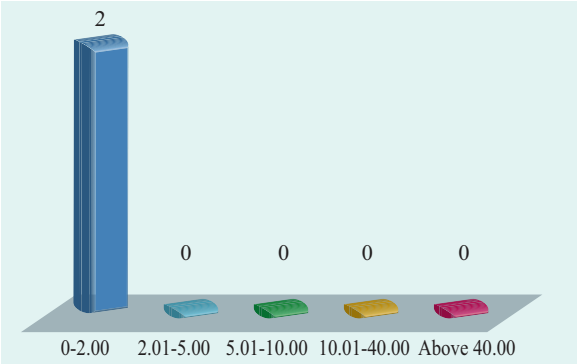


Gujarat

Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	5
2.01 - 5.00	166
5.01 - 10.00	6
10.01 - 40.00	1
above 40.00	1



Andaman & Nicobar Islands



Total Area (ha)	No. of farms
0 - 2.00	2
2.01 - 5.00	0
5.01 - 10.00	0
10.01 - 40.00	0
above 40.00	0

3. SPF L. vannamei Farming

According to the guidelines notified vide G.S.R.No.302(E) dated 30.4.2009 by the Ministry of Agriculture, for regulation of hatcheries and farms for introduction of *L. vannamei,* Coastal Aquaculture Authority was entrusted with the task of granting permission to hatcheries for import of SPF *L. vannamei* broodstock and production of post larvae (PL) for sale. Accordingly, CAA, in consultation with NFDB, CIBA & MPEDA identified nine broodstock suppliers of SPF *L. vannamei* through global advertisement, from whom the hatchery owners are allowed to import broodstock during the year.

(i) Shortlisting of SPF L. vannamei Broodstock Suppliers

- CAA carried out the exercise of shortlisting the suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, based on the genetic base and disease status, by holding intensive discussions with the prospective suppliers in consultation with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA. This year one more supplier was

added to the list of approved suppliers of broodstock of SPF *L. vannamei*. The following nine suppliers have been shortlisted for 2011-2012:

1. M/s. Oceanic Institute, Hawaii
2. M/s. Kona Bay Marine Resources, Hawaii
3. M/s. Shrimp Improvement Systems, Florida
4. M/s. SyAqua, Thailand
5. M/s. Vannamei 101 Co. Ltd., (with joint venture), Thailand
6. M/s. Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd., Thailand
7. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd., Singapore
8. M/s. Shrimp Improvement Systems Pte. Ltd. Hawaii.
9. M/s. High Health Aquaculture Inc., Hawaii

(ii) Meeting of the Technical Evaluation Committee on Import of Broodstock

- The Technical Evaluation Committee had a meeting with the hatchery operators on 15th February, 2012 and discussed various issues concerning import of broodstock especially on the annual requirement, quality of broodstock, survival rates etc.

(iii) Import of SPF L. vannamei Broodstock and Seed production in the year 2011-12

- As per the recommendation of the committee constituted for granting permission to hatcheries, renewal Letters of Permission (LoP) were issued to 24 hatcheries for the year 2011-2012 to import the permitted quantity broodstock and production of seed of SPF *L. vannamei*. The validity of the renewed permit is up to 31.03.2012.
- An advertisement dated 11.01.2011 was released in the leading newspapers and CAA website inviting fresh applications from hatchery owners for import of SPF broodstock and seed production of SPF *L. vannamei*.
- A total of 92 applications were received from the hatchery operators; and after scrutinizing the applications, the Inspection Committee constituted by the CAA, inspected the hatcheries to evaluate their biosecurity and other facilities and to ascertain their suitability. On the basis of the recommendations of the Inspection Committee, 50 hatcheries (38 in Andhra Pradesh, 9 in Tamil Nadu, 1 in Karnataka, 1 in Odisha and 1 in Gujarat) were given approval by the Authority for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* during 2011-12, which are valid up to 31.03.2012. These are in addition to the 24 permits renewed for the year. The percentage distribution of

the permitted hatcheries is given in Figure 16 and the district-wise distribution is depicted in Figure17.

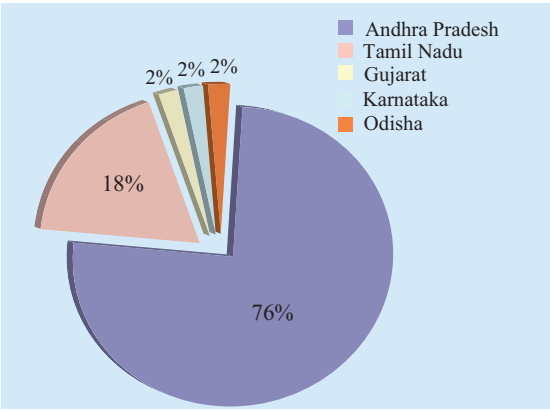


Figure 16 State-wise distribution of L. vannamei hatcheries

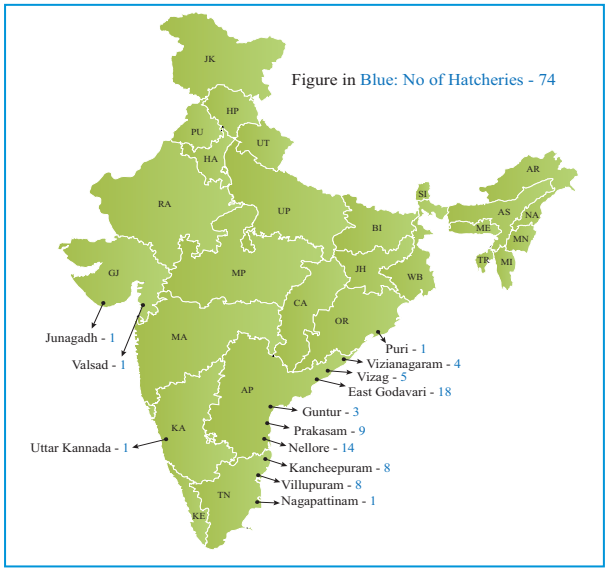


Figure 17 Distribution of permitted L. vannamei hatcheries



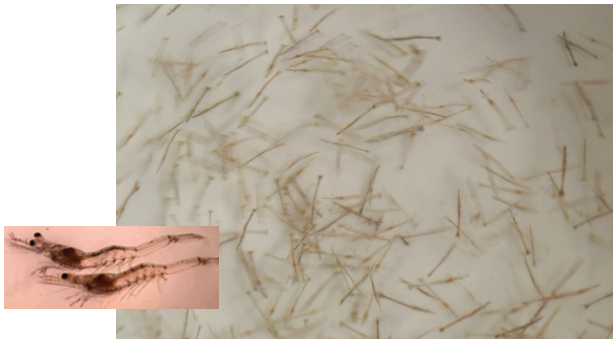


Inspection of hatcheries

- The total number of broodstock permitted during the period was 48,720 pairs. But the hatcheries have imported only 18,980 pairs due to limited space at the quarantine facility and produced 2,465.06 million seed (post larvae). The average survival rate from nauplii to post larvae is observed to be 34.28 per cent as estimated from the reports submitted by the hatcheries.



L. vannamei hatchery



L. vannamei seed produced

- Within a period of three years from the commencement of the programme (July 2009 to March 2012), the Inspection Team inspected the biosecurity facilities in 169 hatcheries, out of which 74 were approved by CAA with a production potential of 5,608 million SPF seeds. The approved hatcheries produced and supplied 4,409.34 million SPF *L. vannamei* seeds from July 2009 to March 2012 to the registered farms (Figure 18).

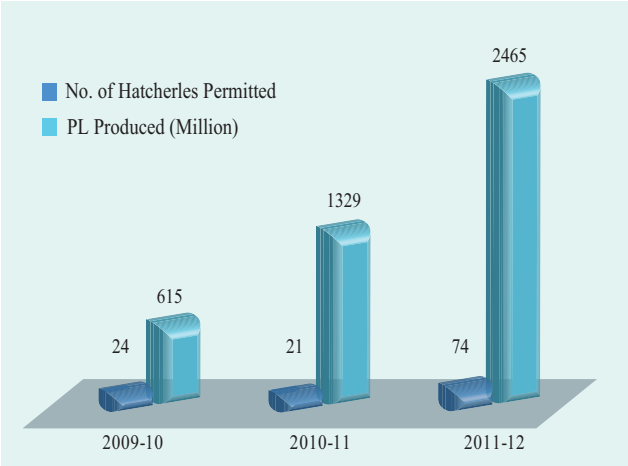


Figure 18 Status of L. vannamei seed production

(iv) Permission to shrimp farms to culture SPF L. vannamei

The Inspection Team constituted by CAA for inspection of farms inspected 468 farms for granting permission to culture SPF *L. vannamei*. The biosecurity requirements for SPF *L. vannamei* culture were verified by the Team and the following requirements are ensured:

i. peripheral fencing of farms;
ii. crab fencing;
iii. water intake reservoirs;
iv. installation of bird netting / bird scares;
v. Effluent Treatment System (ETS)



Farm inspection



Peripheral fencing of farm



Farm lining



Crab fencing





Bird netting



Reservoir



ETS

On the basis of the recommendations of the Inspection Team, further processing is done at the level of Member Secretary CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the LoPs are issued to the farmers.

During the year under report, the Authority has considered and approved 193 farms with total area of 2,176.84 ha (WSA 1,504.88 ha) for SPF *L. vannamei* farming, its state-wise details are given in Table 4 and their percentage distribution is depicted in Figure 19.

Table 4 State-wise details of permission of SPF L. vannamei farms from April 2011 to March 2012

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	129	1,619.80	1,118.89
2	Tamil Nadu	41	276.89	213.78
3	Gujarat	18	172.50	128.56
4	Maharashtra	3	89.64	31.00
5	Karnataka	1	0.94	0.80
6	Puducherry	1	17.07	11.85
	Total	**193**	**2,176.84**	**1,504.88**

CAA has approved and issued LoPs to 468 *L. vannamei* farms since beginning till March 2012, covering a total area of 5,921.70 ha (WSA 3,971.46 ha), the State-wise details are presented in Table 5 and their percentage distribution is depicted in Figure 20.

Table 5 State-wise details of permission of SPF L. vannamei farms from December 2005 to March 2012

Sl. No.	Name of the State	No. of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	321	4,062.13	2,767.58
2	Tamil Nadu	79	691.24	472.60
3	Gujarat	28	443.50	303.55
4	Maharashtra	16	514.11	291.12
5	Karnataka	17	47.98	38.18
6	Odisha	5	140.08	83.78
7	Goa	1	5.60	2.80
8	Puducherry	1	17.07	11.85
	Total	**468**	**5,921.71**	**3,971.46**

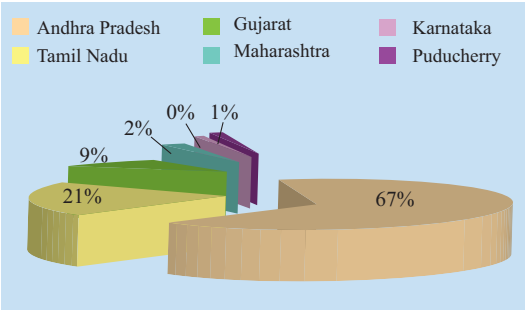


Figure 19 Percentage distribution of CAA approved L. vannamei farms during the year 2011-2012

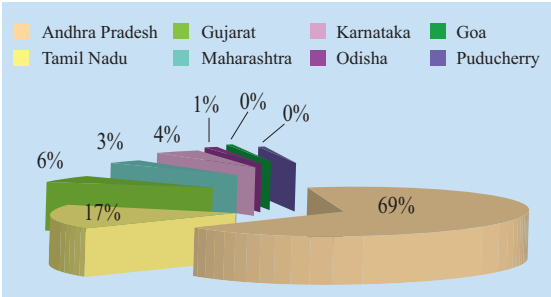


Figure 20 Percentage distribution of CAA permitted L. vannamei farms from December 2005 to March 2012

The growth in area under culture of SPF *L. vannamei* farms during the three years of development is depicted in Figure 21 and state-wise growth during the period is given in Figure 22. The district-wise distribution of *L. vannamei* farms as on March 2012 is given in Figure 23. The details of SPF *L. vannamei* shrimp farms approved by CAA are being updated periodically in the Authority's website.

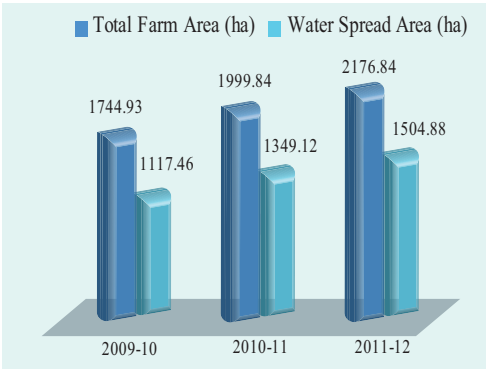


Figure 21 Area of SPF L. vannamei farms Permitted

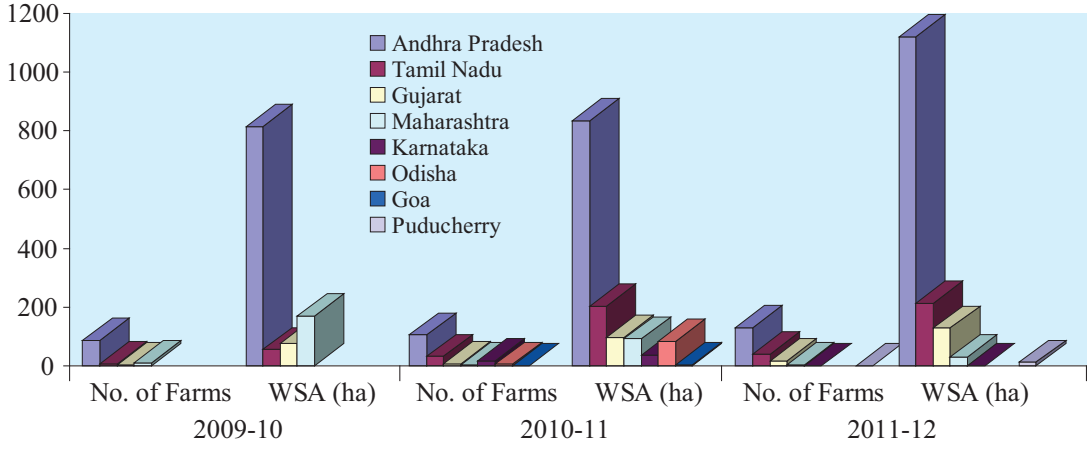


Figure 22 State-wise growth in SPF L. vannamei farms during April 2009-March 2012

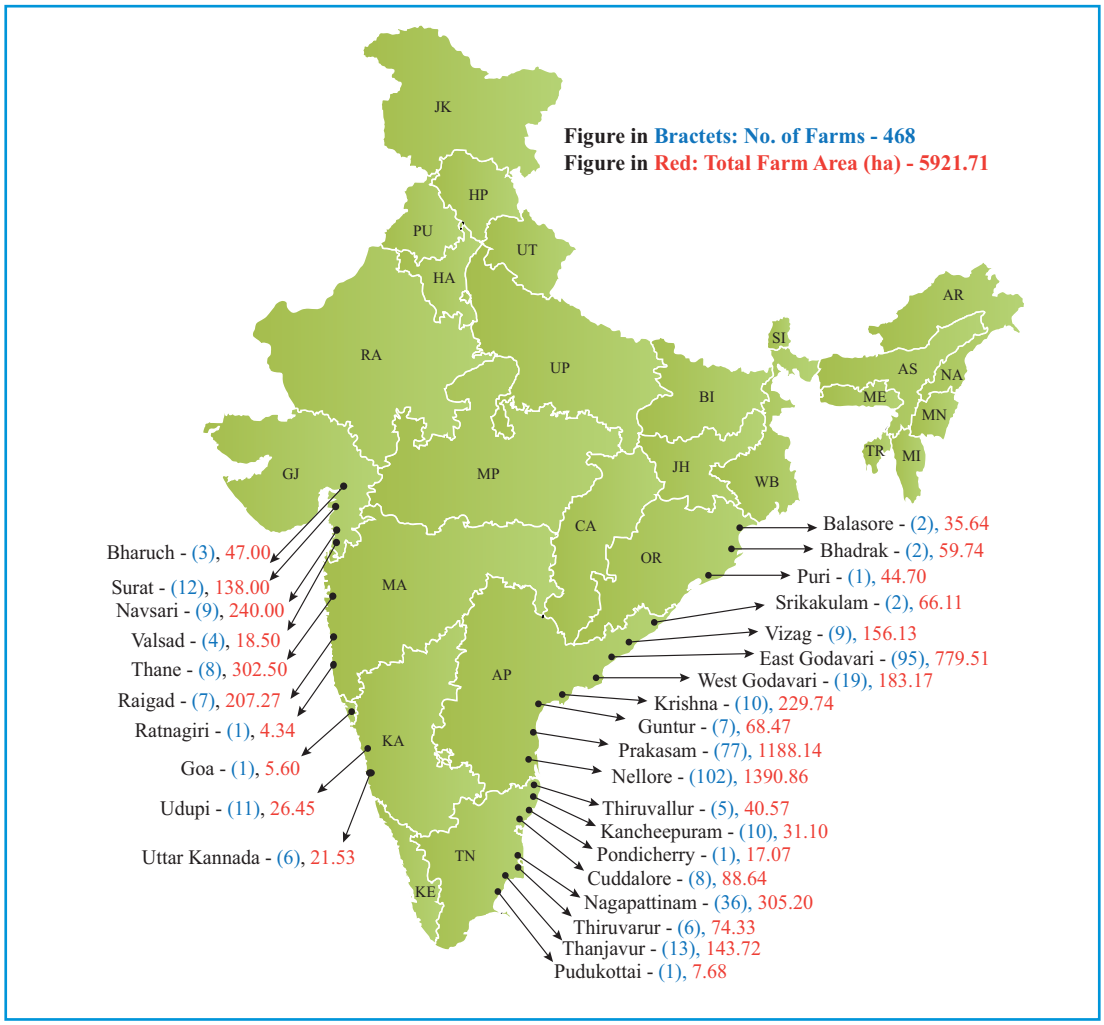


Figure 23 District-wise distribution of SPF L. vannamei farms

v. State-wise Performance of L. vannamei Farming

Andhra Pradesh

The State of Andhra Pradesh recorded the highest number (321) of *L. vannamei* farm registration with total farming area of 4,062.03 ha and water spread area of 2,767.58 ha. The performance of SPF *L. vannamei* culture synthesized based on the data given by the farmers through the quarterly reports is given in the next page:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Rate of survival (%)	69-92	78.4
2	Average body weight (g)	16-41	26.4
3	Yield (MT/ha)	2.7-17.39	–
4	FCR	1-2	1.44

Tamil Nadu

SPF L. vannamei farming in Tamil Nadu is carried out in 79 farms registered with CAA with total farm area of 691.24 ha (WSA 472.6 ha). This State ranks 2nd in *L. vannamei* farm registration. The performance of *L. vannamei* farming in the State as per quarterly reports is given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Rate of survival (%)	42-94	81.9
2	Average body weight (g)	17-34	26.5
3	Yield (MT/ha)	3.4-17	–-
4	FCR	1.18-2.25	1.49

Gujarat

The number of farms registered for *L. vannamei* culture in Gujarat is 28 with total farm area of 443.5 ha (WSA 303.55 ha). This State ranks 3rd, based on area permitted. The analysis made on the basis of quarterly reports submitted by the farmers is given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Rate of survival (%)	69-97	86.2
2	Average body weight (g)	20-39	30.7
3	Yield (MT/ha)	4.3-15.3	–
4	FCR	1.3-1.7	1.48

Maharashtra

Based on the area under culture, Maharashtra ranks 4th with total farming area of 514.11 ha (WSA of 291.12 ha). The number of farms registered in this State is 16. The performance of SPF *L. vannamei* culture in this State is as given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Rate of survival (%)	40-93	69.5
2	Average body weight (g)	10-25	18.6
3	Yield (MT/ha)	2.7-12.3	—
4	FCR	1.26-2.2	1.63

Karnataka

The number of farms registered in this State is 17 with total farming area of 47.98 ha (WSA 38.18 ha). All the farms registered in this State are small farms with water spread area less than 4.05 ha. The performance of SPF *L. vannamei* culture in this State is as given below:

Sl. No.	Performance Indicators	Range	Average
1	Rate of survival (%)	52-95	81.4
2	Average body weight (g)	20-38	27.8
3	Yield (MT/ha)	2.2-14.15	—
4	FCR	1.12-1.37	1.35

Odisha

The State of Odisha has registered 5 farms for SPF *L. vannamei* culture with a total farming area of 140.08 ha (WSA 83.78 ha). All the 5 farms registered are large farms with water spread area above 8.00 ha. The performance of *L. vannamei* culture in this State is as given below:

Sl. No.	Performance indicators	Range	Average
1	Rate of survival (%)	51-98	67.0
2	Average body weight (g)	16-25	18.5
3	Yield (MT/ha)	2.67-7.4	—
4	FCR	1.03-3.2	1.85

(vi) Production of SPF L. vannamei

During the year 2011-12, an additional number of 193 farms were permitted by CAA to culture SPF *L. vannamei* which made the total number of farms to 468 covering water spread area of 3,971.46 ha and a production of 80,717 MT of *L. vannamei* was realized from these farms (Figure 24). The survival rate ranged from 67-86.2 per cent and the culture duration varied from 33*-207 days (**distress harvesting)*. The average body weight (ABW) ranged from 18.5 to 30.7 g and the FCR varied between 1.35 and 1.85. The yield varied between 2.2 and 17.39 MT/ha.

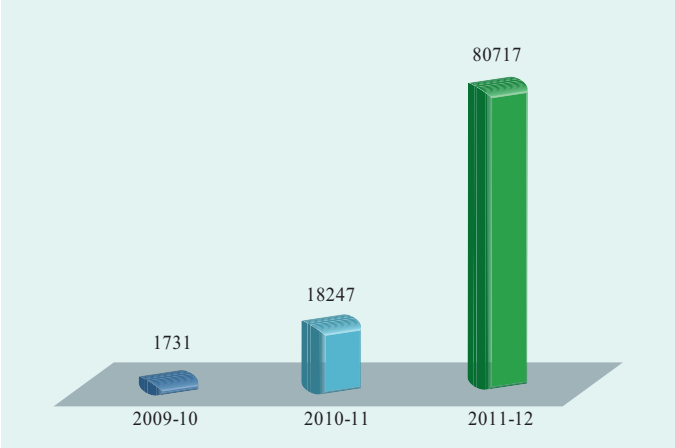


Figure 24 L. vannamei production from 2009-10 to 2011-12



Aeration



Check tray observation





Filter bags in main sluice and inlet

In a comparison made in the production between *P. monodon* and *L. vannamei,* it was observed that:

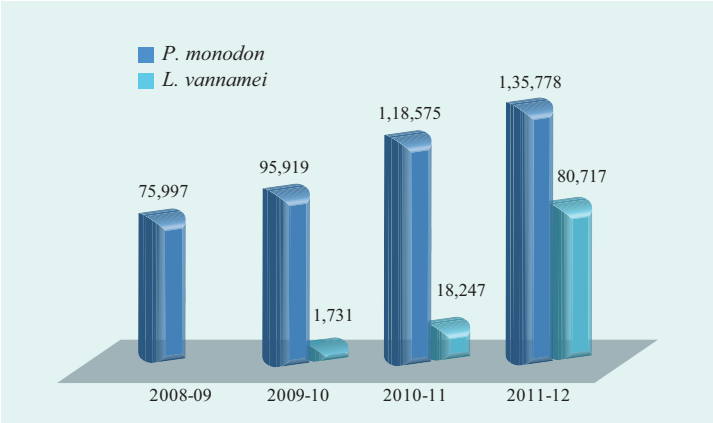


Figure 25 Growth in production of L. vannamei vs P. monodon

- While the estimated production of *P. monodon* increased from 0.76 lakh tonnes during 2008-09 to 1.36 lakh tonnes during 2011-12 over a period of 4 years, SPF *L. vannamei* production increased from 1,731 MT in 2009-10 to 80,717 MT during 2011-2012 registering a remarkable growth within a period of three years (Figure 25).

- SPF *L. vannamei* contributed 37.28 per cent to the overall shrimp production of about 2.16 lakh tonnes (provisional) in 2011-12.

- The productivity in *L. vannamei* farms increased remarkably from 3.0 MT/ha/year during 2009-10 to 10.30 MT ha/year during 2011-12, whereas productivity in *P. monodon* farms increased only marginally from 0.70 to 1.19 MT/ha/yr (Figure 26). The increase in productivity in *L. vannamei* farms impacted the overall productivity in shrimp farms considerably from 0.7 MT/ha/year during 2008-09 to 5.7 MT/ha/year during 2011-12.

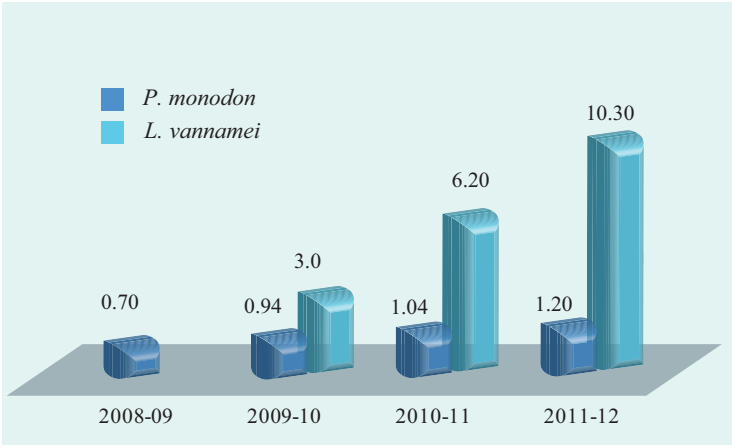


Figure 26 Growth of productivity in L. vannamei farms vs P. monodon farms

- By ensuring biosecured farming facilities, production in *L. vannamei* farms averaged 7.5 MT/ha/yr as compared to 1.04 MT/ha/yr for *P. monodon*. Total production increased from 1,731 MT in 2009-10 to 18,247 MT in 2010-11 and 80,717 MT during 2011- 2012 (Figure 27).

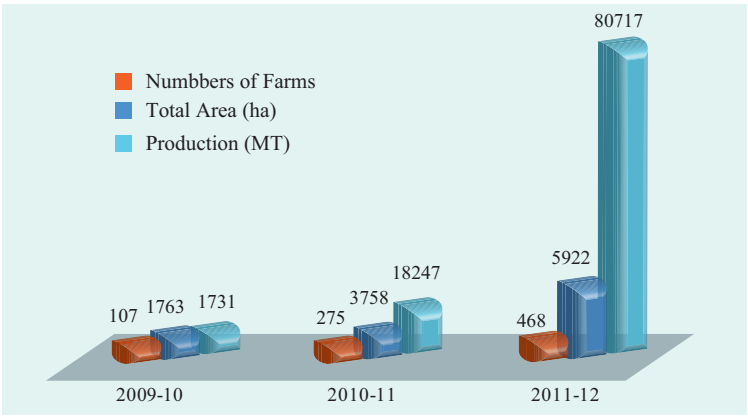


Figure 27 Growth of L. vannamei farming in India

- Apparent feed conversion ratio was 1.4:1 in *L. vannamei* (in a culture period of 120-130 days) as compared to 1.6:1 in *P. monodon* (in a culture period of 160-175 days).

SPF L. vannamei culture using Cluster farming system

The registration of clusters of farms paved way for small farmers also to take up *L. vannamei* farming. As ETS is mandatory for *L. vannamei* culture, small farmers applied jointly for registration of *L. vannamei* farming. They formed clusters and carried out *L. vannamei* farming using common ETS and biosecurity measures. There are 316 number of cluster farms (68%) registered by CAA as on 31.03.2012 with a water spread area of 2,492.55 ha (Figure 28).

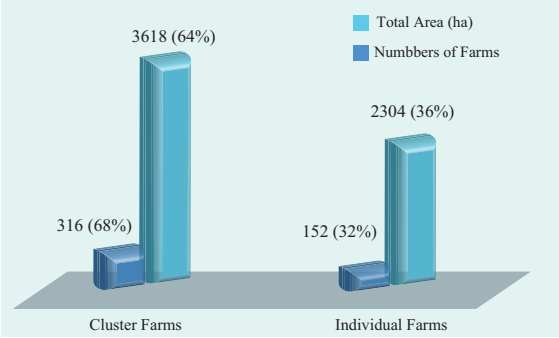


Figure 28 Cluster farming in L. vannamei

(vii) Monitoring of Hatcheries of SPF L. vannamei

- Monitoring of seed production of SPF *L. vannamei* in the permitted hatcheries was carried out by the Monitoring Team authorized by CAA wherein the record maintenance, performance of hatchery and the biosecurity aspects were reviewed at regular intervals.



Monitoring of a SPF L. vannamei hatchery



Verification of records

- Altogether 52 visits (38 in Andhra Pradesh and 14 in Tamil Nadu), to the permitted hatcheries were made by the Monitoring Team.
- The production facilities were inspected and the records were also verified. The hatcheries were advised to maintain proper records as per the guidelines issued by the Ministry of Agriculture vide Notification No. 259 dated 1st May, 2009.
- Wastewater samples discharged from the permitted hatcheries were collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that wastewater parameters conform to the standards prescribed by CAA. Warning letters were issued to those hatcheries, wherein the water quality parameters in the waste water discharged exceeded CAA standards.



ETS in a hatchery



Collection of wastewater sample

- In order to carry out the routine monitoring of shrimp hatcheries as well as to inspect hatcheries on specific complaints to ascertain the illegal seed production of *L. vannamei*, the Inspection Team inspected three hatcheries in Nellore District of Andhra Pradesh and ten hatcheries in Kancheepuram and Villupuram Districts of Tamil Nadu. Among these, the Team observed *L. vannamei* broodstock and larval

stages of *L. vannamei* in four hatcheries (3 in Tamil Nadu and 1 in Andhra Pradesh). The team destroyed approximately 2,400 numbers of illegal pond reared broodstock and 10.5 million larval stages in those four hatcheries. Further action in this regard is in progress.

4. Water Quality Monitoring Laboratory

The water quality monitoring laboratory established in the Technical Section of CAA at Vepery is put into use for testing the samples collected during monitoring of the waste water from hatcheries and farms to ensure that they are within the standards prescribed by CAA Act and Rules. The laboratory is fully equipped with the installation of instruments such as CHNSO Analyzer, Spectrophotometer, Nitrogen Kjeltec – Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system apart from other equipments required for water quality monitoring.





CAA Laboratory

5. Website updation

The website of CAA, *viz.* www.caa.gov.in, is updated through the National Informatic Centre, Chennai. Data are viewed globally and seafood buyers in foreign countries get the full details of cultured shrimps for traceability. Further, shrimp farmers and hatchery operators access the website to get the application forms for registration and full information on guidelines for import of broodstock, quarantine, seed production and farming of SPF *L. vannamei*. Detailed information are furnished and are frequently uploaded.

6. Building for the Headquarters of CAA

At present, the Authority is functioning in a small portion of the Shastri Bhawan Annexe in Haddows Road, Chennai - 600 006 and the space allotted is hardly adequate to meet

the current demands. Therefore, the Technical Section of the Authority is functioning in a rented building at Vepery. Due to inadequacy of space, special meetings and workshops are to be conducted outside. The Authority has ambitious plans for the future to set up functional facilities including laboratories, training classes, information centre, library, conference hall, committee rooms, etc., for its headquarters at Chennai besides residential accommodation for the staff. It is therefore, proposed to construct a National Headquarters Complex of the Authority at Chennai. The matter regarding allocation of land for this purpose has been actively pursued with the State Government.

7. Hindi Week observed by CAA

CAA observed Hindi Week from 21st to 27th September 2011. A special session was organized on 27th September 2011 to impart training to the staff members of the Authority by availing the service of Shri Ashish Kumar Khare, Hindi Translator, Fishery Survey of India, Chennai. Also, during the Week two competitions were conducted *viz.* (i) Dictation and (ii) Letter writing in Hindi and awards were presented to the successful staff. A total of fourteen staff members participated in the competitions enthusiastically.





Observation of Hindi Week in CAA

8. Outreach Activies of CAA

(i) Participation in Fairs / Exhibitions

- CAA participated in the "8th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture" organized by the Fish Health Section of Asian Fisheries Society and College of Fisheries, Mangalore during 21st to 25th November 2011.
- CAA also participated in the "National Conference on New vistas in Indian Aquaculture" organized by Central Institute of Brackishwater Aquaculture during 23rd to 24th February 2012 on the occasion of Silver Jubilee of that Institute.

CAA put up stall in both events and posters depicting the objectives, functions and activities of CAA and also highlighting the mandate, functions and the GAqPs to be adopted by the shrimp farmers / hatchery operators including awareness on abuse of antibiotics, chemicals and drugs in aquaculture and guidelines and biosecurity requirements for SPF *L. vannamei* seed production and farming were displayed in the stall for the benefit of entrepreneurs, farmers and hatchery operators.





CAA stalls in Exhibitions

(ii) Training Programme to State Fisheries officials

- A training programme on "Inspection and Monitoring of SPF *L. vannamei* Farming" was conducted for the State Fisheries officers at Balasore District, Odisha on 25.05.2011 where in 15 officers attended. A detailed presentation on Guidelines for import of broodstock, seed production and farming of SPF *L. vannamei* was made and discussed elaborately.



Training at Balasore in progress



Officials in the field



Officials participated in the Training at Balasore with faculty

- A training programme on "Culture of SPF *L. vannamei*" was conducted for the state fisheries officials of Andhra Predesh at State Institute of Fisheries Technology (SIFT), Kakinada, Andhra Predesh on 7th to 9th September, 2011.



Officials participated in the training at Kakinada with faculty

- Four Joint Training Programmes were organized in association with CIBA and NFDB to "upgrade the skills of the state government officials involved in registration of the shrimp farms and Good Aquaculture Practices (GAqP)" and conducted for the State Fisheries officials at CIBA, Chennai, Tamil Nadu. The state-wise details of the programme are given in Table 6.

Table 6 State-wise details of the Joint Training Programme conducted for State Fisheries officials

Sl. No.	Coastal States	Period of Training Programme	No. of participants
1	Karnataka	13-15th October 2011	7
2	Kerala	3-5th November 2011	28
3	Odisha	15-17th November 2011	27
4	West Bengal	28-30th November 2011	3
		Total participants	**65**



Trainees in field at Chennai



Training in progress at CIBA, Chennai

- A Workshop was organized in association with the Centre of Advanced Studies in Marine Biology at Parangipettai, South Arcot District of Tamil Nadu on 15th December 2011 to educate the farmers on registration and GAqPs.



Training programme at Parangipettai in progress



Trainees in the field at Parangipettai

- An orientation programme was conducted to the State Fisheries officers of Gujarat at Surat on 23.12.2011 for inspection and monitoring of SPF *L. vannamei* farms. The

participants were also taken to a CAA registered farm wherein the different aspects of inspection and monitoring were explained and demonstrated.



Training at Surat in progress



Traineesw in the field at Gujarat



Participants of the Training at Gujarat with Director, CAA

(iii) Train-the-Trainers Course on Good Aquaculture Practice (GAqP)

CAA had sponsored and co-ordinated the "Train-the-Trainers-Good Aquaculture Practices" course along with the Fisheries College & Research Institute, Thoothukudi, organized by Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), USFDA, University of Maryland, USA at the Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS), Chennai during 17th to 21st January 2012. The course was dealt by a team of six experts from USA (four from JIFSAN/USFDA *viz.* Dr. Brett Koonse, Dr. Stanley Serfling, Mr. Bruce Ross & Dr. John Sproul, an expert from University of Maryland *viz.* Dr. Thomas Rippen and another expert from Virginia Polytechnic Institute and State University *viz.* Dr. Michael Schwarz) and host country presentation by

Dr. R. Paul Raj, Member Secretary, CAA. The programme included lectures, presentations, problem analysis, visits to farm and feed production facilities and evaluation. The course also included a module on Effective Training to assist in developing the Best Programme to fit available teaching resources and audience needs. The training was inaugurated by Dr. R. Prabakaran, Vice Chancellor, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS) Chennai. Presidential address was delivered by Justice Dr. A. K. Rajan, Former Chairman, CAA and valedictory address delivered by Dr. C. Balachandran, Registrar, TANUVAS. Totally 38 candidates representing 23 organizations participated in the course. Certificates were issued to all the 38 candidates by the guests of valedictory function and faculty members. The trainers and trainees highly appreciated the programme and JIFSAN expressed interest in further collaboration.



Justice Dr. A.K. Rajan, Former Chairman, CAA delivering the Presidential address in the inaugural function



Dr. R. Prabakaran, Vice Chancellor, TANUVAS delivering inaugural address



Session in progress



Distribution of Certificates





Trainees with faculty in the field



Participants with faculty and guests of Inaugural Function

9. i) Participation of CAA members / officers in meetings / seminars / symposia organized by other organisations

- Member Secretary attended the 2nd Expert Group Meeting on Aquatic Animal Disease at New Delhi on 4.4.2011.
- Member Secretary attended the 1st meeting of the 12th Plan Working Group on Development and Management of Fisheries and Aquaculture constituted by Planning Commission at NFDB, Hyderabad on 15.4.2011.
- Member Secretary participated in the 18th Executive Committee Meeting of NFDB on 19.4.2011 at New Delhi.

- Member Secretary attended the closing meeting of FVO Mission at New Delhi on 20.5. 2011.
- Member Secretary participated in the launch of UN Decade of Biodiversity organized by the Ministry of Environment & Forests at New Delhi on 23.5.2011.
- Member Secretary attended the meeting of the Working Group on Development and Management of Fisheries and Aquaculture for 12th Plan constituted by Planning Commission, at Kochi on 24.5.2011
- Member Secretary attended a special meeting convened by Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries at New Delhi on 14.7.2011 on expansion and operation of Aquatic Quarantine Facility.
- Member Secretary attended the 2nd meeting of 12th Plan Working Group on Development and Management of Fisheries and Aquaculture at Central Inland Fisheries Research Institute (CIFRI), Barrackpore on 22.7.2011
- Member Secretary attended the meeting of the Committee constituted to evaluate proposal received for setting up of Multiplication Centres for SPF *L. vannamei* on 2.8.2011 at DAHD & F, New Delhi.
- Member Secretary participated in the 19th Executive Committee Meeting of National Fisheries Development Board (NFDB) on 3.8.2011 at New Delhi.
- Member Secretary attended the meeting of Working Group on Development and Management of Fisheries and Aquaculture for 12th Plan at Chennai on 18.8.2011.
- Member Secretary participated in the 3rd meeting of the Committee set up by Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries to evaluate proposals received for setting up of Multiplication Centre for SPF *L. vannamei* and SPF *P. monodon* in response to the Expression of Interest issue for this purpose, held on 18.8.2011 at CAA, Chennai.
- Member Secretary attended the Preliminary meeting for State Fisheries Ministers Conference held on 23.9.2011 at New Delhi to discuss on the arrangements to be made.
- Member Secretary attended the Meeting on culture of *L.vannamei* in inland saline water held at Hyderabad on 28.9.2011 to finalise the Guidelines.
- Member Secretary participated in the 4th meeting of the Committee set up by Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries to evaluate proposals received for setting up of Multiplication Centre for SPF *L.vannamei* and SPF *P. monodon* in response to the Expression of Interest issue for this purpose held on 12.10.2011 at CAA, Chennai.

- Member Secretary attended the second meeting of the Expert Group on Aquatic Animal Disease at New Delhi on 14.10.2011.
- Member Secretary as Chairman of the Sub-committee on 'Inland Fisheries and Aquaculture' set up by the Steering Committee on Aquaculture and Allied sectors (including irrigation) to finalise the 12th Plan schemes of the Government of Tamil Nadu convened two meetings of the Sub-committee at CAA, Chennai, which were attended by the senior level officers of the Fisheries Department of the State Government and the Sub-committee forwarded its recommendations to the State Government on 15th November 2011.
- Member Secretary led a Team on 15.12.2011 to inspect two hatcheries of M/s. Nugen Bioshrimp Technologies P. Ltd. for the reported seed production of SPF *P. monodon* as a part of the Special Investigation at Vizianagaram and Srikakulam.
- Member Secretary chaired the Session on 'Nutrition and Health' and delivered the keynote address in the Session at the 9th Indian Fisheries Forum organized by Asian Fisheries Society held at Chennai from 19 to 23 December 2011.
- Member Secretary attended the Silver Jubilee celebration of CIBA held on 23/24.2.2012, as Guest of Honour.
- Member Secretary participated in the 20th Executive Committee Meeting of NFDB on 27.2.2012 at New Delhi.
- Member Secretary attended the Research Advisory Committee meeting of CIBA at Chennai on 28/29.2.2012.
- Member Secretary attended the Research Advisory Committee meeting of Central Institute of Freshwater Aquaculture (CIFA) at Bhubaneswar on 19/20.3.2012.
- Director (Tech), CAA attended the national workshop on the "Better Management Practices (BMPs) and cluster management for empowering small scale farmers: Scaling up strategies EU-FP7 Project ASEM Aquaculture Platform" organized by CIBA/ASEM/MPEDA/NACA from 16th to 18th May 2011 at CIBA, Chennai.
- Director (Tech), CAA participated in the discussion and finalization of the draft technical and technical policy briefs on 4.7.2011 for constitution of a panel of Stakeholders for CIBA-NACA International Project on Aquaclimate.
- Director (Tech), CAA attended the interaction meeting convened by Union Minister of Agriculture and Food processing Industries with NARS Scientists from Animal and Fishery Sciences Division of ICAR at NASC Complex, Pusa, New Delhi on 8th November 2011.
- The Food and Veterinary Office Audit from European Commission visited India during 11 to 20 May 2011 and 14 to 25 November 2011 in order to evaluate the

control systems in place covering the production of fishery and aquaculture products intended for export to the European Union. Required inputs were provided by CAA and the officers from CAA accompanied the team in field visits to shrimp farms in Kerala and Gujarat.



FVO Team verifying the details of a farm at Kochi on 13-05-2011



FVO inspection in a veterinary medical shop at Kochi





Farm visit of FVO Team at Surat on 16-11-2011

- Member Secretary, Director (Tech), Asst. Director (Tech), Advisor, Consultant and two Senior Technical Assistants, CAA participated in "National Conference on New vistas in Indian Aquaculture" organized by CIBA from 23rd to 24th February 2012.
- Director (Tech), Asst. Director (Tech), Advisor, Consultant and two Senior Technical Assistants, CAA participated in the 'Aqua India 2012 - Indian Aquaculture - Changing Era' organized by the Society for Aquaculture Professionals held at Chennai during 9th to 10th March 2012.

ii) International participation

- Director (Tech), CAA was deputed to attend the Terminal Workshop on FAO TCP Project on Certification of Small-scale Aquaculture held in Bangkok, Thailand during 12th to 16th September 2011 and presented a status paper on "Aquaculture Certification in India".

III B. Activities likely to be taken up during 2012-13

(i) **Registration :** Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries is a continuous processes. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2012 and March 2013.

(ii) **Approval for SPF *L. vannamei* culture :** About 2,000 ha of additional farm area would be brought under *L. vannamei* culture.

(iii) **Inspection and Monitoring :** Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed by the Authority. Besides, the regular testing, specific tests would also be conducted in case complaints are received.

(iv) **Standards for Aquaculture inputs :** Draft Standards for shrimp feed would be finalised, consistent with international standards.

(v) **Awareness Programmes :** Awareness programmes relating to environment protection, sustainable development of coastal aquaculture activities and GAqPs are to be organised.

(vi) **Advertisement and Publication :** Public notices are to be issued on the important matters to caution stakeholders and for taking precautionary measures.

(vii) **Preparation of Manuals / Brochures :** The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules, Guidelines would be edited incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry. A manual on Good Aquaculture Practices would be brought out for the benefit of the farmers.

(viii) **Workshops and Meetings :** Stakeholders meetings would be organised for combating the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.

CAA would be representing in workshops, exhibitions, seafood fairs and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

(ix) **Capacity building :** Training and study visits would be organised for technical and administrative staff for the effective implementation of regulatory measures as well as for improving the knowledge in their sphere of work.

IV. FINANCE

Summary of Actual Financial results and Activities during the Financial year 2011-2012.

The Accounts pertaining to the financial year 2011-12 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Principal Accountant General (Civil Audit), Tamil Nadu & Puducherry, Chennai.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in four installments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, New Delhi (Administrative Ministry) has sanctioned budget estimate of ₹ 300 lakhs for the financial year 2011-12 vide its letter No.27035/5/2010-Fy (IV) dated 6thApril 2011. This office has submitted RE for ₹ 286 lakhs on 30.08.2011 and the Ministry has admitted the same vide its letter No. 41011/8/2011-Fy (B&A) dated 12.01.2012. However, this office claimed only ₹ 250 lakhs and incurred expenditure for ₹ 249.87 lakhs.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2011-2012 are as follows:

Major head 2405 Sub Head - 090031 Grant in Aid

(₹ in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent Balance
300	286	250	249.87	0.13

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2012-13
1	Coastal Aquaculture Authority	090031 Grant in Aid	325

V. Staff and existing organizational structure of the Authority

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2011-2012 is as follows:

Sl. No.	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	Number of staff repatriated during the financial year	Number of new staff during the year	Staff at the end of the financial year
1	A	Director	1	1	-	-	1
		Asst. Director	1	1	1	1	1
		Sr. Admn. Officer	1	1	-	-	1
2	B	Superintendent	1	1	-	-	1
		Private Secretary	2	2	-	-	2
		Accountant	1	-	-	1	1
		Senior Technical Assistant	2	2	-	-	2
		Steno. Gr. 'C'	2	-	-	-	-
3	C	Senior Clerk	2	1	-	-	1
		Junior Clerk	2	1	-	-	1
		Steno. Gr. 'D'	1	1	-	-	1
		Car Driver	1	1	-	-	1
4	D	MTS	4	4	-	-	4
		Total	**21**	**16**	**1**	**2**	**17**

In addition to the sanctioned posts, three clerical staff, two Lab Technicians and two supporting staff have been appointed on contract basis through a manpower agency. The processes for filling up of the post of Senior Clerk and Stenographer Grade "C" were taken up and is expected to be completed by the year 2012-13.

Retirement / Repatriation:

- The tenure of Dr. Justice A. K. Rajan, Chairman of the Authority ended on 5th January 2012.
- Dr. Manas Kumar Sinha, Assistant Director (Technical), who was on deputation, was repatriated to his parent office after completion of the deputation tenure.

VI. Right to Information Act

Totally eleven applications were received under RTI Act during the year 2010-11. Requested information was furnished.

ANNEXURE

Annual Accounts and Separate Audit Report of the CAG for the year 2011-12

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILIITIES			
Corpus/Capital Fund	1	1,40,01,809	1,11,19,378
Reserves and Surplus	2	0	0
Earmarked/Endowment Funds	3	65,70,922	49,90,275
Secured Loans and Borrowings	4	0	0
Unsecured Loans and Borrowings	5	0	0
Deferred Credit Liabilities	6	0	0
Current Liabilities and Provisions	7	4,91,134	2,71,530
Total		**2,10,63,865**	**1,63,81,183**
ASSETS			
Fixed Assets	8	1,26,63,631	1,01,86,573
Investments - From Earmarked / Endowment Funds	9	17,28,379	16,11,362
Investments - Others	10	0	0
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	66,71,855	45,83,248
Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted)		—	—
Total		**2,10,63,865**	**1,63,81,183**
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2012

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
A. INCOME			
Income from Sales/Services	12	0	0
Grants/Subsidies	13	2,50,00,000	2,45,00,000
Fees/Subscriptions	14	3,550	7,530
Income from Investments (Income on Investment from earmarked / endowment funds transferred to Funds)	15	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	0	0
Interest Earned	17	3,32,016	2,23,181
Other Income	18	10,000	1,582
Increase/(decrease) in stock of finished goods and works-in-progress	19	0	0
Total (A)		**2,53,45,566**	**2,47,32,293**
B. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	98,25,946	94,39,742
Other Administrative Expenses etc.	21	96,38,265	86,93,845
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	30,174	0
Interest	23	0	0
Depreciation (Net Total at the year-end corresponding to Schedule 8)		29,68,750	12,60,815
Total (B)		**2,24,63,135**	**1,93,94,402**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		28,82,431	53,37,891
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance Being Surplus / (Deficit) Carried to Corpus/Capital Fund			
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUA

GOVERNMENT OF INDIA,

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe,

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR

(Amount-₹)

Receipts	Current Year	Previous Year
1. Opening Balances		
a) Cash in hand	0	3,000
b) Bank Balances		
i) In Current accounts	0	19,05,772
ii) In Deposit accounts		
iii) In Savings accounts	40,91,011	0
2. Grants Received		
a) From Government of India	2,50,00,000	2,45,00,000
b) From State Government		
c) From Other Sources (Grants for Capital & Revenue expenses to be shown separately)		
3. Income on Investments from		
a) Earmarked/Endowment Funds (FDR Interest)	1,17,017	1,11,362
b) Own Funds (Other Investment)		
4. Interest Received		
a) On Bank deposits	3,32,016	2,21,111
b) Loans, Advances etc.	0	2,070
5. Other Income (Specify)		
Examination fees	0	0
Tender fees	3,500	7,500
Miscellaneous Income	10,000	1,582
RTI fees	50	30
6. Amount Borrowed		
7. Any other receipts (given details)		
Earnest Money Deposit	3,60,104	1,30,530
Computer Advance Recovery	0	30,000
Stamps in Hand	28,625	28,248
Letter of Credit	0	11,21,000
Endowment Fund (Farm Registration Fees)	27,10,755	21,83,141
Total	**3,26,53,078**	**3,02,45,346**

Sd/-
Sr. Admin. Officer

CULTURE AUTHORITY

MINISTRY OF AGRICULTURE

26 Haddows Road, Chennai-600006

THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2012

(Amount-₹)

Payments	Current Year	Previous Year
1. Expenses		
a) Establishment Expenses	98,04,346.00	94,39,742
b) Administrative Expenses	96,09,169.00	86,93,845
2. Payments made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
3. Investments and deposits made		
a) Out of Earmarked/Endowment Funds (FDR in IOB)	1,17,017.00	1,11,362
b) Out of Own Funds		
4. Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress		
a) Purchase of Fixed Assets	51,37,677.00	18,93,933
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	0	50,46,007
5. Refund of surplus money/loans		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) To other providers of funds		
6. Finance Charges (Interest)		
7. Other Payments (Specify)		
a) Pre Payments (Infintybook.com)	3,81,491.00	4,12,916
b) Performance security Deposit Refund	1,40,500.00	0
c) Festival Advance	29,250.00	21,600
d) Staff Deduction & Remittance	0	97,154
e) Expenditure out of Earnmarked fund	12,47,125.00	4,08,680
f) Medical Advance	0	29,096
g) Unspent Grant in aid refund	30,174.00	0
h) Post Master	50,000.00	0
f) Postal stamps in Hand	80,295.50	0
8. Closing Balances		
a) Cash in hand	0	0
b) Bank Balances		
i) In Current accounts	0	0
ii) In Deposit accounts	0	0
iii) In Savings accounts	60,26,033.50	40,91,011
Total	**3,26,53,078.00**	**3,02,45,346**

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
Cost of Assets as on 1.04.2010				
Less : Depreciation up to 31.03.2010				
Stamps in Hand				
Balance at the Begning of the year 1.4.2011		1,11,19,378		57,81,487
Add : Contributions towards Corpus / Capital Fund				
		1,11,19,378		57,81,487
Less /(Deduct) : Expenditure over income/ transferred from the Income and Expenditure Account				
Add : Excess of Income over Expenditure Transfered from Income & Expenditure A/c		28,82,431		53,37,891
Balance as at the Year-End		**1,40,01,809**		**1,11,19,378**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

	Current Year		Previous Year	
1. Capital Reserve				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
2. General Reserve				
As per last Account				
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
Total		**0**		**0**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY, CHENNAI

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - ₹)

	Fund-wise Break up			Totals		
	Farm Registration Fees	Processing Fees for *L.vanammei* Farms	Processing Fees for *L.vanammei* Hatchery	Fund ZZ	Current year	Previous year
a) **Opening balance of the funds**	33,69,301	13,40,974	2,80,000		49,90,275	31,04,452
b) **Addition to the Funds**						
i) Donations/grants						
ii) Income from Investment made on account of Earmarked funds	1,17,017				1,17,017	1,11,362
iii) Fees	4,72,250	15,21,255	7,17,250		27,10,755	21,83,141
Total (a+b)	**39,58,568**	**28,62,229**	**9,97,250**		**78,18,047**	**53,98,955**
c) **Utilisation/Expenditure towards objectives of funds**						
i) Capital Expenditure						
– Fixed Assets						
– Others						
Total						
ii) Revenue Expenditure						
– Salaries, Wages, Allowances etc.						
– Travelling Expenses on Inspection of Farms Etc	8,49,742				8,49,742	1,37,268
– JIFSAN Training Expenses	2,89,383				2,89,383	2,71,412
– Seminar/workshop/conference etc., Expenses	1,08,000				1,08,000	
Total (c)	**12,47,125**	**0**			**12,47,125**	**4,08,680**
Net Balance as at the Year-End (a+b-c)	**27,11,443**	**28,62,229**	**9,97,250**		**65,70,922**	**49,90,275**

Notes :

1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:		
a) Term Loans		
– Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)		
– Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Others (Specify)		
Total	**0**	**0**

Note : Amounts due within one year

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government 2. State Government (Specify) 3. Financial Institutions 4. Banks a) Term Loans b) Other Loans (Specify) 5. Other Institutions and Agencies 6. Debentures and Bonds 7. Fixed Deposits 8. Other (Specify)		
Total	**0**	**0**

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES

	Current Year	Previous Year
1. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets 2. Others		
Total	**0**	**0**

Note : Amounts due within one year

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. Current Liabilities				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors				
a) For Goods				
b) Others				
3. Performance Security Deposit		62,000		1,41,000
a) M/s. Akshaya Sales, Chennai	0		25,000	
b) M/s. Foss India (P) Ltd., Mumbai	57,000		57,000	
c) M/s. Rands Instruments Company, Chennai	0		5,000	
d) M/s. Sincere Traders, Chennai	5,000		5,000	
e) M/s. Smart Labtech Pvt. Ltd., Hyderabad	0		44,000	
f) M/s. Systronics, Chennai	0		5,000	
4. Earnest Money Deposit		4,29,134		1,30,530
a) M/s. Merit Enterprises	20,280		20,280	
b) M/s. Orbit Technologies	44,250		44,250	
c) M/s. Sartorius Metchatronics India Pvt. Ltd.	4,500		4,500	
d) M/s. SV Instrument Analytical Pvt. Ltd.	0		61,500	
e) M/s. Agilent Technologies	1,75,000			
f) M/s. Blue Star Ltd. Chennai	22,500			
g) M/s. B.V.N. Instruments Pvt. Ltd.	1,00,000			
h) M/s. Day N Day Services (P) Ltd.	25,000			
i) M/s. Protean Management Contcy.	10,604			
j) M/s. The Host	27,000			

(Contd.)

SCHEDULE 7
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS *(Contd.)*

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
5. Interest accrued but not due on : a) Secured Loans / borrowings b) Unsecured Loans / borrowings				
6. Statutory Liabilities :	0	0		0
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)				
7. Other current Liabilities	0	0		0
Total (A)		**4,91,134**		**2,71,530**
B. Provisions 1. For Taxation 2. Gratuity 3. Superannuation/Pension 4. Accumulated Leave Encashment 5. For Depreciation		0		0
Total (B)		**0**		**0**
TOTAL (A+B)		**4,91,134**		**2,71,530**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

(Amount - ₹)

Item	Rate of Dep.	Gross Block					Depreciation				Net Block	
		Cost / Valuation as at beginning of the year	Addition during the year		Deduc-tion during the year	Cost Valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Addition during the year	On Deduc-tion during the year	Total up to the year end	As at the Current year end	As at the Previous year end
			Up to 30-09-11	After 30-09-11								
Land	—	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Plant & Machinery	15%	18,18,195	87,67,687	1,77, 629		1,07,63,511	3,10,554	15,54,621		18,65,175	88,98,336	15,07,641
Office Equipment	15%	19,33,837	0	1,22,854		20,56,691	9,86,271	1,51,349		11,37,620	9,19,071	9,47,566
Car	15%	3,30,860	0	0		3,30,860	2,84,860	6,900		2,91,760	39,100	46,000
Furniture & Fixtures	10%	29,25,640	21,867	2,01,918		31,49,425	9,32,762	2,11,570		11,44,332	20,05,093	19,92,878
Computers & Peripherals	60%	17,54,644	6,62,228	36,435		24,53,307	13,33,665	6,60,855		19,94,520	4,58,787	4,20,979
Library Books	60%	8,89,067	3,25,982	1,75,215		13,90,264	6,63,565	3,83,455		10,47,020	3,43,244	2,25,502
A. Total of Current Year		**96,52,243**	**97,77,764**	**7,14,051**		**2,01,44,058**	**45,11,677**	**29,68,750**		**74,80,427**	**1,26,63,631**	**51,40,566**
Previous Year												
B. Capital Work-in-Progress												
TOTAL (A + B)											**1,26,63,631**	**51,40,566**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposit Receipts (IOB)	17,28,379	16,11,362
Total	**17,28,379**	**16,11,362**

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	0	0
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
Total	**0**	**0**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount - ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT ASSETS				
1. Inventories		0		0
a) Stores and Spares				
b) Tools				
c) Stock-in-trade				
- Finished Goods				
- Work-in-Progress				
- Raw Materials				
2. Sundry Debtors				
a) Debts outstanding for a period exceeding six months				
b) Others				
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)		0		0
4. Bank Balances				
a) With Scheduled Banks				
- On Current Accounts (IOB)				0
- Letter of Credit (includes margin money)				0
- On Savings Accounts		60,26,033.50		40,91,011
b) With non-Scheduled Banks				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts				
- On Savings Accounts				
5. Post Office - Savings Accounts				
6. Stamps in Hand				
a) Stamps (Franking Machine)		72,809.50	25,545	25,545
b) Stamps (Postal)		7,486.00	3,080	3,080
Total (A)		**61,06,329.00**		**41,19,636**

(Contd.)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff		
b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity		
c) Other (specify)		
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) Shri T.S Rao (Computer Advance)	0	0
b) Prepayments (Annexure-1)	5,36,276	4,12,916
c) Staff Festival Advance (Annexure-1)	29,250	21,600
d) Medical Advance (Miss. S. Priya, Stenographer 'D')	0	29,096
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked / Endowment Funds		
b) On Investments - Others		
c) On Loans and Advances		
d) Others (includes income due unrealised - ₹.....)		
4. Claims Receivable		
Total (B)	**5,65,526**	**4,63,612**
TOTAL (A + B)	**66,71,855**	**45,83,248**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2012

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Income from Sales a) Sale of Finished Goods b) Sale of Raw Material c) Sale of Scraps 2. Income from Services a) Labour and Processing Charges b) Professional / Consultancy Services c) Agency Commission and Brokerage d) Maintenance Services (Equipment / Property) e) Others (Specify)		
Total	**0**	**0**

SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government	2,50,00,000	2,45,00,000
2. State Government(s)		
3. Government Agencies		
4. Institutions / Welfare Bodies		
5. International Organisations		
6. Others (Specify)		
Total	**2,50,00,000**	**2,45,00,000**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2012

SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Entrance Fees		
2. Annual Fees Subscription		
3. Seminar / Programme Fees		
4. Consultancy Fees		
5. Examination Fees	0	0
6. Tender Fees	3,500	7,500
7. RTI Fees	50	30
Total	**3,550**	**7,530**

Note - Accounting Policies towards each item are not to be disclosed

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Invest from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
1. Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds / Debentures				
2. Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3. Rents				
4. Indian Overseas Bank FDR	1,17,017	0		
Total	**1,17,017**	**0**		
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	**1,17,017**	**0**		

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2012

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC (Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Income from Royalty		
2. Income from Publications		
3. Others (specify)		
Total	**0**	**0**

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED

	Current Year	Previous Year
1. On Term Deposits:	0	0
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2. On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	3,32,016	2,21,111
b) With Non-Scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3. On Loans		
a) Employees / Staff	0	2,070
b) Others		
4. Interest on Debtors and other Receivables		
Total	**3,32,016**	**2,23,181**

Note - Tax deducted at source to be indicated

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2012

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Profit on sale disposal of assets		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2. Export Incentives realized		
3. Fees for Miscellaneous Services		
4. Miscellaneous Income (Sale of Waste Paper)	0	1,582
5. Income from EMD forfeit	10,000	
Total	**10,000**	**1,582**

SCHEDULE 19 - INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS

	Current Year	Previous Year
a) Closing Stock		
- Finished goods		
- Work-in-progress		
b) Less: Opening Stock		
- Finished goods		
- Work-in-progress		
Net Increase / (Decrease) {a-b}		

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2012

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	98,25,946	94,39,742
b) Allowances and Bonus		
c) Contribution to Provident Fund		
d) Contribution to Other Fund (specify)		
e) Staff Welfare Expenses		
f) Expenses on Emloyees' Retirement and Terminal Benefits		
g) Others (specify)		
Total	**98,25,946**	**94,39,742**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2012

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES ETC

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	5,02,078.00	5,69,711
2. Publication	2,93,540.00	2,09,746
3. Domestic Travelling Expenses	22,26,142.00	18,98,824
4. Medical Expenses	1,22,696.00	87,382
5. Supply & Materials	1,275.00	2,30,841
6. **Office Expenditure**		
- Repairs and maintenance (Vehicle)	63,385.00	67,220
- Electricity and Power	1,37,670.00	1,36,915
- Rent, Rates, and Taxes	15,60,884.00	13,20,748
- Photostate Expenses	0	2,543
- Postage, Telegram	1,83,287.50	2,77,374
- Printing, Stationary and Consumables	3,51,375.00	3,99,947
- Water Charges	24,329.00	21,610
- Library Expenses (Periodicals & Journals)	10,054.00	3,902
- Liveries (Uniform)	0	1,268
- Telephone Expenses	1,83,403.00	2,03,230
- Professional Charges	5,37,560.00	4,96,710
- Vehicle Hire Charges	14,59,081.00	9,97,946
- Meeting Expenses	53,942.00	1,57,045
- Telephone and Mobile Reimbursement Expenses	41,785.00	55,759
- Miscellaneous Expenses	2,20,595.00	2,25,028
- Seminar / Workshops / Training Expenses	1,76,000.00	5,05,422
- Other Contractual Service	12,77,879.00	6,39,004
- Website Maintenance Charges	31,987.00	63,422
- AMC Expenses (A.C., Computers, Office Equipment Etc.)	1,48,358.00	1,18,664
- Annual PRA Maintenance Charges (NSDL)	3,819.00	2,219
- Bank Charges	27,140.50	1,365
Total	**96,38,265.00**	**86,93,845**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2012

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC

(Amount - ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Grants given to Institutions / Organisations (Refund of Unspent Balance to MOA) 2. Subsidies given to Institutions / Organisations	30,174	0
Total	**30,174**	**0**

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants / Subsidies are to be disclosed

SCHEDULE 23 - INTEREST

	Current Year	Previous Year
1. On Fixed Loans 2. On Other Loans (Including Bank Charges) 3. Others (specify)		
Total	**0**	**0**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULE - 24

ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Coastal Aquaculture Authority follows Cash Basis method of accounting in respect of all items of expenditure and income except where otherwise stated.

2. Fixed Assets

a) Fixed Assets are accounted after these are taken on charge duly inspected.

b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.

c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.

d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of ₹1/-

e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid are accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid are credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

f) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund. Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the Income and Expenditure Account.

3. Depreciation

a) Depreciation is provided on Written Down Value method as per rate Specified in Income tax Act, 1961

b) In respect of additions / deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

c) Each item of fixed assets costing ₹ 5,000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

4. Lease / Rent

Lease / Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure Statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. Govt. Grants / Subsidies

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to "Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account". Excess of grant over the expenses is transferred to Capital Fund Account at the end of the year.

7. Retirement Benefits

a) Coastal Aquaculture Authority's contribution paid / payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.

b) The liabilities in respect of Gratuity, which is ascertained annually on actuarial valuation at the year and, will be provided and funded separately.

8. Taxation

The Coastal Aquaculture Authority is not liable to pay to Union / State in respect of wealth tax, income tax, service tax, CST or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. Income and Expenses

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

(a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision / creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under "Prior period Adjustment" account.

(b) If actual expenditure or income exceeds the liability created / provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

(c) Expenditure / Income accruing to the Coastal Aquaculture Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.

(d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and / or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid / prior period items up to ₹ 1,000/- in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. Revenue Recognition

a) Coastal Aquaculture Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that the Authority is collecting Processing Fees for registering *Litopenaeus vannamei* farms and hatcheries. As per the existing policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked / Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

c) Interest earned on investment of earmarked fund is also added to the earmarked fund and is used for its specified purpose.

12. Separate Disclosure

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

a) "Prior period" items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.

b) "Extra–ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

c) Any item under the head 'Miscellaneous Income' which exceeds ₹ 50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-
Sr. Admn. Officer

Sd/-
Member Secretary

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe, 26 Haddows Road, Chennai-600006

SCHEDULE – 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

Contingent liabilities

As on 31st March 2012, there does not appear to be any case of contingent liability.

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of ₹ 1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2011-12 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount. In addition to that the Authority purchase government postal stamp from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st March 2012 the stamps in hand amounted to ₹ 80,295.50.

An imprest of ₹ 3,000/- has been sanctioned to DDO for meeting day-to-day routine expenses.

Current Liabilities

Security deposits of ₹ 62,000/- received as performance guarantee is retained till completion of its warranty period.

Taxation

The Authority is not liable to pay Wealth Tax, Income Tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred Income Tax.

Government Grants Fees Collected

Capital expenditure *i.e.* cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to "Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account". Excess of grant over the expenses is transferred to "Capital Fund Account" at the end of the year as on 31st March 2012.

The Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC / SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC / SLC and CAA. In addition to that Authority is collecting Processing Fees for registration of SPF *L. vannamei* farms and hatcheries. As per the exiting policy of the Authority, fee is accounted as Earmarked / Endowment Fund of the Authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-	Sd/-
Sr. Admn. Officer	Member Secretary

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31st March 2012

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2012, Receipts and Payments Account and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Controller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the Authority's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Controller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc,. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

   i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by Ministry of Finance.

   iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority in so far it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A General

Non maintenance of accounts under the Accrual System

The accounts have not been prepared under the Accrual System of Accounting as required by the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance.

As a result which,

(1) 30% share of Registration fee receivable from the DLCs/SLCs for 2011-12 has not been accounted.

(2) Provision for Gratuity, Superannuation pension, Accumulated Leave Encashment etc., were not made in the accounts.

B Grants-in-aid

Out of the grants-in-aid of ₹ 2.5 crores (Non-Plan) received during the year, internal receipts of ₹ 0.28 crore, other income of ₹ 0.03 crore and unspent balance of ₹ 0.50 crore (total ₹ 3.31 crore), the Authority could utilize a sum of ₹ 2.62 crores leaving a balance ₹ 0.69 crore as at 31st March 2012.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2012; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Place : Chennai
Date : 04.10.2012

Director General of Audit (Central)
Chennai

Annexure I of Separate Audit Report

1 Adequacy of Internal Audit System:

The Authority does not have an internal audit systems as a result of which there is no assessment and review of the internal control system and associated risks. The accuracy and completeness of accounting records could not be ensured in audit.

2 Adequacy of Internal Control System:

The internal control system is inadequate. The Authority is not accounting 70% of Registration fee retained by the District Level Committees.

3 Physical verification of Fixed Assets:

Physical verification of Fixed Assets was done upto 2011-12.

4 Regularity in payment of statutory dues:

The Authority is regular in payment of statutory dues.

Senior Audit Officer/CAB

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
MINISTRY OF AGRICULTURE CHENNAI

Reply to the Separate Audit Report for the financial year 2011-12

Observation	Reply
General **Non Maintenance of accounts under accrual system** The accounts have not been prepared under the accrual system of accounting as required by the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. As a result of which, 30% share of Registration fee receivable from the DLCs/ SLCs for 2011-12 has not been accounted.	Coastal Aquaculture Authority in its 17th Meeting decided the following: A.17.04.01 It was resolved that the Registration Fees collected by the DLCs shall be shared in the ratio of 70:30 between the DLC / SLC and CAA. Therefore, as per the decision of Authority, this office receives 30% of fees and accounts the same in its books of accounts as and when received by it. Further, action has been taken to receive the 30% fee in full from DLCs at the time of receiving applications itself by CAA for issuing registration certificate. Copy of the letter sent to DLCs / SLCs is enclosed for your reference. Therefore, this observation may kindly be dropped.
Provision for Gratuity, Superannuation pension, Accumulated Leave Encashment etc., were not made in the accounts	During the audited financial year, there was only one regular staff who is governed by the CCS(Pension) Rules, 1972. Provision for retirement benefits is being made. During the audited financial year, one staff has been absorbed and six staff have been confirmed in their post, after completion of probation. They are governed by the New Pension Scheme and pensionery contributions are paid every month to NSDL. Staff should have completed 5 years continuous regular service to get the gratuity. Therefore, needful action would be taken in subsequent years. Therefore, this observation may kindly be dropped.

Observation	Reply
Grants in aid Out of the grants-in-aid of ₹ 2.5 crore (Non-Plan) received during the year, internal receipts of ₹ 0.28 crore, other Income of ₹ 0.03 crore and unspent balance of ₹ 0.50 crore (total ₹ 3.31 crores), the authority could utilise a sum of ₹ 2.62 crores, leaving a balance of ₹ 0.69 crore as at 31st March 2012.	Under Section 16 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 this office receives 'grant-in-aid' for each financial year and utilises it for performance of its functions. As on 31st March 2012, this authority utilised the received grant-in-aid of ₹ 2.50 crores (Non-Plan). However, due to non-presentation of cheques issued by CAA to the vendors for the value of ₹ 22,283/-, this unutilised amount was restored to the Ministry on 26.06.2012. Whereas, under Section 17(1) of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 this office receives 30% of registration fees from DLCs for registration of farms besides the fees received for registration of *L. vannamei* hatcheries & farms and utilises the same for five years for specific purposes as Earmarked Fund, as decided by the Coastal Aquaculture Authority in its 17th meeting towards inspection and monitoring of coastal aqua farms and hatcheries, collecting & testing samples, organizing meetings and awareness programmes, translation of extension brouchers / pamphlets etc. During the audit year, the amount of fee [internal receipts] collected was ₹ 0.28 crore and the balance amount brought forward from the previous year was ₹ 0.50 crore. The total amount available was ₹ 0.78 crore and the expenditure incurred was ₹ 0.12 crore towards earmarked expenditure. Final balance available is ₹ 0.66 crore as on March 2012. Since the fund is earmarked for specific purposes, fees receipts are shown as Earmarked / Endowment fund account in the balance sheet as per the accounting standards. Therefore, these observations may kindly be dropped.

Annexure I of Reply to Separate Audit Report 2011-2012.

Observation	Reply
Adequacy of Internal Audit System: The Authority does not have an internal audit system as a result of which there is no assessment and review of the internal control system and associated risks. The accuracy and completeness of accounting records could not be ensured in audit.	The observations relating to internal audit / control system is taken note of by the Authority. During the 39th meeting of the Authority held on 04.12.2012 it was resolved to streamline the procedure, taking into consideration the suggestions made in the audit report as well as for taking suitable action in future.
Adequacy of Internal Control System: The internal control system is inadequate. The Authority is not accounting 70% of registration fee retained by the District Level Committees.	



तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

(भारत सरकार)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(Government of India)

दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन एनेक्सी

2nd Floor, Shastri Bhavan Annexe

२६, हडोस रोड़, चेन्नै – ६०० ००६, भारत

26, Haddows Road, Chennai - 600 006, India

दूरभाष / Tel.: +91 44 2823 4683, फैक्स / Fax : +91 44 2821 6552

ई-मैल / E-mail : aquaauth@vsnl.net वेबसाइट / website: www.caa.gov.in